इग्नू
जन–जन की
विश्वविद्यालय

BPSC-101

राजनीतिक सिद्धांत की समझ

ignou
THE PEOPLE'S
UNIVERSITY

सामाजिक विज्ञान विद्यापीठ
इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय

विशेषज्ञ समिती

प्रो.दरवेश गोपाल (अध्यक्ष)
राजनीति विज्ञान संकाय
सामाजिक विज्ञान विद्यापीठ
इंदिरा गांधीराष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय
मैदान गढ़ी, नई दिल्ली

प्रो.गुरप्रीत महाजन
नीति अध्ययन केन्द्र
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय
नई दिल्ली

प्रो. कृष्णा मेनन, जेंडर
अध्ययन केन्द्र, अम्बेडकर
विश्वविद्यालय, दिल्ली

प्रो.अनुराग जोशी
राजनीति विज्ञान संकाय
सामाजिक विज्ञान विद्यापीठ
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय
मैदान गढ़ी, नई दिल्ली

प्रो.जगपाल सिंह
राजनीति विज्ञान संकाय
सामाजिक विज्ञान विद्यापीठ
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय
मैदान गढ़ी, नई दिल्ली

प्रो. (अ.प्रा.) वैलेरियन रौड्रिग्ज
अर्न्तराष्ट्रीय अध्ययन विद्यापीठ
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय
नई दिल्ली

प्रो.मीना देशपांडे
राजनीति विज्ञान संकाय
बंगलौर विश्वविद्यालय, बैंगालुरू

प्रो. शेफाली झा
नीति अध्ययन केन्द्र
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय
नई दिल्ली

प्रो. विजयशेखर रेड्डी
राजनीति विज्ञान संकाय, सामाजिक
विज्ञान विद्यापीठ
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त
विश्वविद्यालय
मैदान गढ़ी, नई दिल्ली

पाठ्यक्रम निर्माण दल

खण्ड और इकाई	इकाई लेखक	से अनुकूलित
खण्ड 1 राजनीतिक सिंद्धात का परिचय		
इकाई 1 राजनीतिक सिंद्धात क्या है– दो दृष्टिकोण : मानक और अनुभवजन्य	डॉ. राजेन्द्र दयाल और डॉ. सतीश कुमार झा, दिल्ली विश्वविद्यालय	इकाई 3 एवंम् 4, ईपीएस– 11 से अनुकूलित
इकाई 2 राजनीति क्या है–राज्य और शक्ति का अध्ययन	डॉ. मनोज सिन्हा दिल्ली विश्वविद्यालय	इकाई 1, ईपीएस– 11 से अनुकूलित
खण्ड 2 राजनीतिक सिंद्धात के दृष्टिकोण		
इकाई 3 उदारवादी	डॉ. दिव्या रानी	इकाई 26, ईपीएस– 11 से अनुकूलित
इकाई 4 मार्क्सवादी	डॉ. तेजप्रताप सिंह, गोरखपुर विश्वविद्यालय	इकाई 21, एमपीएस– 001 से अनुकूलित
इकाई 5 रूढ़िवादी	डॉ. एन. डी. अरोरा, दिल्ली विश्वविद्यालय	इकाई 22, ईपीएस– 11 से अनुकूलित
इकाई 6 नारीवादी	सुश्री. गीतांजली अत्री जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय	
इकाई 7 उत्तर–आधुनिक	श्री शैलेन्द कुमार पाठक इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय	
खण्ड 3 लोकतंत्र का व्याकरण		
इकाई 8 लोकतंत्र का व्याकरण	डॉ. राज कुमार शर्मा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय	
इकाई 9 लोकतंत्र, प्रतिनिधित्व और उत्तदायित्व	डॉ. रचना सुचिन्मयी, मगध विश्वविद्यालय	
इकाई 10 प्रतिनिधि लोकतंत्र और इसकी सीमाएँ	डॉ. सुरिन्दर कौर शुक्ला पंजाब विश्वविद्यालय	
इकाई 11 भागीदारी और मतभेद	डॉ. राजकुमार शर्मा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय	
इकाई 12 लोकतंत्र और नागरिकता	डॉ. राजकुमार शर्मा और दिव्या तिवारी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय	

ignou THE PEOPLE'S UNIVERSITY

पाठ्यक्रम संयोजक और संपादक :प्रो. अनुराग जोशी

इकाईस्वरूपण, पुनरीक्षण और सामाग्री अद्यतन : डॉ. राज कुमार शर्मा, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय

सामग्री निर्माण दल

श्री राजीव गिरधर असिस्टेंट रजिस्ट्रार (प्रकाशन) एम.पी.डी.डी., इग्नू, नई दिल्ली	श्री हेमन्त परीदा अनुभाग अधिकारी (प्रकाशन) एम.पी.डी.डी., इग्नू, नई दिल्ली	**कार्यालय सहायक** श्री राकेश चन्द्र जोशी इग्नू, नई दिल्ली

नवम्बर, 2019

© इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, 2019

ISBN:

सर्वाधिकार सुरक्षित, इस कार्य का कोई भी अंश किसी भी रूप में पुनः प्रकाशित नहीं किया जा सकता, अनुलिपिक या किसी अन्य साधन द्वारा,

इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के बिना किसी लिखित आदेश व पुनः इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के कोर्स की सूचना विश्वविद्यालय के मैदान गढ़ी कार्यालय, नई दिल्ली–110068 के द्वारा प्राप्त की जा सकती है अथवा विश्वविद्यालय की वेबसाइट http://www.ignou.ac.in देखें

इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय नई दिल्ली की ओर से निदेशक सामाजिक विज्ञान विद्यापीठ द्वारा मुद्रित एवं प्रकाषित।

लेजर टाइप सेटिंग : टेसा मीडिया एण्ड कम्प्यूटर्स, सी–206, शाहीन बाग, जामिया नगर, नई दिल्ली

मुद्रित :

ignou
THE PEOPLE'S
UNIVERSITY

विषय सूची

		पृष्ठ सं.
खंड 1	**राजनीतिक सिद्धांत का परिचय**	**9**
इकाई 1	राजनीतिक सिद्धांत क्या है –दो दृष्टिकोण : मानक और अनुभवजन्य	11
इकाई 2	राजनीति क्या है–राज्य और शक्ति का अध्ययन	25
खंड 2	**राजनीतिक सिद्धांत के दृष्टिकोण**	**39**
इकाई 3	उदारवादी	41
इकाई 4	मार्क्सवादी	53
इकाई 5	रूढ़िवादी	69
इकाई 6	नारीवादी	81
इकाई 7	उत्तर-आधुनिकवादी	93
खंड 3	**लोकतंत्र का व्याकरण**	**109**
इकाई 8	लोकतंत्र का व्याकरण	111
इकाई 9	लोकतंत्र, प्रतिनिधित्व और उत्तदायित्व	123
इकाई 10	प्रतिनिधि लोकतंत्र और इसकी सीमाएँ	136
इकाई 11	भागीदारी और मतभेद	152
इकाई 12	लोकतंत्र और नागरिकता	163
अन्य अध्ययन सामग्री		**177**

ignou
THE PEOPLE'S
UNIVERSITY

पाठ्यक्रम का परिचयः राजनीतिक सिद्धांत की समझ

अगस्त कोम्टे ने कहा था कि सिद्धांत वे वैचारिक लेंस हैं, जिनके माध्यम से हम बहुत से तथ्यों को सुलझा सकते हैं, जिनका हम प्रतिदिन सामना करते हैं। वस्तुतः, सिद्धांतों के बिना हम किसी वस्तुस्थिति की पहचान, तथ्य के रूप में करने में बिल्कुल सक्षम नही हो सकते हैं। एक अच्छे सिद्धांत की कुछ विशेषताएं होती हैं। जिसका पहला गुण किफायती होना अर्थात संक्षिप्ता। एक सिद्धांत को अनावश्यक कल्पनाशीलता व भ्रमित करने वाले विवरणों से बचना चाहिए। एक सार्थक सिद्धांत का दूसरा लक्षण विशुद्ध रूप से सटीक होना है। दुनिया के बारे में सटीक आकलन और स्पष्टीकरण के लिए, सिद्धांतों को पर्याप्त रूप से विस्तृत होना चाहिए। एक सहज सिद्धांत सामान्यतः अभी तक दुनिया के कुछ पहलुओं की व्याख्या, वर्णन या भविष्यवाणी करता है। हालाँकि, इन गुणों को ज्यादातर, वैज्ञानिक सिद्धांतों की विशेषताओं के रूप में पहचाना जाता है। प्राकृतिक विज्ञानों का व्याख्यात्मक और पूर्वानुमानात्क व्यवहार, सामाजिक विज्ञानों मे नहीं पाया जाता है क्योंकि बहुत सी अनियंत्रित और अप्रत्याशित शक्तियां राजनीतिक व सामाजिक जीवन को प्रभावित करती हैं तथा यही कारण है कि सामाजिक और राजनीतिक व्यवहार की शायद ही कभी हुबहू पुनरावृत्ति होती है। इन मसलों के प्रकाश में, कुछ विशेषज्ञों ने तर्क दिया है कि सामाजिक वैज्ञानिकों को प्राकृतिक विज्ञान की नकल करने की कोशिश नही करनी चाहिए, इसके बजाय, उन्हें अपने स्वयं के मानकों और प्रक्रियाओं को विकसित करना चाहिए। सामाजिक और राजनीतिक जीवन के सिद्धांतकारों के लिए, इसलिए अध्ययन के प्रयोजन के अनुसार महसूस करने और सोचने की क्षमता, उनके कार्य का महत्वपूर्ण घटक है।

पश्चिम में, राजनीतिक सिद्धांत एक ओर राजनीतिक दर्शन से उभरा और दूसरी ओर राजनीतिक विचार से। लेकिन, यह याद रखना चाहिए कि राजनीतिक सिद्धांत दोनों से अलग है। यह राजनीतिक दर्शन से इस अर्थ में भिन्न है कि यह व्यक्तिगत राजनीतिक अवधारणाओं के मध्य तार्किक संबंध स्थापित करने के लिए कम औपचारिक व व्यक्तिवादी दृष्टिकोण सहित कम चिंतित होता है। ऐतिहासिक रूप से कम केन्द्रित होने के आधार पर राजनीतिक सिद्धांत, राजनीतिक विचार से भिन्न है। अतः राजनीतिक सिद्धांत विचार का अनिवार्य रूप से मिश्रित तरीका है। यह न केवल आगमनात्मक तर्क और अनुभवजन्य सिद्धांत को समाविष्ट करता है, अपितु उन्हें मानकीय प्रयोजन के साथ जोड़ता है, इसलिए एक व्यावहारिक, कार्यवाई-मार्गदर्शक चरित्र प्राप्त करता है। यह उन चीजों के व्यापक, सुसंगत और सामान्य स्पष्टीकरण तक पहुंचने का प्रयास है, जिनके बारे में हम बात करते हैं जब हम राजनीति के बारे में चर्चा करते हैं। एक सुसंगत राजनीतिक सिद्धांतकार, सामाजिक परिस्थितियों और राजनीतिक अवधारणाओं के मध्य विचरण करने में सक्षम होता है। राजनीतिक सिद्धांत में राजनीतिक अभ्यास के ज्ञान का समुचित समावेश होना चाहिए। राजनीतिक सिद्धांत का एक दूसरा पहलू यह है कि यह हमेशा उन विशिष्ट स्थितियों और समस्याओं से परिभाषित होता है, जिन्हें राजनीतिक विचारकों ने देखा है। राजनीतिक सिद्धांत को समझने के लिए, हमें दोनों को यानि कि उन विचारों के इतिहास को समझने की आवश्यकता है जिनके आधार पर विचारकों ने वर्णित किया तथा जिन समस्याओं का सामना वे स्वयं करते हैं और जिसके लिए उनके कार्य को संबोधित किया जाता है। उस संदर्भ का अध्ययन जिसमें राजनीतिक सिद्धांत मूल रूप से उत्पन्न हुआ था, हमें समालोचनात्मक आकलन करने की अनुमति देता है कि उक्त सिद्धांत किस वर्ग विशेष के हितों को परिलक्षित करता है।

उपरोक्त चर्चा के आलोक में, **'राजनीतिक सिद्धांत की समझ'** के पाठ्यक्रम को तीन खंडों में विभाजित किया गया है।

खंड–प्रथम राजनीतिक सिद्धांत के बारे में परिचय देता है और इसकी दो इकाइयां हैं – राजनीतिक सिद्धांत क्या हैः इसके दो दृष्टिकोण–मानकीय तथा अनुभवजन्य, है और राजनीति क्या हैः राज्य व सत्ता (शक्ति) का अध्ययन। यह खंड विद्यार्थियों को राजनीतिक सिद्धांत, इसके ऐतिहासिक विकास और इसके अध्ययन के लिए प्रमुख दृष्टिकोणों के विचार से अवगत कराता है। यह खंड राजनीति, राज्य तथा सत्ता की अवधारणाओं में एक अंतर्दृष्टि प्रदान करता है।

खंड-द्वितीय, राजनीतिक सिद्धांत के दृष्टिकोणों का परिचय कराता है और इसकी पाँच इकाइयाँ ये हैं–उदारवादी, मार्क्सवादी, रूढ़िवादी, नारीवादी तथा उत्तर-आधुनिक। इन सिद्धांतों पर विस्तार से चर्चा करने के अतिरिक्त, यह खंड उनका आलोचनात्क विश्लेषण भी करता है, ताकि समालोचनात्क सोच विकसित हो सके।

खंड–तृतीय, लोकतंत्र के व्याकरण के संबंध में है, जिसकी पाँच इकाइयाँ इस प्रकार हैं– लोकतंत्र का विचार, लोकतंत्र, प्रतिनिधित्व और उत्तरदायित्व, प्रतिनिधित्व लोकतंत्र तथा इसकी सीमाएं, भागीदारी और मतभेद और लोकतंत्र एवं नागरिकता। यह खंड लोकतंत्र की अवधारणा के बारे में विस्तार से चर्चा करता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के लोकतंत्रों, प्रमुख सिद्धांतों, लोकतंत्र व मतभेद एवं नागरिकता जैसे मुद्दे शामिल हैं। खंड तीन लोकतंत्र के व्याकरण के बारे में है, जिसमें प्रत्येक इकाई में आपकी प्रगति की जांच के लिए अभ्यास दिए गए हैं, जो छात्रों को विषय के बारे में उनकी वैचारिक समझ को परखने में मद्द करेगा। पाठ्यक्रम के अंत में, आगे के विश्लेषण हेतु उपयोगी पुस्तकों की एक सूची स्व–अध्ययन के लिए दी गई है।

खंड 3
लोकतंत्र का व्याकरण

खंड 3 लोकतंत्र का व्याकरण

खंड 3, पांच इकाइयों वाला अंतिम खंड है, जो लोकतंत्र की अवधारणा के विभिन्न विषयों से संबंधित है। **इकाई 8**, लोकतंत्र के विचार एवं इसके विभिन्न प्रकारों जैसे कि शास्त्रीय, कुलीनवादी, लोकप्रिय और ई-लोकतंत्र के बारे में सामान्य समझ प्रस्तुत करती है। **इकाई 9**, लोकतंत्र, प्रतिनिधित्व और उत्तरदायित्व की संकल्पनाओं पर प्रकाश डालती है, विशेषतौर से बाद की दो अवधारणाओं पर। **इकाई 10**, प्रतिनिधि लोकतंत्र की संकल्पना, इस पर विभिन्न विचारों और प्रतिनिधि लोकतंत्र के सिद्धांतों से संबंधित है। **इकाई 11** में लोकतंत्र के दो महत्वपूर्ण घटकों-भागीदारी व मतभेद, उनके प्रकार तथा उनके बीच के संबंध पर चर्चा करती है। इस पाठ्यक्रम की अंतिम **इकाई 12** है, जो अधिकारों व जिम्मेदारियों, सक्रिय एवं निष्क्रिय भागीदारी तथा पहचान के मुद्दों जैसे विषयों के माध्यम से दो अंतर-संबंधित संकल्पनाओं लोकतंत्र और नागरिकता पर प्रकाश डालती है।

ignou
THE PEOPLE'S
UNIVERSITY

इकाई 8 लोकतंत्र का व्याकरण*

संरचना

8.0 उद्देश्य

8.1 परिचय : लोकतंत्र से आशय

8.2 प्रक्रियात्मक/न्यूनवादी और वास्तविक लोकतंत्र/अधिकतावादी आयाम

8.3 लोकतंत्र के प्रकार

8.4 लोकतंत्र के सिद्धांत

- 8.4.1 शास्त्रीय
- 8.4.2 कुलीनवादी
- 8.4.3 बहुलवादी
- 8.4.4 सहभागी
- 8.4.5 विमर्शी
- 8.4.6 जनवादी लोकतंत्र
- 8.4.7 समाजवादी लोकतंत्र
- 8.4.8 विश्ववादी
- 8.4.9 ई-लोकतंत्र

8.5 विदेश-नीति आयाम : लोकतंत्र को प्रोत्साहन

8.6 सारांश

8.7 सन्दर्भ

8.8 बोध प्रश्नों के उत्तर

8.0 उद्देश्य

इस इकाई के अंतर्गत आप राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकतंत्र के विचार का अध्ययन करेंगे। इस इकाई के अध्ययन के पश्चात्, आप इस योग्य होंगे कि :

- लोकतंत्र के अर्थ को स्पष्ट कर सकें;
- न्यूनवादी और अधिकतावादी स्वरूप के अंतर को स्पष्ट कर सकें;
- इसके विभिन्न प्रकारों को समझ सकें; और
- अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकतंत्र के विस्तार को स्पष्ट कर सकें।

8.1 परिचय : लोकतंत्र से आशय

लोकतंत्र की संकल्पना आज से करीब 2500 वर्ष पहले अर्थात् 500 ई. पू. के आस-पास एथेंस में अस्तित्व में आई। इसी तरह 'डेमोक्रेसी' शब्द का उदभ्व यूनानी शब्द 'डेमोक्राटिया' (Demokratia) से हुआ है। जो कि दो यूनानी शब्दों 'demos' अर्थात् 'लोग' और 'kratos' अर्थात् 'शक्ति' से मिलकर बना है। इस प्रकार लोकतंत्र का मतलब 'लोगों के द्वारा शासन' होता है जो कि सरकार को सच्चे अर्थों में वैद्यानिकता प्रदान करता है। 'लोकतंत्र' राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में सर्वाधिक चर्चित मुद्दा है, इस कारण यह सर्वाधिक विवादास्पद संकल्पना भी है। यद्यपि लोकतंत्र को क्रियान्वित कैसे किया जाय इसे लेकर मत भिन्नता है, फिर भी

*डॉ. राज कुमार शर्मा, अकाद्मिक ऐसोसियेट, राजनीति विज्ञान संकाय, इग्नू

लोकतंत्र के अर्थ को लेकर एक सामान्य सहमति बनी हुई है। इसी कारण लोकतंत्र के विभिन्न प्रकार हैं, यथा – प्रत्यक्ष, प्रतिनिधि, विमर्शी। इस विचार को लेकर संचेतना है कि लोकतंत्र का आशय लोकप्रिय शासन और संप्रभुता है, लेकिन इसे प्राप्त कैसे किया जाए इसे लेकर मत भिन्नता है। लोकतंत्र के अभ्यास में अनेक प्रकार के अंतर्विरोध अन्तर्निहित हैं। लोगों की सहभागिता को कैसे सुनिश्चित किया जाए, स्वतंत्रता और समानता के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए, अल्पसंख्यक अधिकारों की रक्षा कैसे की जाए, बहुसंख्यक की तानाशाही को कैसे टाला जाए इत्यादि कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनसे लोकतंत्र को जूझना है। दुनियाभर के लोकतंत्रों विभिन्न समस्याओं में से एक यह है कि समानता और स्वतंत्रता के बीच संतुलन कैसे स्थापित किया जाए। अंग्रेजी उदारवादी परंपरा स्वतंत्रता को अत्यधिक महत्व देती है जबकि फ्रांसीसी परंपरा समानता को स्वतंत्रता से अधिक महत्व प्रदान करती है। नकारात्मक स्वतंत्रता व्यक्ति और उसके अधिकारों पर ज्यादा जोर देती है जबकि सकारात्मक स्वतंत्रता व्यक्तिगत अधिकारों को सीमित कर समानता प्राप्ति का प्रयास करती है। इसका आशय यह है कि नकारात्मक स्वतंत्रता राज्य की सीमित भूमिका का पक्ष लेती है जबकि सकारात्मक स्वतंत्रता राज्य के हस्तक्षेप के माध्यम से ऐसी परिस्थिति का निर्माण चाहती है जिसमें समानता अपना अस्तित्व पा सके। सकारात्मक उदारवादियों द्वारा राज्य से यह अपेक्षा की जाती है कि वह सामाजिक और आर्थिक असंतुलन को विधि-निर्माण के माध्यम से ठीक करे।

इसके बावजूद, अन्य प्रकार की शासन-प्रणालियों की अपेक्षा लोकतंत्र के बहुत से लाभ हैं। यह आतताइयों के शासन से रक्षा करता है, मानव-विकास की देख-रेख करता है, व्यक्तिगत अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा हेतु सुविधाएँ प्रदान करता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युद्ध से रक्षा करता है क्योंकि सामान्यतः लोकतान्त्रिक देश आपस में नहीं लड़ते। जे.एस. मिल ने अपनी पुस्तक *'कंसीडरेशन ऑफ रिप्रेजेन्टेटिव गवर्नमेंट'* 1861 में लोकतान्त्रिक निर्णय-निर्माण के तीन लाभ बताये हैं। पहले, रणनीतिक तौरपर लोकतंत्र नीति-निर्माताओं को बाध्य करता है कि वे लोगों के अधिकारों, मतों और हितों के प्रति उत्तरदायी बने रहें, जैसा कि कुलीनतंत्र या अधिकनायतंत्र में नहीं होता है। दूसरा, ज्ञानमीमांसा के तौर पर लोकतंत्र में विभिन्न प्रकार के दृष्टिकोणों कि उपस्थिति होती है, जिससे नीति-निर्माताओं को उनमें से सर्वोत्तम को चुनने का मौका मिलता है। तीसरा, लोकतंत्र तार्किकता, स्वायतता और स्वतंत्रता जैसे विचारों को समाहित कर नागरिकों के चरित्र निर्माण में सहयोग प्रदान करता है। यह लोकमत का दबाव बनाता है और राजनेताओं द्वारा सत्ता में बने रहने के लिए इसे नजरअंदाज करना संभव नहीं हो पाता। इस सन्दर्भ में नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने लोकतंत्र और अकाल के बीच सम्बन्ध को प्रस्तुत किया है, उनका तर्क है कि एक कार्यरत लोकतंत्र में कभी अकाल नहीं आया है। क्योंकि लोकतंत्र में नेता लोगों के प्रति उत्तरदायी होते हैं अैर वे लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं को अनदेखा नहीं कर सकते।

यूनाइटेड किंगडम के पूर्व प्रधानमंत्री विस्टन चर्चिल को लोकतंत्र में संदेह था, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि लोकतंत्र शासन की प्रणालियों में सबसे बेकार प्रणाली हो सकती है परन्तु अब तक समय-समय पर अजमाई गई अन्य शासन प्रणालियों से बेहतर है। व्यापक सन्दर्भ में समझ यह है कि लोकतंत्र राज्य और सरकार की एक शासन-प्रणाली मात्र नहीं है, बल्कि यह समाज की अवस्था और जीवन-पद्धति भी है। एक लोकतान्त्रिक समाज वह है जिसमें सामाजिक और आर्थिक समानता होती है, जबकि एक लोकतान्त्रिक राज्य वह है जिसमें नागरिकों को सुलभ और न्यायपूर्ण राजनीतिक-प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर प्राप्त होता है। 1960 और 1970 के दषक में उग्रलोकतंत्रवादियों कि यह मान्यता थी कि सामाजिक और आर्थिक समानता राजनीतिक लोकतंत्र की सफलता की पूर्ण शर्त्त है। 'लोकतंत्र' शब्द के कुछ अर्थ निम्नलिखित हैं :

- गरीब और हीनतम लोगों के द्वारा शासन।
- समान अवसर पर आधारित समाज और श्रेणी तथा विशेषाधिकार के स्थान पर व्यक्तिगत गुणों पर आधारित समाज।
- सामाजिक असमानता को कम करने हेतु कल्याणकार्य और पुनर्वितरण।
- बहुमत के शासन पर आधारित निर्णय-निर्माण।
- बहुमत के शासन कि बाधाओं को हटाते हुए अल्पसंख्यक-अधिकारों की रक्षा।
- लोकप्रिय मतदान हेतु लोक-कार्यालयों में प्रतिस्पर्धा के माध्यम से भर्ती।

व्यापक सन्दर्भ में, लोकतंत्र की अतर्गत बहुत से लक्षणों को सम्मिलित किया जा सकता है। लिखित संविधान, विधि का शासन, मानव अधिकार, स्वतंत्र पत्रकारिता और न्यायालय कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का विभाजन इत्यादि को लोकतंत्र के आधारभूत लक्षणों के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। अपने प्रारंभिक स्वरूप में लोकतंत्र का विचार यूनान से आया, जो कि समावेशी स्वरूप में नहीं था। लोकतंत्र का यूनानी मॉडल महिलाओं, दासों और प्रवासियों को समाहित नहीं करता, इस अर्थ में यह खुद को अलोकतांत्रिक बना देता है। आधुनिक लोकतन्त्रों में भी इस तरह के तत्व विद्यमान रहे हैं, जैसे कि फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका आदि में भी कुछ वर्ग को मतदान से वंचित रखा गया था, जबकि मताधिकार सम्पत्तिशाली लोगों को दिया गया था। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति में लोकप्रिय संप्रभुता के साथ-साथ स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की बात की गयी। यद्यपि उस समय महिलाओं को मतदान का अधिकार नहीं मिला और फ्रांस में 1944 में जो आकर सार्वजनीन व्यस्क मताधिकार लागू किया गया। ब्रिटेन में महिलाओं को मतदान का अधिकार 1928 में मिला, जबकि अमेरिका में 1920 में। इसके बावजूद अमेरिका में रंगों के आधार पर भेदभाव विद्यमान रहा और 1965 में जाकर अफ्रीकी-अमेरिकी पुरुषों और महिलाओं को मतदान का अधिकार मिला। इस सन्दर्भ में पश्चिमी लोकतन्त्रों से तुलना किया जाए तो भारत अधिक प्रगतिशील रहा है क्योंकि भारत में सार्वजनीन व्यस्क मताधिकार 1950 अर्थात् संविधान लागू होने की तिथि से ही प्रभाव में है। इस प्रकार भारत दुनिया में पहला ऐसा लोकतान्त्रिक देश है जहाँ संविधान लागू होने की प्रारंभिक तिथि से ही सार्वजनीन व्यस्क मताधिकार लागू है। सऊदी अरब महिलाओं को मताधिकार देने वाला नवीनतम देश है, जहाँ 2015 के नगर-पंचायत के चुनावों में प्रथम बार महिलाओं ने मताधिकार का प्रयोग किया।

समुअल पी. हंटिगटन ने 1991 में अपनी पुस्तक 'द थर्ड वेवः डेमोक्रेटाइजेशन इन द लेट ट्वेंटिएथ सेंचुरी' में दुनिया भर में लोकतंत्र के हो रहे भौगोलीक विस्तार को अच्छे तरीके से प्रस्तुत किया है। लोकतंत्रीकरण के तीन लहरों के सन्दर्भ में विचार प्रस्तुत करते हुए उन्होंने कहा कि लोकतंत्रीकरण को उस प्रक्रिया के रूप में व्याख्यायित किया जा सकता है जो लोकतंत्र को स्थापित करे। प्रथम लहर 1828 से 1926 के बीच चला इस दौरान 33 देशों में लोकतान्त्रिक सरकारों की स्थापना हुई, जिनपर मुख्यतः अमेरिकी और फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव था। इस लहर के साथ ही 1922 से लेकर 1942 के बीच एक प्रति लहर चला जिसके परिणामस्वरूप दुनिया में मात्र 11 लोकतान्त्रिक देश बचे। इस प्रति लहर के कारणों में कहान मंदी, साम्यवाद, फासीवाद और नाजीवाद का उदभ्व था। लोकतंत्रीकरण का दूसरा चरण 1943 से लेकर 1962 तक चला। इस अवधि के दौरान लोकतान्त्रिक देशों की सर्वाधिक संख्या 52 थी, जिसका प्रमुख कारण विऔपनिवेशीकरण था। लोकतंत्रीकरण का दूसरा प्रतिलहर 1958 से 1975 के बीच चला। इसका कारण आधुनिकता से मोहभंग, विकास से सम्बंधित समस्या और लैटिन अमेरिका में सैन्य तख्ता पलट था। इस दौरान

लोकतान्त्रिक देशों की संख्या घटकर 30 रह गई। 65 लोकतान्त्रिक देशों की संख्या के साथ लोकतांत्रिकरण का तीसरा लहर 1974 में प्रारंभ हुआ जो 1989 तक चला। इसके पीछे विऔपनिवेशीकरण और शीतयुद्ध की समाप्ति उत्तरदायी थे। हंटिगटन ने यह भी वर्णित किया है कि लोकतंत्रीकरण के तीसरे प्रतिलहर कि शुरुआत 1980 के दशक में हुई थी। इस दौरान हैती, नाइजीरिया, सूरीनाम और सूडान में लोकतंत्र की समाप्ति हो गई। राजनीति विज्ञानियों ने वर्ष 2011 में पश्चिमी एशिया में आये अरब-बसंत को 'लोकतंत्रीकरण का चतुर्थ लहर' नाम दिया है।

बोध प्रश्न 1

टिप्पणीः क) अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिए।

ख) अपने उत्तर का मिलान इकाई के अंत में दिए गए उत्तर से करें।

1) लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं? शासन की अन्य पद्धतियों की अपेक्षा लोकतंत्र के क्या लाभ हैं?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

8.2 प्रक्रियात्मक/न्यूनतम और वास्तविक/अधिकतम आयाम

लोकतंत्र को दो भिन्न आयामों के जरिए ठीक तरीके से समझा जा सकता है– प्रक्रियात्मक (न्यूनवादी) और मौलिक (अधिकतावादी)। प्रक्रियात्मक आयाम अपना ध्यान केवल लोकतंत्र प्राप्ति की प्रक्रिया अथवा साधनों पर केन्द्रित करता है। इसका तर्क है कि सार्वजनीन व्यस्क मताधिकार पर आधारित नियमित प्रतिस्पर्धी चुनाव और बहुत राजनीतिक सहभागिता के माध्यम से लोकतान्त्रिक रूप से चयनित सरकार बनती है। जोसफ स्चुम्पेटर ने 1942 में अपनी पुस्तक 'कैपिटलिज्म, सोशलिज्म और डेमोक्रेसी' में कहा है कि लोकतंत्र राजनीतिक निर्णयों तक पहुँचने का एक संस्थात्मक व्यवस्थापन है जिसमें व्यक्ति प्रतिस्पर्धात्मक संघर्ष के माध्यम से लोगों के मत प्राप्त कर निर्णय करने की शक्ति प्राप्त करता है। हंटिगटन ने भी इसी तरह के विचारों को प्रतिबिंबित किया है, ''लोकतंत्र की केंद्रीय प्रक्रिया उन लोगों द्वारा प्रतिस्पर्धी चुनाव के माध्यम से नेताओं का चयन है, जो शासित होते हैं।'' हालांकि, न्यूनवादी विचार में चुनावी भागीदारी से लोगों को निष्क्रिय माना जाता है और इस प्रकार से वे अपने प्रतिनिधियों द्वारा शासित होते हैं। इस दृष्टिकोण का जोर इस बात पर है कि कैसे एक लोकतंत्रिक सरकार का चुनाव करें, नाकि स्वतंत्रता और आजादी पर। व्यवस्था में 'नियंत्रण और संतुलन' के अभाव में निर्वाचित नेता अपने लाभ के लिए प्रक्रियाओं और शक्तियों में हेर-फेर कर अधिनायकवादी बन सकते हैं। एक लोकतान्त्रिक व्यवस्था में ऐसी सरकार जो लोगों की शक्ति अपने पास रखती है जो आधारभूत अधिकार अपने पास रखती है, वह कुलीन लोगों के लिए कार्य कर सकती है। इस तरह की घटनाओं का अस्तित्व 1980 और 1990 के बीच अर्जेंटीना और ब्राजील में देखने को मिला। यद्यपि समय-समय पर आवधिक चुनाव होते रहते हैं परन्तु शक्तियों के एक व्यक्ति के हाथों में केन्द्रित होने के

कारण मध्य एशियाई देशों की सरकारों को भी प्रक्रियात्मक लोकतन्त्रों की श्रेणी में रखा जा सकता है। टेरी कार्ल का कहना है कि एक ऐसी परिस्थिति जहाँ चुनावी प्रक्रिया को लोकतंत्र के अन्य आयामों से प्राथमिकता दी जाती हो, न्यूनवादी दृष्टिकोण 'चुनाववाद में दोष' का कारण हो सकता है। फरीद जकारिया इसे 'अनुदारवादी लोकतंत्र' कहते हैं क्योंकि ऐसे मामलों में सरकारें लोकतान्त्रिक पद्धति से निर्वाचित होती हैं लेकिन संविधान में वर्णित उनकी शक्तियों की सीमाओं का नजरअंदाज करते हैं और अपने नागरिकों के मूलभूत अधिकारों और स्वतंत्रताओं से वंचित रखते हैं।

वास्तविक लोकतंत्र प्रक्रियात्मक लोकतंत्र की कमी को दूर करने का प्रयास करता है, इसका मानना है कि सामाजिक और आर्थिक असमानता लोकतान्त्रिक प्रक्रिया में जनसहभागिता में बाधा हो सकती है। शासन करने के बजाय, वास्तविक अर्थों में यह अपना ध्यान सामाजिक समानता जैसे परिणामों पर केन्द्रित करता है। एक अर्थ में, यह सीमित लोगों के हित के बजाय सामान्य-हित की बात करता है। पुनर्वितरणात्मक न्याय के माध्यम से वांछित वर्ग यथा-महिलाओं और गरीबों के अधिकारों की रक्षा की जा सकती है और ऐसी परिस्थिति का निर्माण राज्य द्वारा हस्तक्षेप के माध्यम से ऐसे वर्गों की राजनीतिक प्रक्रिया में भागीदारी सुनिश्चित करके की जा सकती है। विभिन्न राजनीतिक विज्ञानी यथा – जॉन लॉक, जीन जैक्स रूसो, इमैनुअल कांट, जॉन स्टुअर्ट मिल ने इस दृष्टिकोण के विकास में अपना योगदान दिया है। स्कम्पेटर का विश्वास है कि लोकतंत्र की ऐसी संकल्पना जो समानता के महत्वकांक्षी स्वरूप को अपना लक्ष्य मानती है खतरनाक है। इसके विपरित रूसो का तर्क है कि लोकतंत्र का औपचारिक प्रकार दास-प्रथा के समान है और केवल समतावादी लोकतंत्र ही राजनीतिक वैधता को प्राप्त है।

बोध प्रश्न 2

टिप्पणीः क) अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिए।

ख) अपने उत्तर का मिलान इकाई के अंत में दिए गए उत्तर से करें।

2) प्रक्रियात्मक लोकतंत्र और वास्तविक लोकतंत्र में अंतर स्पष्ट करें।

.....

.....

.....

.....

.....

8.3 लोकतंत्र के प्रकार

मोटे तौर पर, लोगों के शासन करने के आधार पर लोकतंत्र को प्रत्यक्ष और प्रतिनिधि लोकतंत्र के रूप में विभाजित किया जा सकता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र शासन में प्रत्यक्ष और अमध्यवर्ती नागरिक सहभागिता पर आधारित होता है, सभी व्यस्क नागरिक निर्णय-निर्माण प्रक्रिया में यह सुनिश्चित करने के लिए भाग लेते हैं कि सभी दृष्टिकोणों पर चर्चा हो चुकी है और सर्वोत्तम संभव निर्णय लिया गया है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र शासक और शासित तथा राज्य और नागरिक-समाज के बीच के अंतर को मिटा देता है। प्राचीन यूनानी नगर-राज्य का स्वरूप प्रत्यक्ष-लोकतंत्र का एक उदाहरण है। समकालीन समय में प्रत्यक्ष जलोकतंत्र स्विस-कैंटन में पाया जा सकता है। यूनानी स्वरूप में सहभागिता को सुनिश्चित करने के लिए

नागरिक सशरीर उपस्थित होते थे। जबकि स्विस मॉडल में थोड़ा अंतर है, यहाँ नीति-निर्माण में लोकप्रिय सहभागिता को सुनिश्चित करने के लिए पहल (Initiative), वापस बुलाना (Recall) और जनमत संग्रह (Plebiscite) का प्रयोग होता है। 'पहल' लोगों को यह शक्ति प्रदान करता है कि वे ऐसे किसी कानून को प्रस्तावित कर सकें जिनकी चर्चा विधायिका में की जानी चाहिए। वापस बुलाना लोगों के हाथ में एक ऐसी शक्ति होती है जिसका प्रयोग करके वे अपने नीति-निर्माताओं को उनका प्रदर्शन ठीक न होने की स्थिति में हटा सकते हैं। जनमतसंग्रह में कोई महत्वपूर्ण प्रश्न लोगों के समक्ष उनकी सहमति या असहमति हेतु रखा जाता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र अधिक वैधता सुनिश्चित करता है क्योंकि लोग ऐसे निर्णयों का पालन करना अधिक पसंद करते हैं जो उन्हीं के द्वारा लिया गया है। यह एक उच्च अवगत नागरिक का निर्माण करती है जो निर्णय-निर्माण में सहभागिता सुनिश्चित करते हैं। यद्यपि नगर-राज्य और राष्ट्र-राज्य में आकार (भूगोल और जनसंख्या) की दृष्टि से बड़ा अंतर हैं। इस कारण वृहद् आकार के अधुनिक राष्ट्र-राज्यों में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का प्रयोग कठिन है। इस समस्या के समाधान के रूप में प्रतिनिधि लोकतंत्र का विकास हुआ, जो कि सर्वप्रथम 18वीं शताब्दी में उत्तरी यूरोप में प्रयोग में आया। प्रतिनिधि लोकतंत्र, लोकतंत्र का एक सीमित और अप्रत्यक्ष स्परूप है। यह सीमित है क्योंकि मतदान के माध्यम से नीति-निर्माण में लोकप्रिय सहभागिता अत्यंत कम होती है, जबकि यह अप्रत्यक्ष इसलिए है कि लोग अपनी शक्तियों का प्रयोग प्रत्यक्ष रूप से नहीं करते बल्कि अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से करते हैं। दुनिया में अध्यक्षात्मक और संसदात्मक लोकतंत्र के रूप में दो मुख्य प्रकार के प्रतिनिधि लोकतंत्र पाए जाते हैं। अध्यक्षात्मक लोकतंत्र की अपेक्षा ससंदात्मक लोकतंत्र अधिक प्रतिनिधित्यात्मक होता है, लेकिन साथ ही कम स्थिर होता है।

बोध प्रश्न 3

टिप्पणी: क) अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिए।

ख) अपने उत्तर का मिलान इकाई के अंत में दिए गए उत्तर से करें।

1) प्रतिनिधि लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं?

.....

.....

.....

.....

.....

8.4 लोकतंत्र के सिद्धांत

8.4.1 शास्त्रीय लोकतंत्र

शास्त्रीय लोकतंत्र का आधार प्राचीन यूनानी नगर-राज्यों में विकसित एक ऐसी शासन प्रणाली से था जो कि सबसे बड़े और शक्तिशाली नगर-राज्यों में जनसमूहों की बैठक पर आधारित था। इस स्वरूप का महत्वपूर्ण स्वरूप यह था कि लोग राजनीतिक रूप से अत्यधिक सक्रिय थे। सभा की बैठकों के अतिरिक्त नागरिक निर्णय-निर्माण और सार्वजनिक कार्यालयों में अपना योगदान देते थे। हालाँकि इसमें महिलाओं, दासों और प्रवासियों को नागरिकता से वंचित रखा गया था। दासों और महिलाओं के काम करने की वजह से एथेंसवासी पुरुषों को राजनीतिक मामलों में भाग लेने का मौका मिलता था। इस वजह से

यह दूर्भाग्यपूर्ण और अलोकतांत्रिक था कि उन्हें नागरिकता से बाहर रखा गया। प्लेटो ने अपनी पुस्तक 'द रिपब्लिक' में एथेंस के लोकतंत्र की यह कहकर आलोचना की कि लोग स्वयं पर शासन करने के लिए बौद्धिक रूप से योग्य नहीं थे, उन्हें दार्शनिक राजा और अभिभावकों से शासित होने की आवश्यकता है क्योंकि यही उनके अनुकूल है।

8.4.2 कुलीनवादी सिद्धांत

इस सिद्धांत का प्रतिपादन विल्फ्रेडो पैरेटो, जी. मोस्का, रॉवर्ट मिशेल्स और जोसेफ शुम्पीटर ने किया था। इस सिद्धांत का विकास समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र में हुआ था लेकिन इसका महत्वपूर्ण निहितार्थ राजनीति शास्त्र के साथ भी है। मिशेल्स ने 'अल्पतंत्र का लौह नियम' दिया, जिसके अंतर्गत उन्होंने तर्क दिया कि अपने वास्तविक लक्ष्य से इतर प्रत्येक संगठन अल्पतंत्र के रूप में सीमित होकर 'कुछ लोगों के शासन' के रूप में परिवर्तित हो जाता है। मोस्का का कहना है कि लोगों को दो श्रेणियों शासक और शासित के रूप में विभाजित किया जा सकता है। चाहे कोई भी शासन-प्रणाली हो अधिकांश शक्ति, प्रतिष्ठा असैर सपंत्ति शासक वर्ग के हाथों में होती है। शासक के पास यदि नेतृत्व का गुण नहीं होता है तो वह कुलीनों का अनुसरण करने लगता है। यह सिद्धांत लोकतंत्र के समक्ष एक गंभीर प्रश्न खड़ा करता है और यह सलाह देता है कि यदि कुलीन शक्ति और संपत्ति और निर्णय-निर्माण का नियंत्रण करेंगे तो लोकतंत्र व्यवहारिक धरातल पर नहीं आ सकता।

8.4.3 बहुलवादी सिद्धांत

कुलीन सिद्धांत के विपरीत बहुलवादी विश्वास करते हैं कि नीति-निर्माण एक विकेद्रीकृत प्रक्रिया है, जहाँ विभिन्न समूह अपने विचारों को स्वीकृति दिलाने के लिए मोल-तोल करते हैं। यह विभिन्न समूहों के बीच आपसी बातचीत का परिणाम होता है ना कि कुछ कुलीनों के। इस सिद्धांत के प्रतिपादकों में कार्ल मैंनहाईम, रेमंड आरों, रॉबर्ट, डह्ल, चार्ल्स लिंडब्लोम हैं। डह्ल और लिंडब्लोम ने 'बहुतंत्र' की संकल्पना दी, जिसका मतलब था सभी नागरिकों के शासन के बजाए बहुत से लोगों का शासन। संक्षेप में, वे कहते हैं कि यद्यपि राजनीतिक रूप से विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग और आर्थिक रूप से शक्तिशाली वर्ग सामान्य नागरिक की अपेक्षा अधिक प्रभाव रखते हैं, फिर भी कोई भी संभ्रांत व्यक्ति राजनीतिक-प्रक्रिया में सदैव हावी रहने योग्य नहीं होता है।

8.4.4 सहभागी लोकतंत्र

इस सन्दर्भ में सभी लोकतंत्र सहभागी होते हैं कि वे लोकप्रिय सहमति पर आधारित होते हैं, जोकि इसके सहभागी प्रकृति को सुनिश्चित करता है। हालाँकि लोकतंत्र में यह संभावना रहती है कि लोगों की भूमिका मतदान तक ही समिति रह जाए। ऐसे जटिल लोकतंत्रों में निर्वाचित प्रतिनिधि और नागरिकों की बीच दूरी बढ़ जाती है जहाँ लोग जाति, वर्ग, धर्म और क्षेत्र आदि आधारों पर विभाजित होते हैं। कुलीनतंत्रीय और बहुलवादी सिद्धांत के विपरीत सहभागी लोकतंत्र सामान्य-हित को प्रोत्साहित करने के लिए नीति-निर्माण में नागरिकों की सहभागिता का समर्थन करता है, साथ ही यह सरकार की नागरिकों के प्रति अधिक जिम्मेदार बनाता है। रूसो, जे.एस. मिल और सी.बी. मैकफर्सन ने सहभादी लोकतंत्र के विचार को समर्थन दिया। रूसो का कहना है कि लोकप्रिय संप्रभूता लोगों के हाथों में स्थित सर्वाधिक, महत्वपूर्ण शक्ति है, जोकि उनका अहस्तान्तरणीय अधिकार है और सभी नागरिकों को राज्य के मामले में शामिल होना चाहिए। मिल का कहना है कि जो सरकार अपने नागरिकों के नैतिक, बौद्धिक और सक्रिय गुणों को प्रोत्साहित करे, वह सबसे अच्छी सरकार होती है।

8.4.5 विमर्शी लोकतंत्र

विमर्शी लोकतंत्र का तर्क है कि राजनीतिक-निर्णय नागरिकों के बीच न्यायपूर्ण और तर्कसंगत विमर्श के माध्यम से होना चाहिए। सर्वहित की प्राप्ति के लिए सर्वोत्तम की प्राप्ति हो सके। जॉन राल्स और जे. हैबरमास ने विमर्शी लोकतंत्र के पक्ष में तर्क दिया है। राल्स का मत है कि एक न्यायपूर्ण राजनीतिक समाज की प्राप्ति के लिए विवेक के माध्यम से हम स्वार्थ पर नियंत्रण पा सकते हैं। हैबरमास का मत है कि न्यायपूर्ण प्रक्रिया और स्पष्ट संचार के माध्यम से निर्णयों पर सहमति बनाई जा सकती है तथा वैद्यता प्राप्त किया जा सकता है।

8.4.6 जनवादी लोकतंत्र

जनवादी लोकतंत्र का आषय लोकतंत्र के उस मॉडल से है जिसका निर्माण साम्यवादी परंपरा के अंतर्गत किया गया है। मार्क्सवादियों की अभिरुचि सामाजिक समानता में रही है इस कारण लोकतंत्र का उनका अपना मॉडल है जोकि पश्चिमी मॉडल के विरूद्ध है; क्योंकि पश्चिमी मॉडल के अंतर्गत राजनीतिक समानता स्थापित करने की बात की जाती है। जनवादी लोकतंत्र की स्थापना सर्वहारा-क्रांति के बाद हुई जब सर्वहारा-वर्ग ने राजनीतिक-निर्णयों में अपनी भूमिका निभाना शुरू कर दिया। कार्ल मार्क्स ने सर्वहारा के शासन की बात की, वहीं लेनिन ने इस अवधारणा को बदलते हुए सर्वहारा के अगुआ के रूप में एक दल की भूमिका से अवगत कराया। हालाँकि लेनिन ने ऐसे किसी तंत्र की स्थापना नहीं की जो कि दल की शक्ति का परिक्षण करता रहे और यह सुनिश्चित करे कि शक्तिशाली नेता सर्वहारा के प्रति जवाबदेह बने रहेंगे। ऐसे में, अंततः जनवादी लोकतंत्र के माध्यम से साम्यवाद को आत्मनियंत्रण का रास्ता मिला है।

8.4.7 समाजवादी लोकतंत्र

समाजवादी लोकतंत्र मार्क्सवादी चिंतन में आधारतभूत परिवर्तन की बात करता है। यद्यपि दोनों के लक्ष्यों में समानता है, परन्तु समाजवादी लोकतंत्र क्रांति के बजाय उत्पादन के साधनों पर राज्य के नियंत्रण के माध्यम से इसे प्राप्त करना चाहते हैं। समाजवादी लोकतंत्रवादी लोकतंत्र की इस मार्क्सवादी समालोचना में विश्वास नहीं रखते क्योंकि इसमें वर्गीय-शासन के लिए बुर्जुआ ताकतें मुखौटा पहने रखती हैं। इसके बजाए समाजवादी लोकतंत्रवादी लोकतंत्र को समाजवादी लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अनिवार्य मानते हैं। इस कारण वे नागरिकों के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए व्यापार और उद्योग में राज्य के नियंत्रण की बात करते हैं।

8.4.8 विश्ववादी लोकतंत्र

आर्थिक और सांस्कृतिक वैश्वीकरण का परिणाम है विश्ववादी लोकतंत्र। इसका तर्क है कि जबसे राज्यों में एक-दूसरे पर अंतरनिर्भरता आ गई है, लोकतंत्र को भी सीमाओं से परे जाकर चुनौतियों पर प्रतिक्रिया देनी चाहिए। इमानुएल कांट और डेविड हेल्ड विश्ववादी लोकतंत्र के प्रतिपादकों में है। इनका तर्क है कि लोकतंत्र को वैश्विक परिधि में विस्तारित होना चाहिए और यू.एन. जैसे संगठन जिन पर पश्चिमी प्रभुत्व है, इनका भी लोकतंत्रीकरण होना चाहिए। हाशिये पर स्थित राष्ट्रों की भी आवाज सुनी जानी चाहिए तथा कम विकसित और उभरती शक्तियों को भी वैश्विक-प्रशासन में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। विश्व-नागरिकता का विचार राज्य की पारंपरिक नागरिकता से बाहर 'वैश्विक-नागरिकता' (Global-Citizenship) का तर्क दे रही है और इसी कारण राज्यों के हितों में समानता

पर आधारित ऐसे आंदोलनों का उदय हो रहा है जो अपनी प्रकृति में वैश्विक हैं। महिलाओं का आन्दोलन और पर्यावरण आन्दोलन ऐसे प्रमुख उदाहरण हैं, जिनका प्रभाव वैश्विक स्तर पर देखने को मिल रहा है।

8.4.9 ई-लोकतंत्र

यह तुलनात्मक रूप से नयी संकल्पना है, लेकिन यह पूर्व के सिद्धान्तकारों द्वारा किये गये कार्यों पर ही आधारित है। प्रतिनिधि लोकतंत्र को और अधिक बेहतर बनाने या इसे प्रतिस्थापित करने के लिए सूचना और प्रौद्योगिकी को प्रयोग ही इलेक्ट्रानिक लोकतंत्र या ई-लोकतंत्र कहलाता है। सभी लाकतंत्रों में उभयनिष्ठ समस्याएँ यथा – मापन का मुद्दा, समय का अभाव? सामुदायिक मूल्यों में गिरावट, नीतियों पर विमर्श के लिए अवसरों का अभाव आदि को डिजिटल संचार के माध्यम से ही निबटा जा सकता है। ई-लोकतंत्र के समर्थकों ने नीति-निर्माण में सक्रिय नागरिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सहभागी-लोकतंत्र के विचार का निर्माण किया है।

बोध प्रश्न 4

टिप्पणीः क) अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिए।

ख) अपने उत्तर का मिलान इकाई के अंत में दिए गए उत्तर से करें।

1) जनवादी लोकतंत्र की कमियां क्या-क्या हैं?

.....

.....

.....

.....

.....

2) विश्ववादी लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं?

.....

.....

.....

.....

.....

8.5 विदेश-नीति आयाम : लोकतंत्र को प्रोत्साहन

जब से यह विश्वास बना है कि लोकतान्त्रिक देश आपस में तुलनात्मक रूप से युद्ध कम करते हैं तथा अन्य शासन प्रणालियों की अपेक्षा लोकतंत्र में सामाजिक और आर्थिक सूचकांक अधिक बेहतर स्थिति में होते हैं, विभिन्न देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने अन्य देशों में लोकतंत्र और मानवाधिकारों के प्रसार हेतु दबाव बनाना शुरू किया है। यह 'लोकतान्त्रिक शांति सिद्धांत' के समकक्ष है जो कि इमैनुअल कांट और थॉमस पैन द्वारा प्रतिपादित है, जिनका विश्वास है कि संवैधानिक गणतंत्र सामान्य तौरपर एक-दूसरे के विरुद्ध युद्ध कम करते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ के अतिरिक्त कई

यूरोपीय देशों के द्वारा विदेश-नीति के उपकरण के रूप में लोकतंत्र को बहुत जोरों के साथ प्रोत्साहित किया गया। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने एक बार कहा था कि दुनिया को लोकतंत्र के लिए सुरक्षित स्थान होना चाहिए तथा द्विपक्षीय संबंधों और बहुपक्षीय मंचों यथा – पैन-अमेरिका स्वतंत्रता-संधि जैसे प्रयासों के माध्यम से लोकतंत्र को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। शीत-युद्ध के दौरान लोकतंत्र और साम्यवाद के बीच वैचारिक संघर्ष इस बात का साक्षी रहा है, जब अमेरिका और उसके मित्र देश साम्यवाद के प्रसार को रोकने और लोकतान्त्रिक मूल्यों के प्रोत्साहन हेतु प्रयास कर रहे थे। रोनाल्ड रीगन प्रशासन ने लोकतंत्रिक एजेंडा को अमेरिकी विदेश-नीति में शामिल किया, जिसके अनुसार मानवाधिकारों के प्रोत्साहन के लिए लोकतंत्र आवश्यक है। 1980 के दशक में 'लोकतंत्र के लिए राष्ट्रीय विन्यास' (National Endowment for Democracy) की स्थापना हुई, जबकि भूतपूर्व सोवियत देशों और लैटिन अमेरिकी देशों में लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका की अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी का उपकरण के रूप में प्रयोग किया गया। यह प्रवृत्ति 1990 के दशक में भी जारी रही और अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन कि विदेश नीति के तीन स्तंभों में एक लोकतंत्र को प्रोत्साहन देना भी था। राष्ट्रपति जार्ज डब्ल्यू बुश ने इस प्रवृत्ति को जारी रखा, हालाँकि लोकतंत्र संवर्धन के अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उन्होंने सेना रूपी साधन का प्रयोग किया, उदाहरण के लिए – इराक और अफगानिस्तान। 1970 के दशक में यूरोपीय देशों ने भी लोकतंत्र के संवर्धन हेतु सहयोग करना प्रारंभ कर दिया था। यूरोपीय-संघ ने 1990 के दशक में लोकतंत्र और मानवाधिकार के लिए यूरोपीय पहल' का प्रारंभ किया। कुछ अन्य देश जैसे कि जापान, भारत, अर्जेंटीना और ब्राजील ने भी लोकतंत्र को प्रोत्साहित किया, लेकिन इसके मात्रा में पर्याप्त भिन्नता है। अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठन जैसे कि संयुक्त राष्ट्र और अफ्रीकी संघ आदि भी लोकतंत्र और मानवाधिकार का प्रोत्साहन करते हैं। संयुक्त राष्ट्र का चार्टर भी मानवाधिकारों की रक्षा की बात करता है, जबकि 2006 में संयुक्त-राष्ट्र संघ ने लोकतंत्र की मजबूती हेतु नागरिक-समाज के संगठनों के सहयोग हेतु 'संयुक्त-राष्ट्र लोकतंत्र फण्ड' की स्थापना की।

शीत-युद्ध की समाप्ति के पश्चात्, फ्रांसिस फुकुयामा ने 1992 में अपनी पुस्तक 'इतिहास का अंत और अंतिम व्यक्ति' में तर्क दिया है कि अन्य शासन प्रणालियों की अपेक्षा लोकतंत्र ने स्वयं को एक बेहतर शासन-व्यवस्था सिद्ध किया है और सभी देशों के लिए उदारवादी लोकतंत्र शासन का अंतिम स्वरूप है। हालाँकि करने की अपेक्षा कहना अधिक आसान होता है और लोकतंत्र-संवर्धन प्रक्रिया में अनेक समस्याएँ देखने को मिलीं। लोकतंत्र और मानवाधिकारों के संवर्धन के नाम पर अनेकों वाह्य हस्तक्षेपों को उचित करार दिया गया। इराक और अफगानिस्तान में लोकतंत्र के प्रसार में असफलता ने संदेह उत्पन्न किया कि ये हस्तक्षेप उचित थे अथवा नहीं। वाह्य हस्तक्षेप प्रक्रियात्मक लोकतंत्र की स्थापना कर सकते हैं, लेकिन वास्तविक सुधार के अभाव में वास्तविक-लोकतंत्र की स्थापना कठिन है। इसी कारण किसी देश में वाह्य-हस्तक्षेप को 'थोपा हुआ लोकतंत्र' माना जाता है, यदि वहां आन्तरिक सुधार और आधुनिकीकरण नहीं हो पाता। यह लोकतंत्र की मूल्य-आत्मा के विरूद्ध भी है, उदाहरण के लिए यदि किसी देश में शासन का स्वरूप वहाँ नागरिकों के बजाय बाहरी लोगों द्वारा निर्धारित किया जाता है तो ये 'आत्म-निर्णय के अधिकार' के विरूद्ध है। 9/11 की बाद की दुनिया में मुख्य जोर आतंकविरोधी प्रयासों में है, जिसने अल्पसंख्यकों के मानवाधिकरों और बहुसंस्कृतिवाद की संकल्पना में बाधा उत्पन्न किया है। चीन की तरह विकास के अन्य मॉडल भी हैं जो लोकतंत्र धारण करने की इच्छा रखने वाले देशों को पुनर्विचार हेतु प्रेरित करते हैं। चीन, दुनिया का सबसे बड़ा सत्तावादी राज्य होने के साथ ही, आने वाले समय में दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर देश भी है। कुछ इस प्रकार के प्रश्न अंतर्राष्ट्रीय मामलों में लोकतंत्र के प्रसार हेतु किये जाने वाले प्रयासों को लेकर खड़े किये जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को स्वयं ही इस बात की

आवश्यकता है कि वह अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का लोकतंत्रीकरण करें। क्योंकि ये संस्थाएं P-5 देशों (संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन) के प्रभुत्व में हैं और भारत, जापान, जर्मनी, ब्राजील और साउथ अफ्रीका जैसी उभरती हुई शक्तियों को अंतर्राष्ट्रीय प्रशासन में समुचित प्रतिनिधित्व नहीं है।

बोध प्रश्न 5

टिप्पणीः क) अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिए।

ख) अपने उत्तर का मिलान इकाई के अंत में दिए गए उत्तर से करें।

1) अंतर्राष्ट्रीय मामलों में लोकतंत्र के संवर्धन के समक्ष क्या चुनौतियाँ हैं?

.....

.....

.....

.....

.....

8.6 सारांश

लोकतंत्र की संकल्पवना का विकास वर्षों में हुआ है और इस दौरान यह अधिक समावेशी होता गया है। राजनीति विज्ञान के सबसे विवादित विषयों में से यह एक है; लोग इसके अर्थ को लेकर सहमत हैं परन्तु इस बात को लेकर सहमत नहीं हैं कि इसे प्राप्त कैसे किया जाय। इसी कारण से प्रत्यक्ष से लेकर अप्रत्यक्ष तक लोकतंत्र के विभिन्न प्रकार हैं। समय के परिवर्तन के साथ लोकतंत्र के विभिन्न आयाम रहे हैं, उदाहरण के लिए ई-लोकतंत्र। लोकतंत्र के विचार को अपने मुद्दों यथा – प्रवासन का मुद्दा, आतंकवाद और अंतरराष्ट्रीय - व्यवस्था का अराजक स्वरूप आदि से चुनौतियाँ मिलती रही हैं। हालाँकि रॉबर्ट डह्ल ने 1989 में अपनी पुस्तक 'लोकतंत्र और इसके आलोचक' में तर्क दिया है कि लोकतंत्र अन्य शासन-प्रणालियों से कम से कम तीन अर्थों में बेहतर है। यह स्वतंत्रता और मानव-विकास को बढ़ावा देता है और यह लोगों को रक्षा प्रदान करने के साथ ही उन वस्तुओं और हितों को बढ़ावा देता है जिसे लोग दूसरों के साथ साझा करते हैं।

8.7 सन्दर्भ

अब्बास, होयेदा और कुमार, रंजय कुमार. (2012) *पोलिटिकल थ्योरी,* नई दिल्ली : पीअरसन।

बाबायन, नेल्ली और हुबर, डैनीएला हुबर. (2012). मोशन्ड, डिबेटेड, एग्रीड? ह्यूमन राइट्स एंड डेमोक्रेसी प्रोमोशन इन इंटरनेशनल अफेयर्स, URL : http//www.iai.it/sites./default/files/TW_WP_06.pdf, 2012.

बेलामी, रिचर्ड और मासोन, एंड्रू (2003). *पोलिटिकल कॉन्सेप्ट्स,* मेनचेस्टर : मेनचेस्टर यूनिवर्सिटी प्रेस.

डह्ल, रॉबर्ट (1989). *डेमोक्रेसी एंड इट्स क्रिटिक्स,* न्यू हवेन, सीटीः येल यूनिवर्सिटी प्रेस.

डायमंड, लेर्री (1997). इज द थर्ड वेव ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन ओवर? ऐन इम्पीरिकल असेसमेंट URL : https//kellogg.nd.edu/sites/default/files/old_files/documents/236.pdf.

Encylopedia Britannica.

गॉस, जी.ऍफ, और कुकाथस सी. (2004) हैंडबुक ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, लन्दन : सेज।

हेवुड एंड्रू (2007). *पॉलिटिक्स,* हम्पशायर : पल्ग्रेव मैकमिलन।

स्टैनफोर्ड इनसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसोफी।

जकारिया, फरीद (1997). *द राजज ऑफ इललिबरल डेमोक्रेसी* , फॉरेन अफेयर्स, नव. /दिस.,76:6।

8.5 बोध प्रश्नों के उत्तर

बोध प्रश्न 1

1) आपके उत्तर में निम्न बिंदु शामिल होने चाहिए :

- शब्दों के यूनानी मूल।
- प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में अंतर।
- जनता के द्वारा शासन।

बोध प्रश्न 2

1) आपका उत्तर लोकतंत्र के तंत्र और वास्तविक अभ्यास के बीच अंतर पर केन्द्रित होना चहिए।

बोध प्रश्न 3

1) आपका उत्तर निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा शासन पर केन्द्रित होना चाहिए।

बोध प्रश्न 4

1) आपका उत्तर मार्क्सवादी परंपरा के लोकतंत्र पर प्रभाव का विस्तृत वर्णन पर आधारित होना चाहिए।
2) आपका उत्तर वैश्वीकरण के लोकतंत्र पर प्रभाव पर केन्द्रित होना चाहिए।

बोध प्रश्न 5

1) आपके उत्तर में निम्न बातें शामिल होनी चाहिए :

- लोकतान्त्रिक शांति सिद्धांत।
- विदेश नीति के अपकरण के रूप में लोकतंत्र का संवर्धन।
- फ्रांसिस फुकुयामा की पुस्तक।

इकाई 9 लोकतन्त्र, प्रतिनिधित्व और उत्तरदायित्व*

संरचना

9.0 उद्देश्य

9.1 प्रस्तावना

9.2 लोकतंत्र में प्रतिनिधित्व

9.3 प्रतिनिधित्व के प्रकार

- 9.3.1 प्रादेशिक प्रतिनिधित्व
- 9.3.2 कार्यात्मक प्रतिनिधित्व

9.4 प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त

- 9.4.1 प्रतिक्रियावादी सिद्धान्त
- 9.4.2 रूढ़िवादी सिद्धान्त
- 9.4.3 उदारवादी सिद्धान्त
- 9.4.4 अतिवादी सिद्धान्त

9.5 प्रतिनिधि लोकतंत्र में चुनाव व्यवस्था

- 9.5.1 बाहुल्यवादी व्यवस्था
- 9.5.2 बहुसंख्यकवादी व्यवस्था
- 9.5.3 आनुपातिक व्यवस्था

9.6 उत्तरदायित्वः लोकतंत्र का मूलाधार

9.7 सारांश

9.8 संदर्भ

9.9 बोध प्रश्नों के उत्तर

9.0 उद्देश्य

इस इकाई में आप लोकतंत्र, प्रतिनिधित्व और उत्तरदायित्व तथा इन तीनों संकल्पनाओं के बीच सम्बन्धों का भी अध्ययन करेंगे। इस इकाई का अध्ययन करने के पश्चात् आपः

- लोकतंत्र के अर्थ को स्पष्ट कर सकेंगे;
- प्रतिनिधित्व और उत्तरदायित्व पर चर्चा कर सकेंगे; और
- इन तीन संकल्पनाओं के बीच सम्बन्धों की समीक्षा कर सकेंगे।

9.1 प्रस्तावना

"लोकतंत्र" शब्द का प्रयोग पश्चिमी राजनीतिक चिन्तन की परम्परा में प्राचीन युग से प्रयोग किया जाता रहा है। लोकतंत्र ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ राज्य होता है जिसमें नेताओं का चयन सामान्य लोगों में से किया जाता था। अतः यह "अभिजात वर्ग" से अलग है जिसका अर्थ विद्वानों का शासन था; "कुलीन तंत्र" से भी भिन्न है, जिसका अर्थ है, कुछ शक्तिशाली समूहों जैसे कि परिवार द्वारा शासन और यह "राजतंत्र" से भी अलग है जहाँ एक व्यक्ति द्वारा शासन होता है। लोकतंत्र में लोगों के द्वारा शासन किया जाता है। लोकतंत्र पर बल

*डॉ. रचना सुचिन्मयी, मगध विश्वविद्यालय

देने वाले अनेक विद्वान सरकार के स्वरूप को एक लोकतंत्र के रूप में सर्वोच्च व्यवस्था स्वीकार करते हैं, जैसे कि ऑस्टिन, जेम्स ब्रिस, ए. बी. डायसी, ए.एल. लोवेल्ल तथा जॉन सीली। लोकतंत्र सरकार का एक प्राथमिक स्वरूप ही नहीं है, बल्कि एक लोकतांत्रिक सरकार लोकतांत्रिक राज्य में समाहित होती है। लोकतांत्रिक राज्य का अर्थ यह है कि यह एक समुदाय है, इसके पास सम्पूर्ण प्रभुसत्ता और अधिकार है, और यह राज्य के सभी कार्यों के निष्पादन में नियंत्रण रखता है तथा उसका संचालन करता है। इसके अतिरिक्त, सरकार बनाने और किसी भी प्रकार के राज्य के निर्माण में लोकतंत्र में समाज के ही आदेशों का पालन किया जाएगा। एक लोकतांत्रिक समाज में समानता और बन्धुत्व की भावना परिलक्षित होना एक अनिवार्य तत्व है। आधुनिक विश्व में लोकतंत्र आकर्षण का केन्द्र बन गया है, विशेषकर बीसवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में समकालीन राज्यों में, क्योंकि सामयिक राज्य की प्रकृति और कार्यशैली की वजह से है।

आदर्श रूप में, सरकार में प्रतिनिधित्व तथा उत्तरदायित्व की भावनाओं का समावेश होना आवश्यक है। प्रतिनिधित्व का अर्थ होता है कि इसके नीति निर्माण में नागरिकों के हितों का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होती है और उत्तरदायित्व का सिद्धान्त यह कि अपने कार्यों और व्यवहार में नागरिकों के प्रति जवाबदेही होना आवश्यक है तथा उनकी माँगों पर समुचित अनुक्रिया करना भी आवश्यक होता है। इसमें निर्वाचन व्यवस्था महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि इसी ने निश्चित करना है कि एक सरकार अपने प्रतिनिधियों और उनके उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य संचालन में किस तरह से क्रियान्वयन करती हैं। एक प्रतिनिधित्व लोकतंत्र में चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा निर्णय लिए जाते हैं और इनके निष्पादन के लिए कर्मचारियों व अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है, जो उनको सौंपे गए कार्यों को पूरा करते हैं। सरकार के प्रतिनिधि ही यह निर्णय लेते हैं कि नागरिकों को क्या करना है और क्या नहीं करना है तथा उनके द्वारा लिए गए निर्णयों को लागू करने या पालन करने के लिए अपने नागरिकों पर दबाव डाल सकते हैं। यहाँ पर यह प्रश्न उठता है कि प्रतिनिधियों को शासन करने के लिए अधिकार क्यों दिए जाएँगे? इसका अर्थ यह है कि वे अपनी शक्ति का प्रयोग दूसरों के हितों को सुरक्षित रखने तथा अपने नागरिकों या कम से कम बहुसंख्यक लोगों का हित साधने में अपना भरसक योगदान करेंगे। इसका अर्थ यह निकलता है कि प्रतिनिधियों को क्या करना हैः वे अपनी ओर से लोगों के हितों को पूरा करने के लिए कार्य करेंगे। उत्तरदायित्व लोकतंत्र के सिद्धान्त की बहुत ही प्रसिद्ध संकल्पना है। अधिकतर प्रायः उत्तरदायित्व की पहचान चुनाव के साथ ही होती है; अथवा उनको पकड़ने की जो लोगों की जिम्मेदारी के साथ सरकार की सत्ता पर आसीन हुए हैं। उस समय यह वास्तव में पता नहीं लगता है कि लोकतंत्र की हमारी समझ में ये लोग कितना योगदान दे सकेंगे। सरकार तब ही उत्तरदायी हो सकती है, जब यदि मतदाता अपना यह निर्णय लें कि क्या सरकारें उनके हितों के लिए कार्य कर रही हैं और वे समुचित रूप से उसकी अनुमति दे। ऐसा इसलिए ताकि जिन प्रतिनिधियों ने लोगों के हितों के कार्य किए, वे चुनाव पुनः जीत जाएँ और जिन्होंने लोगों के हितों को नजरअंदाज किया, वे चुनाव हार जाएँ।

प्रत्यक्ष लोकतंत्र अथवा शुद्ध लोकतंत्र, यह लोकतंत्र का वह प्रकार होता है जहाँ पर लोग सीधे ही सरकार पर शासन करते हैं। इसके लिए राजनीति में नागरिकों की व्यापक भागीदारी की आवश्यकता होती है। एथेंस का लोकतंत्र या प्राचीन लोकतंत्र का अर्थ प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, जिसका विकास एथेंस के नगर राज्य ग्रीस में प्राचीन काल में हुआ था। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में नागरिक बिना किसी मध्यस्थ के चुने जाते हैं, या फिर अधिकारियों का चयन भी सीधे ही किया जाता है, जो सार्वजनिक निर्णय लेने में भागीदारी करते हैं अथवा निर्णय लेने में शामिल होते हैं। अतः प्रत्यक्ष या सीधे लोकतंत्र में सरकार और शासित लोगों के बीच

दूरी नहीं होती है तथा राज्य और नागरिक समाज के मध्य में भी सीधा सम्बन्ध होता है। यह एक प्रसिद्ध स्वयं-सरकार व्यवस्था है। दूसरे प्रकार के लोकतंत्र जिसे प्रतिनिधिक लोकतंत्र कहते हैं, इस राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना मध्यस्थ राजनीतिक अभिकर्त्ता तथा व्यक्ति के बीच होती हैं। यहाँ एक चुनावी प्रक्रिया के माध्यम से एक व्यक्ति या लोगों के समूह को निर्वाचित किया जाता है और उस व्यक्ति या समूह को नागरिकों के समूह की ओर से कार्य निष्पादन करने होते हैं जिन्होंने उनका चयन किया है अथवा उनको सरकार के संचालन के लिए निर्वाचित किया है।

9.2 लोकतंत्र में प्रतिनिधित्व

लोकतंत्र और प्रतिनिधित्व एक-दूसरे से संबंधित है। लोकतंत्र के अंतर्गत सरकारें प्रतिनिधियों से निर्मित होती हैं, क्योंकि उनको चुना जाता है। यदि चुनाव स्वतंत्रतापूर्ण लड़ा गया है, और यदि भागीदारी व्यापक रूप से रही है, और नागरिक राजनीतिक स्वतंत्रता का पूरा लाभ उठाते हैं, इस स्थिति में सरकार जो भी कार्य करेगी, वे कार्य लोगों के हित में होंगे। प्रत्यक्ष लोकतंत्र की समस्या यह है कि विभिन्न मंचों पर हमें अपने आप का प्रतिनिधित्व करना पड़ता है, इसलिए अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि लोकतंत्र को लाया गया है। प्रतिनिधित्व वह प्रक्रिया है जिसमें समस्त नागरिक या उनका कोई समूह सरकार पर राजनीतिक शक्ति और प्रभाव रखते हैं। उनकी स्वयं की अनुमति से यह प्रभाव उनमें से कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं जिसका पालन संपूर्ण समुदाय जिसका प्रतिनिधित्व हुआ है, उसके लिए अनिवार्य है। इसी प्रकार से, प्रतिनिधित्व सरकार के सम्बन्ध में यह माना जाता है कि यह "सभी लोगों का प्रतिनिधित्व" करती है या इसके काफी सारे लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। यह लोगों के द्वारा एक निश्चित समय के लिए चुने गए अपने उप अधिकारियों के माध्यम से नियंत्रण का इस्तेमाल करती है। इसके संदर्भ में, जे.एस. मिल अपना तर्क प्रस्तुत करते हैं कि लोगों के पास यह अन्तिम शक्ति अपनी संपूर्णता में वे जब भी चाहें, उन्हें सरकार के संचालन का मालिक होना चाहिए। संकल्पनात्मक रूप से एक उदार लोकतंत्र में प्रतिनिधित्व के पाँच आवश्यक सिद्धान्त हैं, जिनके नाम निम्न प्रकार से हैं:

- अंतिम शक्ति लोगों में निहित होती है (संप्रभुता का लोकप्रिय सिद्धान्त);
- इस लोकप्रिय शक्ति का प्रयोग कुछ चुनिंदा लोगों द्वारा काफी सारे लोगों के लिए होता है (प्रतिनियुक्ति का सिद्धान्त)।
- सामयिक चुनावों द्वारा लोग अपने द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों को शासन का आदेश देते हैं (लोकप्रिय सहमति का सिद्धान्त)।
- चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा जो फैसले किए जाते हैं और जो कार्य किए जाते हैं, वे समुदाय के लिए अनिवार्य हैं (शासन का सिद्धान्त); तथा
- अंतिम स्वामी होने के नाते, लोग ही सरकार तथा अपने प्रतिनिधियों के प्रदर्शन का आकलन करते हैं (उत्तरदायित्व का सिद्धान्त)।

एडमंड बर्क, एक अंग्रेज़ दार्शनिक तथा राजनीतिज्ञ ने तर्क प्रस्तुत किया है कि एक प्रतिनिधि को चार चीज़ों से मार्गदर्शन लेना जाना चाहिए। ये हैं – निर्वाचन क्षेत्र के विचार, तर्कशील निर्णय, राष्ट्रीय हित तथा व्यक्तिगत धारणा या अंतर्विवेक। आधुनिक विश्व में अधिकतर लोग अपने प्रतिनिधि को बर्क की व्याख्या से माध्यम से देखते हैं – एक व्यक्ति जिसके पास विवेक है और जो स्थानीय, राष्ट्रीय तथा व्यक्तिगत अनिवार्यताओं का उत्तर आशानुरूप देगा। जबसे प्रतिनिधित्व के संस्थानों की स्थापना हुई है, उनकी मूल आधारिक संरचना एक जैसी ही है:

- शासक, वे जो शासन करते हैं उनका चयन चुनाव के माध्यम से होता है।
- जबकि नागरिक हमेशा चर्चा करने, आलोचना करने और माँग करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, वे सरकार को कानून रूप से बाध्य करने वाले निर्देश नहीं दे सकते।
- शासकों को सामयिक चुनावों का सामना करना पड़ेगा।

विभिन्न देशों में संविधानों और सहायक विधानों को स्थानीय और राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर प्रतिनिधित्व के कार्यों को उजागर करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। उन्हें सामान्य सर्वविदित कार्य करने होते हैं जैसे कि कानून/अध्यादेश/उपविधि का निर्माण, राजस्व में वृद्धि करना, तथा बजट को प्राधिकृत करना। हालाँकि, प्रतिनिधि (उदाहरण के लिए संसद सदस्य और पार्षद) कई और कार्य करते हैं जो परम्पराओं से चले आ रहे हैं, जैसे मतदाताओं की आकांक्षाओं को पूर्ण करना, व्यक्तिगत धारणाओं के द्वारा स्वीकृत या अनुमोदित कार्यों को पूरा करना तथा यह सत्य कि ये लोग "नेता" हैं।

चूँकि प्रतिनिधित्व का मतलब नागरिकों के सर्वोत्तम हितों के सम्बन्ध में इनका प्रतिनिधित्व होता है। फिर भी अभी तक हितों का विरोध बना हुआ है। इस स्थिति में सरकार विभिन्न प्रकार के हित लाभों को प्रस्तुत करती हैः

- एक सरकार तब ही प्रतिनिधित्व करती है, यदि इसके पास सर्वोत्तम ज्ञान उपलब्ध है और यदि व्यक्तियों को अच्छी तरह से सूचित किया जाता है ताकि वे सही निर्णय तक पहुँच सकें। यह सूचना मतदाताओं की प्रधानता से प्रकट होती है। इस प्रकार की स्थितियों में, सरकार वैयक्तिक हितों को प्रस्तुत कर सकती है, क्योंकि सामान्य हित कुछ नहीं बल्कि उनका सारांश ही होता है।
- सरकार उस एक हित को प्रस्तुत कर सकती है, जो सामूहिक है, इस अर्थ में कि प्रत्येक व्यक्ति केन्द्रीकृत निर्णय प्रणाली में बेहतर स्थिति में होगा। यदि हर व्यक्ति अपने हितों का साधन स्वयं करता तो उनकी स्थिति बदतर होती। लोक हित के लिए लोगों पर बल का इस्तेमाल करना पड़ता है। ऐसी स्थितियों में सरकार एक प्रतिनिधि होती है, जब यह सामूहिक हितों को प्राप्त करने के लिए प्रयास करती है।
- जब हितों की संरचना कुछ इस प्रकार होती है कि कोई भी कार्य व्यक्तियों को संघर्ष की स्थिति में ला देता है, ऐसी स्थिति में जो सरकार बहुसंख्यक लोगों के हितों को अल्पसंख्यकों के हितों की कीमत पर पूरा करने की कोशिश करती हैं, वह सरकार प्रतिनिधि सरकार है। बहुसंख्य शासन, अंत में इसी बारे में है।

बोध प्रश्न 1

टिप्पणीः क) अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिए।

ख) अपने उत्तर का मिलान इकाई के अंत में दिए गए उत्तर से करें।

1) उदार लोकतंत्र में प्रतिनिधित्व के आवश्यक सिद्धान्त क्या हैं?

.....

.....

.....

.....

.....

9.3 प्रतिनिधित्व के प्रकार

एक प्रतिनिधि लोकतंत्र में लिंग, जाति या धर्म के आधार पर बिना किसी भेदभाव के सार्वजनिक वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रायः चुनाव पूरे किए जाते हैं। समुदाय के सभी मतदाताओं को सामूहिक रूप से "निर्वाचक" के रूप में वर्णित किया जाता है। वे दो प्रकार की पद्धति के आधार पर अपने प्रतिनिधियों का चयन करते हैं:

9.3.1 प्रादेशिक प्रतिनिधित्व

प्रादेशिक प्रतिनिधित्व के अंतर्गत, देश को भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जिसे संसदीय क्षेत्र या चुनाव क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। प्रत्येक चुनाव क्षेत्र से मतदाता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। यह व्यवस्था इस अनुमान पर आधारित होती है कि प्रत्येक चुनाव क्षेत्र का एक समान हित होता है। परन्तु जनसंख्या विभिन्न समूहों और विभिन्न हितों में विभक्त है, इसलिए कार्यात्मक प्रतिनिधित्व को प्रस्तुत करना पड़ता है।

9.3.2 कार्यात्मक प्रतिनिधित्व

इससे अभिप्राय है कि विभिन्न व्यवसायों या कार्यों से सम्बन्धित लोगों को इसी आधार पर अपने प्रतिनिधियों को चुनने की इजाजत हो। उदाहरण के लिए, जो लोग औद्योगिक क्षेत्र में कार्यरत हैं, वे औद्योगिक नीति पर अपना मत देंगे, कृषि क्षेत्र में कार्यरत लोग कृषिगत नीतियों पर अपना मत देंगे और अन्य नीतियों पर उनसे राय नहीं ली जाएगी। कार्यात्मक प्रतिनिधित्व के प्रमुख विद्वान तर्क प्रस्तुत करते हैं कि एक विशिष्ट प्रदेश के प्रतिनिधि अपने अंतर्गत सभी सामाजिक वर्गों का ख्याल नहीं रख सकते। इसलिए लोगों को व्यावसायिक तथा विशिष्ट आर्थिक हितों के आधार पर प्रतिनिधियों का चुनाव करना चाहिए। इस प्रकार की प्रतिनिधि चुनने की व्यवस्था अधिनायकवादी देशों में आजमाई जा चुकी है।

9.4 प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त

प्रतिनिधित्व के विभिन्न सिद्धान्त नीति निर्माण में लोगों के प्रतिनिधियों की भूमिका, उनके प्राधिकरण के कार्य और इसकी सीमाओं पर प्रकाश डालते हैं।

9.4.1 प्रतिक्रियावादी सिद्धान्त

प्रतिक्रियावादी सिद्धान्त राजनीतिज्ञों की सर्वश्रेष्ठ जानकारी और बुद्धिमत्ता पर आधारित है, जिन्हें सार्वजनिक हितों का सबसे बड़ा संरक्षक माना जाता है। हालाँकि, यहाँ पर प्रतिनिधियों की भूमिका यहाँ सीमित होती है, लोकप्रिय भावनाओं पर विचार और फैसला करने के लिए। यह, असल में, संभ्रातवादी सिद्धान्त हैं जिसमें सार्वजनिक नियंत्रण का प्रावधान नहीं है। इसके प्रमुख प्रतिपादक, थॉमस हॉब्बस और हैमिल्टन का मानना है कि व्यवस्था और प्राधिकरण की सर्वोत्तम देखरेख कार्यकारिणी और संसद द्वारा ही की जा सकती है। यह सिद्धान्त तब तक ही लोकतान्त्रिक है, जब तक यह नीति निर्माण में लोक हित की प्राथमिकता स्वीकारता है।

9.4.2 रूढ़िवादी सिद्धान्त

रूढ़िवादी सिद्धान्त के प्रमुख प्रतिपादक, एडमंड बर्क और जेम्स मैडीसन, ने सरकार की प्रक्रिया में व्यापक भागीदारी को प्रोत्साहित किए बिना सार्वजनिक नियंत्रण के उपायों को स्वीकार किया है। यह लोगों को कुलीन समूहों से अपने प्रतिनिधि चुनने की इजाजत देता

है तथा निर्देशों के लिए उनकी अच्छी समझ पर निर्भर करता है। हालाँकि, प्रतिनिधियों द्वारा कार्य निष्पादनों में असफल होने की स्थिति में उनको बदला जा सकता है।

9.4.3 उदारवादी सिद्धान्त

जॉन लॉक तथा थॉमस ज़ेफरसन ने उदारवादी सिद्धान्त को लोकतंत्र की वास्तविक भावना के रूप में स्पष्ट किया है। यह सभी लोगों की समानता के सिद्धान्त को स्वीकार करते हुए कहता है कि सभी लोग शासन करने की समान क्षमता के साथ पैदा होते हैं। यह सिद्धान्त सभी जनों की बुद्धिमत्ता पर निर्भर है। अपने प्रतिनिधियों के साथ एक एजेंट जैसा व्यवहार करता है, जो अपने फैसलों को ठोस नीति में परिवर्तित करते हैं।

9.4.4 अतिवादी सिद्धान्त

अतिवादी सिद्धान्त के प्रमुख प्रतिपादक रुसो और नव-वामपंथी हैं, जो लोगों की बुद्धिमत्ता को सर्वोच्च सम्मान देते हैं और प्रतिनिधि सरकार का विरोध करने की हद तक जाते है। इनका मानना है कि लोगों की बुद्धिमत्ता प्रतिनिधि व्यवस्था से मन्द हो जाती है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र को ही वे केवल एक सच्ची लोकतांत्रिक सरकार मानते हैं। सारांश में यह कह सकते हैं कि प्रतिनिधित्व का अतिवादी सिद्धान्त प्रतिनिधित्व को ज्यादा महत्व नहीं देता है। रूढ़िवादी सिद्धान्त कुलीनों और जनता के बीच अन्तर पर अधिक बल देकर लोकतंत्र की भावना को समाप्त कर देता है। अतिवादी सिद्धान्त का दावा है कि यह सबसे प्रगतिशील सिद्धान्त है तथा लोगों को यह अत्यधिक महत्व देता है, परन्तु यह प्रतिनिधित्व को ही खारिज कर देता है। इसलिए, हम कह सकते हैं कि प्रतिनिधित्व का उदारवादी सिद्धान्त ही प्रतिनिधित्व लोकतंत्र के लिए अधिक उपयोगी है।

बोध प्रश्न 2

टिप्पणी: क) अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिए।

ख) अपने उत्तर का मिलान इकाई के अंत में दिए गए उत्तर से करें।

1) विभिन्न प्रतिनिधित्व के सिद्धान्तों को संक्षेप में स्पष्ट कीजिए।

.....

.....

.....

.....

.....

9.5 प्रतिनिधि लोकतंत्र में चुनाव व्यवस्था

प्रतिनिधि लोकतंत्र में आदर्श चुनाव व्यवस्था वह है जिसमें सभी नागरिकों को समान मूल्य मत देने का अधिकार प्रदत्त किया गया है। इसमें थोड़े से लोगों को छोड़कर मतदाताओं के संयुक्त समूहों को मतदान करना होता है जिसके माध्यम से यह लोग एक या एक से अधिक प्रतिनिधि शासन निकाय के लिए चुनते हैं। शासकीय निकायों में अनुमानित अनुपाती प्रतिनिधियों का चयन संयोग से होगा, जानबूझकर नहीं। चुनाव लोकतँत्र का एक साधन है, जो नागरिकों की पसंद को नीति निर्माताओं के व्यवहार से जोड़ने में सहायक हैं। यह राजनीतिक प्रतिनिधि और प्रतिनिधि लोकतंत्र के नियामक सिद्धान्तों का विषय है। राजनीतिक

प्रतिनिधित्व, लोकतंत्र की तरह ही एक विवादास्पद संकल्पना है और इसका अर्थ और निहितार्थ राजनीतिक प्रतिनिधित्व की एक नियामक राय से दूसरी पर निर्भर करता है।

प्रतिनिधित्व लोकतंत्र परस्पर गुंथे हुए अनेक सिद्धान्तों पर आधारित होता है, जो निम्न प्रकार हैं:

- सार्वभौमिक मताधिकार तथा गुप्त मतपत्रों पर आधारित नियमित, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होता है।
- प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिक दलों की मौजूदगी, जो चुनावी विकल्प देती है।
- स्वतंत्र न्यायिक व्यवस्था के माध्यम से चुनाव सम्बन्धी कानूनों का होना।
- बोलने तथा संस्था बनाने की स्वतंत्रता।
- चुनावी प्रत्याषी के रूप में खड़े होने की स्वतंत्रता।
- मतदाताओं द्वारा दिए गए मत और चुने गए प्रतिनिधियों के बीच न्यायोचित सम्बन्ध होना।
- सही, निष्पक्ष राजनीतिक सूचनाओं को उपलब्ध होना।

लोकतंत्र में चुनाव के प्रावधान से यह निश्चित होता है कि सरकार अपनी शक्तियों का प्रयोग शासित लोगों की इच्छा के अनुरूप करेगी। इसका अर्थ यह है कि चुनाव सरकार की प्राधिकारिता को विधिसम्मत बनाने का कार्य करता है। वास्तविक चुनाव की परीक्षा यह है कि क्या मतदाताओं के समक्ष उनकी इच्छानुसार प्रतिनिधि का चुनाव करने के लिए समुचित विकल्प मौजूद हैं। गुप्त मतपत्र लोकतंत्र के चुनावों में विशेष महत्व रखते हैं। निर्वाचन व्यवस्था निम्नलिखित पद्धतियों को प्रस्तुत करती है:

- मतदाता को अपने पसंदीदा उम्मीदवार या राजनीतिक पार्टी का चुनाव करना होता है।
- उम्मीदवार या राजनीतिक पार्टी के द्वारा प्राप्त मतों को सीटों और पदों को आबंटित किया जाता है।

व्यापक रूप से यह कहा जा सकता है कि लोकतांत्रिक पद्धति में निर्वाचन व्यवस्था के तीन प्रकारों की पहचान की गई है, वे निम्नलिखित हैं।

9.5.1 बाहुल्यवादी व्यवस्था

बाहुल्यवादी व्यवस्था के अंतर्गत, "फर्स्ट पॉस्ट द पोस्ट" के सिद्धान्त को लागू किया जाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि जिस उम्मीदवार को सबसे अधिक मत प्राप्त होंगे, उसे निर्वाचित कर दिया जाएगा। यह आवश्यक नहीं है कि पूर्ण बहुमत प्राप्त किया जाए यानि कुल वैध मतों का 50 प्रतिशत अथवा उस से अधिक प्राप्त करना। यह व्यवस्था ब्रिटिश हाऊस ऑफ कॉम्नस, अमरीकन हाऊस ऑफ रिप्रजेंटेटिव्स, इंडियन हाऊस ऑफ पीपल्स तथा लेजिस्लेटिव एसेम्बलीज़ में अपनाई जाती है। हालाँकि, सरल बहुमत की व्यवस्था निष्पक्ष दिखाई नहीं देती है, क्योंकि अल्पसंख्यक उम्मीदवार बहुत कम अंतर से हार सकते हैं। इसके साथ ही, विभिन्न राजनीतिक दलों को मिले मत उनके द्वारा जीती हुई सीटों के अनुरूप नहीं होते। इस व्यवस्था के समर्थक कहते हैं कि यह दो दल व्यवस्था को बढ़ावा देता है जिसमें शासक तथा विरोधी पार्टी में संतुलन बना रहता है। यह बहुसंख्यकों को अल्पसंख्यकों के लिए संवेदनशील बनाता है, अलगाववादी प्रवृत्ति को रोकता है तथा अल्पसंख्यकों को राष्ट्रीय मुख्यधारा से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करता है।

9.5.2 बहुसंख्यकवादी व्यवस्था

बहुसंख्यकवादी व्यवस्था या पद्धति में पूर्ण बहुमत की आवश्यकता होती है तथा विजेता को चुनने के लिए दो तरीकों का इस्तेमाल होता है।

- **वैकल्पिक मत व्यवस्था**

  इस व्यवस्था के अंतर्गत, मतदाता अपना मत देते समय उम्मीदवारों को अपी पसंद के मुताबिक क्रमवार तरीके से संकेत चिन्ह लगाएगा। यदि प्रथम पसंद मतों के आधार पर किसी को भी पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है, तो ऐसी स्थिति में जिस उम्मीदवार को सबसे कम प्रथम पसंद मत मिले हों, उसे खारिज कर दिया जाता है। वोट की अगली पसंद को उन उम्मीदवारों की प्रथम पसंद में जोड़ दिया जाता है। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कोई व्यक्ति सम्पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं कर लेता है। यह प्रक्रिया भारत, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में प्रचलित है।

- **द्वितीय मतपत्र व्यवस्था**

  इस व्यवस्था में मतदाता एक ही उम्मीदवार को एक मत देगा। यदि कोई भी उम्मीदवार पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं कर पाता है, ऐसी स्थिति में दूसरे मतपत्र के आधार पर उम्मीदवार की जीत का निर्णय किया जाएगा।

9.5.3 समानुपातिक व्यवस्था

इस व्यवस्था को संसदीय क्षेत्रों में बहु सदस्यों के चुनावों में अपनाया जाता है, ताकि अल्पसंख्यकों और बहुसंख्यकों का निष्पक्ष रूप से प्रतिनिधित्व हो। यह एक जटिल व्यवस्था है जिसमें अनेक पद्धतियों को अपनाया जाता है, जैसे कि:

- **सूची व्यवस्थाः** इस व्यवस्था के अंतर्गत, मतपत्र में विभिन्न राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों की एक सूची लगी होती है और मतदाता को अपनी इच्छानुसार एक सूची चुनने होती है। विभिन्न पद्धतियों द्वारा प्रति सूची सीटों की गणना होती है। सूची व्यवस्था को जर्मनी, इटालियन चैम्बर ऑफ डिप्टीज, द कन्ग्रेसेट ऑफ इज़राइल, द स्विस नेशनल कांउसिल और लेजिस्लेचर ऑफ फिनलैंड के राष्ट्रीय चुनावों में प्रयोग किया जाता है।

- **एकल हस्तांतरणीय मत :** प्रत्येक संसदीय क्षेत्र के लिए एक कोटा स्थापित किया जाता है जो प्रायः कुल वैध मतों की संख्या को कुल सीटों की संख्या से विभाजित किया जाता है और इसमें एक और मत को भी जोड़ दिया जाता है। एक उम्मीदवार जो प्रथम प्राथमिकता के आधार पर निर्वाचन कोटा या इससे अधिक मत प्राप्त करता है, उसको विजयी घोषित कर दिया जाता है। जो अतिरिक्त मत होंगे, वे उन उम्मीदवारों में पुनः वितरित कर दिए जाते हैं जिनको इन मतदाताओं ने अपनी अगली पसंद बनाया था। जिस उम्मीदवार को सबसे कम प्रथम पसंद के मत मिलते हैं, उसे खारिज कर दिया जाता है। उसके मतदाताओं की अगली पसंद को उन उम्मीदवारों की प्रथम पसंद में जोड़ दिया जाता है। पुनर्वितरण की यह प्रक्रिया तब तक चालू रखी जाती है, जब तक उतने उम्मीदवार निर्वाचन कोटा प्राप्त नहीं कर लेते, जितनी सीट उपलब्ध हैं। प्रतिनिधित्व की यह व्यवस्था द आइरिश रिपब्लिक तथा माल्टा में अपनाई जाती है। इस व्यवस्था के अंतर्गत, सभी तरह के समूह जैसे कि महिलाएँ, विभिन्न हित और विचारधाराएँ इसमें प्रतिनिधित्व पाती हैं, परन्तु इसमें अनेक विविधताएँ होने के कारण यह व्यवस्था स्पष्ट बहुमत देने में असफल रहती है, जिसके परिणामस्वरूप

अस्थिर और अप्रभावी गठबंधन बनते हैं। यह व्यवस्था राष्ट्रीय एकीकरण के सम्बन्ध में सफल नहीं मानी जा सकती है।

बोध प्रश्न 3

टिप्पणीः क) अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिए।

ख) अपने उत्तर का मिलान इकाई के अंत में दिए गए उत्तर से करें।

1) आप चुनाव के "फर्स्ट पॉस्ट द पोस्ट" की व्यवस्था से क्या समझते हैं?

.....

.....

.....

.....

.....

9.6 उत्तरदायित्वः लोकतंत्र का मूलाधार

उदारवादी प्रतिनिधित्व लोकतंत्र तथा अन्य प्रकार के शासन को अलग करने वाला एक तत्व यह है कि उदारवादी शासनों में राजनीतिक शक्ति के प्राधिकरण का एक संस्थागत ढाँचा होता है, साथ ही एक ऐसा ढाँचा भी होता है जो अधिकृत एजेंटों का उत्तरदायित्व निर्धारित करता है। प्रतिनिधि वह कोई भी हो सकता है, जो निर्वाचक मण्डल द्वारा प्राधिकृत किया जाता है। जहाँ तक यह बात है कि प्रतिनिधि लोकतंत्र में राजनीतिक प्रतिनिधि और नागरिकों के बीच मूल अन्तर या दूरी स्थापित हो जाती है, इसके लिए संस्थागत रचनातंत्र की आवश्यकता होती है जो निश्चित करता है कि इस दूरी की वजह से अनुत्तरदायी या अवैध सरकार स्थापित न हो जाए। उत्तरदायित्व की संकल्पना का मुख्य प्रश्न है कि प्रतिनिधि और जिनका वह प्रतिनिधित्व कर रहा है, उनके बीच का अन्तर किस प्रकार से कम किया जाए, जबकि इसके साथ ही राजनीतिक प्राधिकारियों और नागरिकों के बीच अन्तर का संरक्षण किया जाए, क्योंकि यह प्रतिनिधित्व के सम्बन्धों की विशेषता है।

किसी भी लोकतांत्रिक राज्य में उत्तरदायित्व के दो प्रमुख सम्बन्ध होते हैंः एक वे जो नागरिकों और राजनीतिज्ञों के बीच आदान-प्रदान को संचालित करते हैं तथा वे जो सार्वजनिक पदों को धारण करने वालों की क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। उत्तरदायित्व की संकल्पना का अर्थ यह सुनिश्चित करने की योग्यता कि लोग अधिकारी अपने व्यवहार के लिए जवाबदेह हैं। इसमें यह विचार निहित है कि वे अपने निर्णय जो उन्होंने लिए हैं उनकी सूचना दें तथा अपने निर्णयों की न्यायोचित्ता को सिद्ध करें और अंत में, उन निर्णयों के लिए प्रतिबंधित किए जाएँ।

लोकतांत्रिक उत्तरदायित्व का मतलब अनेक प्रकार के तरीकों से हैं, जिसमें नागरिक, राजनीतिक पार्टियाँ, संसद तथा अन्य लोकतांत्रिक अभिकर्त्ता अपनी प्रतिक्रिया, इनाम या प्रतिबंध उन अधिकारियों को दे सकते हैं जो लोक नीति का निर्माण तथा इसे लागू करते हैं। लोकतंत्र की अनेक परिभाषाएँ, निहितार्थ और परिणाम हैं, परन्तु उत्तरदायित्व सबसे महत्वपूर्ण अंगों में से एक है। नागरिकों की भागीदारी, राजनीतिक समानता, नागरिक चेतना, आत्मज्ञान, प्राधिकारियों की ओर से अच्छा व्यवहार, वैयक्तिक राजनीतिक क्षमता, संवैधानिक मानकों का सम्मान करना, मानव अधिकारों का संरक्षण, लोकमत के लिए उत्तरदायित्व, सामाजिक और आर्थिक समतलन और स्वतंत्रता – ये सब इस प्रकार की राजनीतिक

व्यवस्था से सम्बन्धित हैं। वह चाहे परिभाषा की विशेषताएँ हों या इसको उत्पादित करते हों – परन्तु वे सब आकस्मिक और भेद्य हो जाते हैं, यदि नागरिक अपने शासकों द्वारा लिए गए निर्णयों के लिए उनका उत्तरदायित्व नहीं ठहरा सकें।

परम्परागत संप्रभु, उदार तानाशाह या चुने हुए अनियंत्रित शासक कुछ समय के लिए ऊपर दिए गए कुछ उत्तरदायित्व के अंग या सभी को स्वीकार कर सकते हैं, परन्तु अगर उनका उत्तरदायित्व नहीं ठहराया जा सकता है तो वे इन "राजनीतिक रियायतों" को असंगत कह सकते हैं, और उन्हें अपनी मर्जी से वापस ले सकते हैं। उत्तरदायित्व की परिभाषा की खोज में, निम्नलिखित व्याख्याएँ इस अवधारणा को अर्थ प्रदान करती हैं:

- उत्तरदायित्वों में, नागरिकों और शासकों के बीच जिम्मदारियों तथा संभावित अनुदानों के परस्पर आदान-प्रदान की प्रक्रिया शामिल होती है। यह प्रक्रिया इस तथ्य से जटिल बन जाती है कि आमतौर पर ये दोनों विभिन्न तथा प्रतिस्पर्धात्मक प्रतिनिधि हैं।

- द्वितीय, उत्तरदायित्व की विषयवस्तु बिल्कुल भिन्न हो सकती है: नैतिक व्यवहार, वित्तीय सत्यनिष्ठा, सामाजिक सम्मान, लैंगिक सम्बन्ध, कार्यात्मक परस्पर निर्भरता, पारिवारिक बाध्यताएँ, देशभक्तिपूर्ण कर्त्तव्य आदि। परंतु जो विशेष प्रकार से हमारी रुचि का है, वह राजनीतिक उत्तरदायित्व, जोकि असममित शक्ति के प्रयोग का साथ दे सकती है।

- तृतीय, सभी तरह के स्थायी राजनीतिक शासन संभवतया, कुछ लोगों के प्रति पूर्वकथनीय उत्तरदायित्व रखते हैं। सुल्तानशाही निरंकुश शासकों की भी अपनी मंडली और संवर्ग होते हैं। सैन्य तानाशाहों की सेनाओं के अंगों के बीच जब विवाद होता है, उसको हल करने के लिए परिशद और जटिल व्यवस्थाएँ होती हैं। यहाँ तक कि संपूर्ण साम्राज्य भी ईश्वर के प्रति अपने उत्तरदायित्व की भावना को प्रकट करते हैं। राजनीतिक उत्तरदायित्व के शब्दों में, प्रत्येक नागरिक के पास अधिकार और कर्त्तव्य मौजूद हैं, जैसे कि भावी कार्यों के बारे सूचित होना, उनके लिए न्यायसंगत तर्कों को सुनना, और वे काम कैसे करते हैं उनके सम्बन्ध में निर्णय लेना। चूँकि उन्हें विशेष प्रतिनिधियों पर निर्भर रहना पड़ता है, इसलिए उनकी भूमिका और जटिल हो जाती है। ये विशेष प्रतिनिधि के एजेंट हैं जो प्रमुख भूमिका अदा करते हैं जब भी चुने हुए या नियुक्त किए हुए शासकों का उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने की बात आती है।

- राजनीतिक उत्तरदायित्व का प्रतिष्ठापन किया जाना चाहिए, यदि इससे प्रभावी तरीके से कार्य करना है। इसे स्थायी, आपस में समझ जाने वाले और पहले से स्थापित नियमों में इसे अंतः स्थापित करना पड़ेगा। इनमें से कुछेक को संविधान में सूत्रबद्ध किया जा सकता है, परन्तु राजनीतिक उत्तरदायित्व कानून, वित्तीय या नैतिक उत्तरदायित्व से अलग है। राजनीतिक उत्तरदायित्व केवल नकारात्मक ही नहीं है। शासकों के पास इस प्रकार की संभावना से बचने के लिए कई प्रकार के प्रावधान होते हैं। शासक वर्ग शासित लोगों की आशाओं को इतना समावेश कर लेते हैं कि उन्हें उत्तरदायित्व से कोई भय नहीं होता। जब उन्हें लोकप्रिय राय के विरुद्ध काम करना पड़ता है, यह उन्हें अधिक वैधता प्रदान करता है।

सरकारी उत्तरदायित्व को आवश्यकता होती है कि लोक अधिकारी, चाहे वे चुने हुए हों अथवा बिना चुने हुए हों, उन सबका यह कर्त्तव्य है कि उनके द्वारा लिए गए निर्णयों और किए गए कार्यों की व्याख्या नागरिकों को दें। सरकारी उत्तरदायित्व को अनेक रचनातंत्रों के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। यह राजनीतिक, कानूनी या प्रशासनिक रचनातंत्र

हो सकते हैं जिनका निर्माण भ्रष्टाचार से लड़ने और यह सुनिश्चित करने के लिए हुआ है कि लोक अधिकारी जिन लोगों की सेवा करते हैं, उनके प्रति जवाबदेह हैं। सरकारी उत्तरदायित्व को निम्नलिखित तरीकों से प्राप्त किया जा सकता हैः

- स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव।
- लोक अधिकारियों के राजनीतिक उत्तरदायित्व को निर्धारित करने के लिए यह निश्चित करना होगा कि क्या अधिकारी जिस पद पर कार्य कर रहा है, उस पर इसका चुनाव हुआ है या नियुक्ति कितनी बार उन्हें पुनः चुनाव का सामना करना पड़ता है तथा लोक पद पर वे कितनी अवधि तक रहेंगे।
- कानूनी उत्तरदायी के रचनातंत्र में सम्मिलित साधन जैसे कि संविधान, कानूनी अधिनियम, हुक्मनामा, नियम-विनियम जो कार्य निष्पादन को निर्देशित करते हैं, जैसे कि लोक अधिकारी क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। और नागरिक उन लोक अधिकारियों के विरुद्ध कैसे कार्य करें, जिनका काम संतोषजनक नहीं है। कानूनी उत्तरदायित्व के रचनातंत्र की सफलता के लिए एक स्वतंत्र न्याय व्यवस्था की नितांत आवश्यकता होती है। यही वह द्वार है, जिसके द्वारा पीड़ित नागरिक सरकार के खिलाफ दावा कर सकते हैं।
- प्रशासनिक उत्तरदायित्व रचनातंत्र में संस्थाओं या मंत्रालयों के अधीन कार्यालय, प्रशासनिक प्रक्रियाओं की प्रथाएँ सम्मिलित हैं। इनके माध्यम से नागरिकों के हितों के अनुरूप सरकारी पदाधिकारी अपने निर्णयों एवं कार्यों को सुनिश्चित करते हैं।
- चुनावी उत्तरदायित्व तब होता है जबः i) राजनीतिक परिणामों के लिए जवाबदेही का स्पष्ट रूप से उल्लेख हो, तथा ii) मतदाता प्रभावी रूप से उन्हें प्रतिबंधित कर सकें, जो उन परिणामों के लिए जिम्मेदार हैं।

बोध प्रश्न 4

टिप्पणीः क) अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिए।

ख) अपने उत्तर का मिलान इकाई के अंत में दिए गए उत्तर से करें।

1) एक लोकतंत्र में उत्तरदायित्व से आप क्या समझते हैं?

.....

.....

.....

.....

.....

9.7 सारांश

उदारावादी प्रतिनिधि लोकतंत्र तथा अन्य प्रकार के शासन को अलग करने वाला तत्व यह है कि उदारावादी शासनों में राजनीतिक शक्ति के प्राधिकरण का संस्थागत ढाँचा होता है, साथ ही एक ऐसा ढाँचा भी होता है जो अधिकृत एजेंटों का उत्तरदायित्व निर्धारित करता है। प्रतिनिधित्व वह कोई भी हो सकता है जो निर्वाचक मण्डल द्वारा प्राधिकृत किया जाता है। जहाँ तक यह बात है कि प्रतिनिधि लोकतंत्र में राजनीतिक प्रतिनिधि और नागरिकों के बीच मूल अन्तर या दूरी स्थापित हो जाती है, इसके लिए संस्थागत रचनातंत्र की

आवश्यकता होती है। यह सुनिश्चित करता है कि दूरी की वजह से उत्तरदायी या अवैध सरकार स्थापित न हो जाए। उत्तरदायित्व की संकल्पना का मुख्य प्रश्न है कि प्रतिनिधि और जिनका वह प्रतिनिधित्व कर रहा है, उनके बीच का अन्तर किस प्रकार से कम किया जाए, जबकि इसके साथ ही राजनीतिक प्राधिकारियों और नागरिकों के बीच अन्तर का संरक्षण किया जाए क्योंकि यह प्रतिनिधित्व के सम्बन्धों की विशेषता है।

राजनीतिक उत्तरदायित्व की धारणा लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व की संकल्पना के साथ जुड़ी हुई है। यह एक विशिष्ट सम्बन्ध को दर्शाती है, जहाँ पर एक प्रतिनिधि निकाय प्राधिकरण का प्रतिनिधित्व करती हैं, यहाँ पर चुने हुए प्रतिनिधियों के ऊपर उन लोगों की अंतिम शक्ति है जिनका वे प्रतिनिधित्व करते हैं। एक सरकार राजनीतिक आधार तभी उत्तरदायी होती हैं, यदि नागरिकों के पास अनुत्तरदायी या ग़ैर जिम्मेदार प्रशासन को दण्ड देने के साधन हैं। प्रायः यह माना जाता है कि राजनीतिक दल राजनीतिक प्रतिनिधित्व की आवश्यक संस्थाओं में अपना प्रतिनिधित्व करते हैं। चुनाव राजनीतिक उत्तरदायित्व का प्रमुख साधन है जिसके माध्यम से नागरिक अपने प्रतिनिधियों को दंड या ईनाम देते हैं। नागरिकों के लिए चुनाव व्यवस्था एक नियमित साधन है, जिसके माध्यम से वे सरकार का उत्तरदायित्व निश्चित करते हैं। वे उन पदाधिकारियों को पद से हटा देते हैं जिन्होंने मतदाताओं के सर्वोत्तम हितों को नजरअंदाज किया या उन पदाधिकारियों को दोबारा चुन सकते हैं, जिन्होंने मतदाताओं के हितों का ख्याल रखा।

9.8 संदर्भ

अब्बास, होयेदा एवं कुमार, रंजय (2012), *पॉलिटिक्ल थ्योरी,* नई दिल्लीः पीयरसन।

बेह्न, रॉबर्ट डी. (2001), *रिथिंकिंग डेमोक्रेटिक एकाउंटेबिलिटी*, वाशिंगटन, डी.सी.: ब्रुकिंग इंस्टीट्यूट प्रेस।

बेल्लामी, रिचर्ड एवं मैसन, एड्रेव्यू (2003), *पॉलिटिक्ल कांसैप्ट्स,* मैनचेस्टर : यूनिवर्सिटी प्रेस।

बोवेन्स, एम. (2005), "पब्लिक एकाउंटेबिलिटी", इन *द ऑक्सफोर्ड हैंडबुक ऑफ पब्लिक मैनेजमेंट,* ऑक्सफोर्डः ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।

ड्राहल, रॉबर्ट (1989), *डेमोक्रेसी एंड इट्ज क्रिटिक्स,* न्यू हैवन, सी टीः येल यूनिवर्सिटी प्रेस।

डोडल, माइकल डब्ल्यू. (2006), *पब्लिक एकाउंटेबिलिटीः डिज़ाइन्स, डीलेम्मास एंड एक्सपेरियंस्स,* कैम्ब्रिजः कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस।

गोल्डसवर्दी, जैफ्फारी डेनिस, (2010), *पार्लियामेंटरी सवरैनटीः कंट्मपेरेरी डिबेट्स,* कैम्ब्रिजः कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस।

हेवुड, एन्ड्यू (2007), *पॉलिटिक्स,* हैम्पशायरः पालग्रेव मैकमिलन।

रेनोलॉडस, एन्ड्यू. (संपा.) (2001), द *आर्किटेक्चर ऑफ डेमोक्रेसी,* ऑक्सफोर्डः ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।

9.9 बोध प्रश्नों के उत्तर

बोध प्रश्न 1

1) आपके उत्तर में पाँच सिद्धान्त, लोकप्रिय संप्रभु, प्रतिनियुक्ति, लोकप्रिय सहमति, शासन और उत्तरदायित्व का सिद्धान्त सम्मिलित होने चाहिए।

बोध प्रश्न 2

1) प्रतिक्रियावादी, रूढ़िवादी, उदारवादी और अतिवादी प्रतिनिधित्व के सिद्धान्तों पर प्रकाश डालिए।

बोध प्रश्न 3

1) कोई भी उम्मीदवार, जिसे सबसे अधिक मत मिलेंगे, उसे चुना जाएगा।

बोध प्रश्न 4

1) आपके उत्तर में निम्नलिखित बिन्दु सम्मिलित होने चाहिएः

- जिम्मेदारियों का परस्पर आदान-प्रदान तथा नागरिकों और शासकों के बीच संभावित अनुमोदन।
- सभी स्थायी राजनीतिक शासनों में कुछ लोगों के प्रति पूर्वकथनीय उत्तरदायित्व होते हैं।
- राजनीतिक उत्तरदायित्व को प्रभावी कार्यों के लिए संस्थापित किया जाना चाहिए।

ignou THE PEOPLE'S UNIVERSITY

इकाई 10 प्रतिनिधि लोकतंत्र और इसकी सीमाएं*

संरचना

10.0 उद्देश्य

10.1 परिचय

10.2 प्रतिनिधि लोकतंत्र क्या है?

10.2.1 सीमित और अप्रत्यक्ष

10.2.2 निर्वाचक लोकतंत्र का पर्याय

10.3 प्रतिनिधि लोकतंत्र के विभिन्न दृष्टिकोण

10.3.1 बहुलवादी

10.3.2 संभ्रांतवादी

10.3.3 प्रतिद्वंद्वी विचारधाराएं

10.4 प्रतिनिधि लोकतंत्र के मौलिक सिद्धांत

10.4.1 लोकप्रिय संप्रभुता

10.4.2 राजनीतिक समानता

10.4.3 राजनीतिक स्वतंत्रता

10.5 प्रतिनिधि लोकतंत्र व्यवहार में

10.6 लोकतंत्र और चुनाव

10.6.1 चुनाव प्रक्रिया

10.7 लोकतंत्र और अलगाव

10.8 लोकतंत्र और जनमत

10.9 लिंग और लोकतंत्र : सहभागिता और प्रतिनिधित्व

10.10 लोकतंत्र और इंटरनेट

10.11 सारांश

10.12 संदर्भ

10.13 बोध प्रश्नों के उत्तर

10.0 उद्देश्य

इस इकाई में आप प्रतिनिधि लोकतंत्र के बारे में पढ़ेंगे, यह लोकतंत्र का एक रूप है। जिससे हम भलीभाँति परिचित हैं। इस अध्याय को पढ़ने के बाद आप :

- प्रतिनिधि लोकतंत्र के अर्थ की व्याख्या कर पायेंगे;
- इसके विभिन्न विचारों पर चर्चा कर सकेंगे;
- प्रतिनिधि लोकतंत्र के मौलिक सिद्धांतों का विस्तृत ब्यौरा दे पायेंगे;
- लोकतंत्र-चुनाव के अंतर्निहित कारकों का परीक्षण कर पायेंगे; और
- प्रतिनिधि लोकतंत्र से संबंधित कुछ समकालीन और महत्त्वपूर्ण मुद्दों का आलोचनात्मक परीक्षण कर पाऐंगे।

*डॉ. सुरिन्दर कौर शुक्ला, पंजाब विश्वविद्यालय, चण्डीगढ़

10.1 परिचय

इस इकाई में हम दुनिया में प्रचलित लोकतंत्र के एक रूप, प्रतिनिधि लोकतंत्र के बारे में जान पायेंगे। जैसा कि इसके नाम से पता चलता है कि इस प्रकार के लोकतंत्र में नागरिक अपने प्रतिनिधियों को आवधिक चुनावों के द्वारा चुनते हैं। नागरिकों के यही प्रतिनिधि उनकी अपेक्षाओं को जनमंच, जैसे विधानमण्डलों में जोरदार शब्दों में प्रस्तुत करते हैं। आप प्रतिनिधि लोकतंत्र को निर्वाचक लोकतंत्र (electoral democracy) का पर्यावाची मान सकते हैं।

10.2 प्रतिनिधि लोकतंत्र क्या है?

10.2.1 सीमित और अप्रत्यक्ष

प्रतिनिधि लोकतंत्र, लोकतंत्र का सीमित और अप्रत्यक्ष रूप है : इसके सीमित अर्थ में सरकार में भागीदारी गैरमामूली तथा संक्षिप्त होती है और प्रत्येक कुछ सालों में मत देने के अधिनियम से प्रतिबंधित होती है। इसके अप्रत्यक्ष अर्थ में जनता शक्ति का प्रयोग अपने आप नहीं करती है, लेकिन जनता उनको चुनती है, जो उनके पक्ष में शासन करेंगे। शासन का यह रूप प्रजातांत्रिक इस अर्थ में होता है कि प्रतिनिधित्व सरकार और शासित के बीच विश्वसनीय और प्रभावकारी संबंध स्थापित करता है।

प्रतिनिधि लोकतंत्र की खूबियों के अंतर्गत निम्नलिखित आते हैं :

- यह लोकतंत्र के व्यवहारिक रूप को प्रकट करता है क्यूँकि बड़ी जनसंख्या की सरकारी प्रक्रिया में वास्तविक सहभागिता नहीं हो सकती हैं।
- यह निर्णय लेने के भार से साधारण नागरिक को मुक्त करता है। इस प्रकार राजनीति में श्रम के विभाजन को संभव बनाता है।
- यह राजनीति से साधारण नागरिक को दूर रख कर स्थायित्व बरकरार रखता है। फलस्वरूप, उन्हें समझौतों को स्वीकार करने के लिये प्रोत्साहित करता है।

10.2.2 निर्वाचक लोकतंत्र का पर्याय

यद्यपि ये विशेषताएँ प्रतिनिधि लोकतंत्र की आवश्यक पूर्व शर्तें हो सकती हैं, इन्हें ही लोकतंत्र मान लेने की गलती नहीं करनी चाहिए। प्रतिनिधि लोकतंत्र में प्रजातांत्रिक गुण, लोकप्रिय सहमति की विचारधारा है, जिसको मतदान के द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है।

इस प्रकार, प्रतिनिधि लोकतंत्र निर्वाचक लोकतंत्र का एक रूप होता है, जिसके अंतर्गत लोकप्रिय चुनाव को राजनीतिक सत्ता के एकमात्र वैध स्रोत के रूप में देखा जाता है। ऐसे चुनावों को राजनीतिक समानता के सिद्धांत का सम्मान करना चाहिए, सर्वव्यापक वयस्क मताधिकार पर आधारित होना चाहिए, बिना जाति, रंग, मत, लिंग, धर्म या आर्थिक स्थिति के भेदभाव के आधार पर चुनावों को नियमित, खुला और स्पर्द्धात्मक होना चाहिए। प्रजातांत्रिक प्रक्रिया का सार है, राजनीतिज्ञों की नागरिकों के प्रति जवाबदेही।

संक्षेप में, प्रतिनिधि लोकतंत्र का सार इनमें निहित है :

- राजनीतिक बहुलवाद;
- राजनीतिक दर्शनों, आन्दोलनों, दलों के बीच खुली प्रतियोगिता और तदनुसार।

10.3 प्रतिनिधि लोकतंत्र के विभिन्न दृष्टिकोण

प्रतिनिधि लोकतंत्र के विभिन्न दृष्टिकोण हैं। सर्वप्रथम, प्रतिनिधि लोकतंत्र में राजनीतिक शक्ति का अंततः प्रयोग चुनाव के समय मतदाताओं द्वारा किया जाता है। इस प्रकार प्रतिनिधि लोकतंत्र का गुण अंधे विशिष्ट वर्ग के शासन की क्षमता के साथ राजनीतिक सहभागिता के महत्त्वपूर्ण माप में निहित है। सरकार राजनीतिज्ञों के सुपुर्द होती है, लेकिन ये राजनीतिज्ञ लोकप्रिय दबावों के अनुकूल होने को बाध्य होते हैं। साधारण तथ्य है कि जनता उन्हें जिस स्थान पर बैठाती है, बाद में उन्हें भी हटा देती है। मतदाता राजनीतिक बाजार में उसी प्रकार शक्ति का प्रयोग करता है, जैसा कि उपभोक्ता आर्थिक बाज़ार में करता है। जोसेफ शम्पीटर ने अपनी पुस्तक पूँजीवाद, समाजवाद और लोकतंत्र (1976) में, प्रतिनिधि लोकतंत्र का उल्लेख राजनीतिक निर्णय लेने में संस्थागत व्यवस्था के रूप में प्रस्तुत किया, जिसके अंतर्गत व्यक्ति लोगों के मत के लिए प्रतियोगी संघर्ष के आधार पर निर्णय करने की शक्ति प्राप्त करते हैं।

10.3.1 बहुलवादी

दूसरे दृष्टिकोण के अनुसार, लोकतंत्र स्वभाव से बहुलवादी होता है। इसके वृहद अर्थ में, बहुलवाद विविधता या अनेकावस्था के प्रति प्रतिबद्ध होता है। संकुचित अर्थ में, बहुलवाद राजनीतिक शक्ति को बाँटने का सिद्धांत है। यह मानता है कि शक्ति चारों तरफ और समान रूप से समाज में बिखरी होती है और न कि कुछ हाथों में, जैसा कि संभ्रांतवादी (Elitists) दावा करते हैं। इस आधार पर बहुलवाद समान्यतया ''राजनीति'' समूह के सिद्धांत के रूप में देखा जाता है, जिसके अंतर्गत व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व संगठित समूहों, जातीय समूहों के सदस्यों के रूप में किया जाता है और इन समूहों की नीति-निर्माण प्रक्रिया तक पहुँच होती है।

10.3.2 संभ्रांतवादी

यहां तात्पर्य एक ऐसे अल्पसंख्यक वर्ग से है, जिनके पास शक्ति, धन या सुविधा औचित्यपूर्ण या अन्य प्रकार से केन्द्रित होते हैं। संभ्रांतवादी विशिष्ट वर्ग या अल्पसंख्यक के शासन में विश्वास करना है। क्लासिक (Classic) संभ्रांतवादी ने, जो कि मोस्का, पौरेटो और मिशेल द्वारा विकसित हुआ, सामाजिक अस्तित्व के लिए विशिष्ट वर्ग के शासन को अनिवार्य और अपरिवर्त्तनशील तथ्य माना।

बहुसंख्यक शासन क्या है? कुछ लोग लोकतंत्र को बहुसंख्यक शासन मानते हैं।

बहुसंख्यक शासन एक चलन है, जिसकी प्राथमिकता बहुसंख्यकों की इच्छा मानना है। बहुसंख्यकवाद क्या है? बहुसंख्यकवाद अल्पसंख्यकों और व्यक्तियों की ओर उदासीनता को दर्शाता है।

10.3.3 प्रतिद्वंदी विचारधाराएँ

प्रतिनिधि लोकतंत्र के अर्थ और महत्त्व के संबंध में अनेक मतभेद हैं। विद्वानों द्वारा उठाये गये कुछ प्रश्न निम्न हैं :

- क्या यह राजनीतिक शक्ति के वास्तविक और सक्षम वितरण को सुनिश्चित करता है?
- क्या प्रजातांत्रिक प्रक्रियायें वास्तविक रूप से दीर्घकालीन लाभों को बढ़ावा देती हैं या स्व-पराजित (self-defeating) होती हैं?

- क्या राजनीतिक समानता आर्थिक समानता के साथ समायोजित हो सकती है?

संक्षेप में, प्रतिनिधि लोकतंत्र के विभिन्न सिद्धांतकारों ने अलग-अलग ढंग से व्याख्या की है। इन व्याख्याओं में सबसे प्रमुख है बहुलवाद, संभ्रांतवाद, नव-दक्षिणपंथ (new-right) और मार्क्सवाद। अनेक राजनीतिक चिन्तकों ने प्रतिनिधि लोकतंत्र को राजनीतिक संगठन के प्रत्येक अन्य रूप से साधारणतया श्रेष्ठ माना है। कुछ विचारक तर्क देते हैं, कि प्रतिनिधि लोकतंत्र सरकार का एक प्रकार होता है, जो मानवीय अधिकारों की सबसे अच्छी तरह से रक्षा करता है, क्योंकि यह मानवीय आन्तरिक मूल्य और समानता के पहचान पर आधारित है। कुछ लोग मानते हैं कि लोकतंत्र सरकार का एक प्रकार है जो अधिकतर विवेकपूर्ण निर्णय लेता है, क्योंकि यह सामूहिक ज्ञान और समाज की पूरी जनसंख्या की विशेषता से लाभ उठा सकता है। दूसरे व्यक्तियों का मत है कि लोकतंत्र स्थिर और टिकाऊ (स्थायी) होता है, क्योंकि उसमें निर्वाचित नेता वैधता की मजबूत कसौटी से बंधे होते हैं। अभी भी कुछ अन्य की मान्यता है कि प्रतिनिधि लोकतंत्र आर्थिक विकास और सम्पन्नता के लिए सबसे अनुकूल होता है। कुछ ऐसा मानते हैं कि प्रतिनिधि लोकतंत्र में मानव (क्योंकि वे स्वतंत्र होते हैं) अपनी प्राकृतिक क्षमताओं और प्रतिभाओं का विकास करने में सबसे योग्य होते हैं। फिर भी, लोकतंत्र एक ऐसा कार्य है, जो प्रगति में हैं, जो कि उभरती आकांक्षा है न कि एक तैयार उत्पाद।

बोध प्रश्न 1

टिप्पणी: क) अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिए।

ख) अपने उत्तर का मिलान इकाई के अंत में दिए गए उत्तर से करें।

1) प्रतिनिधि लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं?

.....

.....

.....

.....

.....

2) प्रतिनिधि लोकतंत्र के विभिन्न दृष्टिकोणों की चर्चा करें।

.....

.....

.....

.....

.....

10.4 प्रतिनिधि लोकतंत्र के मौलिक सिद्धांत

10.4.1 लोकप्रिय संप्रभुता

इसका अर्थ होता है कि सत्ता का अंतिम स्रोत जनता ही होती है, और सरकार वह कार्य करती है जो जनता चाहती है। चार प्रमुख शर्तों को लोकप्रिय संप्रभुता के अंतर्गत देखा जा सकता है :

- जनता की चाहत सरकारी नीतियों में झलकनी चाहिए।
- लोग राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेते हैं।
- सूचना उपलब्ध होती है और वाद-विवाद किया जाता है।
- बहुमत का शासन, अर्थात नीतियाँ बहुसंख्यक जनता की चाहत के आधार पर निर्धारित की जाती हैं।

10.4.2 राजनीतिक समानता

इस सिद्धांत के अनुसार, प्रत्येक व्यक्ति को बिना जाति, रंग, लिंग या धर्म के भेदभाव के आधार पर जन मामलों का निर्वहन करने में समान अधिकार प्राप्त होता है। लेकिन राजनीतिक विचारकों का मत था कि आर्थिक संदर्भ में ज्यादा असमानता अंततः राजनीतिक असमानता को जन्म दे सकती है। रॉबर्ट डॉल समस्या को इन शब्दों में व्यक्त करते हैं ''यदि नागरिक आर्थिक संसाधनों में असमान हैं– तो वे राजनीतिक संसाधनों में भी असमान होंगे; और राजनीतिक समानता को प्राप्त करना असंभव होगा''। आधुनिक समाज में खास बातें सूचना के नियंत्रण में असमान प्रभाव तथा चुनाव प्रचार में आर्थिक सहायता का है। यह असमान प्रभाव पूर्ण लोकतंत्र की प्राप्ति में एक सख्त रोड़ा है।

अरस्तु के अनुसार, लोकतंत्र के चलन के लिए एक आदर्श समाज वह था, जिसमें कि एकवृहद मध्यवर्ग हो– बिना एक अभिमानी और धनी तथा एक असंतुष्ट निर्धन वर्ग के।

10.4.3 राजनीतिक स्वतंत्रता

इस सिद्धांत के अनुसार, लोकतंत्र में नागरिकों की बुनियादी स्वतंत्रताओं जैसे कि बोलने की, मेलजोल करने की, विचरण और विवेक के प्रयोग में सरकार के हस्तक्षेप से रक्षा की जाती है। यह कहा जाता है कि स्वतंत्रता और लोकतंत्र को अलग नहीं किया जा सकता है। स्वशासन की अवधारणा सिर्फ मतदान के अधिकार, सार्वजनिक दफ़्तर चलाने के अधिकार तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अभिव्यक्ति का अधिकार किसी राजनीतिक दल, हित समूह समाजवादी लोकतंत्रया सामाजिक आन्दोलन का सदस्य बनने के अधिकार भी इसके अंतर्गत आते हैं।

लोकतंत्र के संचालन में, तथापि, यह उभर कर सामने आया है कि स्वतंत्रता इसका एक आवश्यक भाग होने की अपेक्षा इसके द्वारा खतरा महसूस कर सकती है। निम्न लोकतंत्र के विरुध मुख्य आलोचनाएँ है :

अ) **'बहुसंख्यक निरंकुशता' स्वतंत्रता को चुनौती देती है :** बहुसंख्यकता निरंकुशता का अर्थ है बहुसंख्यकों द्वारा अल्पसंख्यकों की स्वतंत्रताओं और अधिकारों का दमन। यह माना जाता है कि अनियंत्रित बहुसंख्यक शासन अल्पसंख्यकों के अधिकारों के लिए कोई स्थान नहीं छोड़ता है। फिर भी, बहुसंख्यकों की निरंकुशता के आतंक को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा सकता है। राबर्ट डॉल बताते हैं कि इस अवधारणा के पक्ष में कोई प्रमाण नहीं मिलता है कि जातीय और धार्मिक अल्पसंख्यकों के अधिकारों को राजनीतिक निर्णय-प्रक्रिया के वैकल्पिक अवस्थाओं के अंतर्गत अधिक सुरक्षा प्राप्त होती है।

ब) **लोकतंत्र बुरे निर्णय लेता है :** कुछ आलोचकों का मत है कि प्रतिनिधि लोकतंत्र, स्वभावतः बहुसंख्यकता का प्रतीक होता है, और इसलिए पूर्ण नहीं होता है। उनका कहना है कि इसकी कोई गारंटी नहीं है कि प्रतिनिधि लोकतंत्र सदैव ही अच्छे निर्णय

लेता है। बहुसंख्यक, अल्पसंख्यक के ही समान अज्ञानी, निर्दय और लापरवाह हो सकता है और अविवेकी या अयोग्य नेताओं द्वारा भ्रमित किया जा सकता है।

10.5 प्रतिनिधि लोकतंत्र व्यवहार में

इस जानकारी के बाद, अब हम प्रतिनिधि लोकतंत्र के वास्तविक कार्यकलाप पर दृष्टिपात करेंगे। कार्यकारी लोकतंत्र की मुख्य विशेषताएं हैं :

- स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव;
- मुक्त और जिम्मेदार सरकार;
- नागरिक और राजनीतिक अधिकार;

नीचे दिया गया स्तंभ इन विशेषताओं को अच्छी तरह से प्रकट करता है।

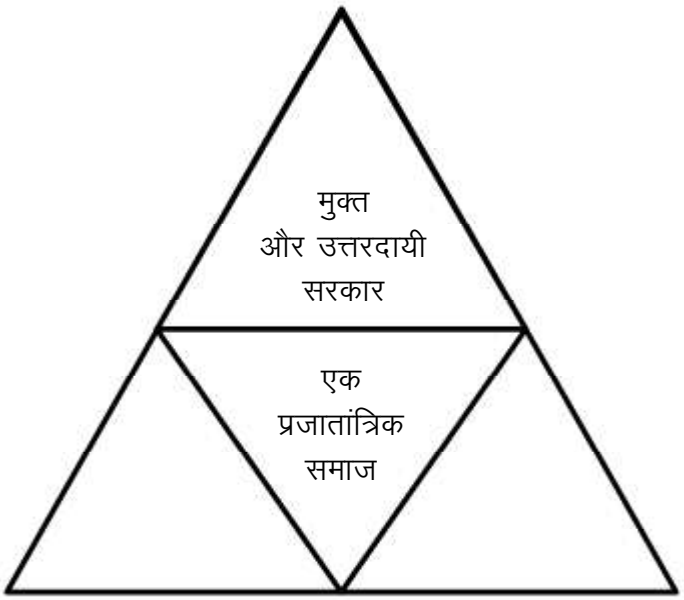

चित्र : एक प्रजातांत्रिक पिरामिड

स्रोत : *डेविड बोथम और केविन बॉयल (1995) : लोकतंत्र, पृष्ठ 28*

राजनीतिक दल : राजनीतिक दल राजनीतिक प्रक्रिया में निर्णायक भूमिका अदा करतेहैं। बड़े पैमाने पर, राजनीतिक दल प्रजातांत्रिक प्रणाली के कार्यशील चरित्र को उजागर करते हैं। वे प्रणाली की संस्थाओं की क्रियाशीलता की लिए प्रमुख राजनीतिक गति प्रदान करते हैं।

आर.जी. गेट्टेल के अनुसार, एक राजनीतिक दल में कम या ज्यादा संगठित नागरिकों का एक समूह होता है, जो राजनीतिक इकाई के रूप में कार्य करता है। अपने मताधिकार के प्रयोग के आधार पर उनका लक्ष्य सरकार पर नियंत्रण तथा अपनी सामान्य नीतियों को बढ़ावा देना होता है। एक राजनीतिक दल की कुछ अनिवार्य विशेषतायें हैं :

1) राजनीतिक दल संगठित करने वाले लोगों का मौलिक सिद्धांतों पर एक आम सहमति होती है।

2) वे अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए संवैधानिक तरीकों का इस्तेमाल करते हैं।

3) एक राजनीतिक दल का उद्देश्य समूह हित की अपेक्षा राष्ट्रीय हित को बढ़ावा देना होता है।

4) यह सार्वजनिक हित के उद्देश्य से राजनीतिक शक्ति को प्राप्त करता है।

राजनीतिक दल लोकतंत्र के आधार स्तंभ का निर्माण करते हैं और निम्नलिखित कार्यों का संपादन करते हैं :

i) *दल जनमत का निर्माण करते हैं :* राजनीतिक दल, जनता के फायदे के विभिन्न मुद्दें और समस्याएँ, जैसे आवास जीवन स्तर शिक्षा, विदेशी संबंधों, बजट इत्यादि कोजोरदार शब्दों में सरकार के समक्ष रखते हैं।

ii) *दल चुनाव संचालन में एक भूमिका निभाते हैं :* विधायिका का चुनाव दल के आधारपर होता है। राजनीतिक दल पार्टी टिकट के लिए उपयुक्त उम्मीदवार का चुनावकरते हैं। मतदान के दिन दल अधिक से अधिक मतदाताओं की भागीदारी को सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं।

iii) *राजनीतिक दल सरकार बनाते हैं :* दल, जो बहुमत प्राप्त करता है, वह सरकार बनाता है। यदि किसी भी दल को बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो दलों का एक मोर्चा, जोकिसंयुक्त मोर्चा के नाम से जाना जाता है, सरकार बनाता है।

iv) *विरोधी दल सरकार पर नियंत्रण रखता है :* विरोधी दल सरकार के कार्यों और नीतियों पर नजर रखता है और उसकी कमियों और असफलताओं को उजागर करता है।

v) *राजनीतिक दल सरकार और लोगों के बीच संपर्क का कार्य करते है :* पार्टियाँ सरकार की नीतियों के बारे में लोगों को बताती है तथा लोगों की प्रतिक्रिया को संसद तथा सार्वजनिक अधिकारियों तक पहुँचाते हैं।

vi) *राजनीतिक दल लोगों को शिक्षा देते हैं :* राजनीतिक दल लोगों को उनके राजनीतिक अधिकारों और सरकार में उनके हितों के प्रति सजग बनाते हैं।

vii) *राजनीतिक दल एकजुट शक्ति का कार्य करते हैं :* राजनीतिक दल विभिन्न भागों के देशवासियों, सभी वर्गों के लोगों का समर्थन पाने के लिए कटिबद्ध होते हैं। अतः वे एकता सूत्र का कार्य करते हैं।

बोध प्रश्न 2

टिप्पणी: क) अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिए।

ख) अपने उत्तर का मिलान इकाई के अंत में दिए गए उत्तर से करें।

1) लोकप्रिय संप्रभुता से आप क्या समझते हैं? अपने शब्दों में उत्तर दें।

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2) कार्यरत प्रतिनिधि लोकतंत्र पर एक निबंध लिखें।

.....

.....

.....

.....

.....

10.6 लोकतंत्र और चुनाव

आधुनिक प्रजातांत्रिक राज्यों में प्रतिनिधि सरकारें हैं। आधुनिक प्रजातांत्रिक राज्यों के लम्बे आकार और जनसंख्या के कारण सरकार के एक रूप में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का प्रयोग कठिन हो जाता है। फिर भी, सभी आधुनिक लोकतंत्रों में अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि सरकारें हैं, जिन्हें लोगों के द्वारा चुना जाता है। ये प्रतिनिधि चुनाव के माध्यम से लोगों के द्वारा चुने जाते हैं। इस प्रकार चुनाव आधुनिक प्रतिनिधि लोकतंत्र के निर्माण में बहुत महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चुनाव लोगों का समर्थन पाने के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच मुकाबला होता है। कभी कभी, एक व्यक्ति भी स्वतंत्र उम्मीदवार की तरह चुनाव लड़ सकता है।

पार्टी उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने के फायदे निम्न हैं :

i) राजनीतिक दल विशिष्ट नीतियों का अनुसरण करते हैं; अतः, जब एक उम्मीदवार दल का प्रतिनिधि होता है, मतदाताओं के लिए जानना आसान हो जाता है कि उसके कार्यक्रम क्या हैं।

ii) पार्टी उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार आयोजित करने के लिए राजनीतिक दलों से कोश प्राप्त होता है।

iii) उम्मीदवार को चुनाव के दौरान पार्टी के द्वारा कार्यकर्ता दिये जाते हैं।

iv) पार्टी के लोकप्रिय नेता दल उम्मीदवारों के लिए प्रचार करते हैं तथा उनकी चुनाव रैलियों को संबोधित करते हैं।

10.6.1 चुनाव प्रक्रिया

प्रजातांत्रिक प्रणाली में चुनाव समानता के सिद्धांत पर आधारित होता है, उदाहरणार्थ एक व्यक्ति, एक मत। सभी व्यक्तियों को बिना जाति, रंग, मत, लिंग, या धर्म के भेदभाव के खास राजनीतिक अधिकार प्राप्त हैं। इन अधिकारों में सबसे महत्त्वपूर्ण अधिकार मत देने का अधिकार है। राजनीति में, प्रत्येक को समान अधिकार प्राप्त है - प्रत्येक व्यक्ति को सरकार के गठन में समान हक है।

गुप्त मतपत्र : मतदाता अपने मत का प्रयोग गुप्त रूप से करते हैं, ताकि कोई भी उनके चयन को नहीं जान सके। प्रतिनिधि लोकतंत्र में गुप्त मतदान को प्रश्रय दिया जाता है; अन्यथा, मतदाता धमकी तथा अनुचित प्रभाव के भय से अपने चयन का खुले रूप से प्रदर्शन नहीं कर सकते।

निर्वाचन क्षेत्र : निर्वाचन क्षेत्रों में कार्यकुशलता के साथ चुनाव प्रक्रिया को संपादित किया जाता है। निर्वाचन क्षेत्र प्रादेशिक क्षेत्र होता है, जहाँ से उम्मीदवार चुनाव लड़ता है। यदि केवल एक ही व्यक्ति को निर्वाचन क्षेत्र से चुना जाता है, तो उसे *एक सदस्यीय निर्वाचन*

क्षेत्र कहा जाता है। यदि कई प्रतिनिधि एक ही चुनाव क्षेत्र से चुने जाते हैं, तब उसे *बहुसदस्यदीय निर्वाचन क्षेत्र* कहा जाता है।

भारत में संपूर्ण चुनाव प्रक्रिया एक स्वतंत्र संस्था, चुनाव आयोग के द्वारा संचालित और नियंत्रित की जाती है। यह स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का भरोसा दिलाती है। चुनाव आयोग हमारे देश में चुनाव की तिथि को निश्चित तथा घोषित करता है। चुनाव आयोग की एक दूसरी बड़ी महत्त्वपूर्ण जिम्मेदारी है, यह सुनिश्चित करना है कि सत्ताधारी दल दूसरे दलों की तुलना में अनुचित लाभ न उठा ले। चुनाव प्रक्रिया कई औपचारिक दौरों से गुजरती है।

इस प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं :

1) चुनाव तिथि की घोषणा;
2) नामांकन-पत्र भरना;
3) आवेदनों की जाँच;
4) नाम वापसी;
5) अंतिम सूची का प्रकाशन;
6) प्रचार;
7) वोट डालना;
8) चुनाव परिणाम की घोषणा।

वास्तव में, जैसे ही चुनाव आयोग मतदान की तिथि की घोषणा करता है, राजनीतिक दल अपनी गतिविधियाँ प्रारंभ कर देते हैं। राजनीतिक दलों का प्रथम कार्य चुनाव लड़ने वाले अपने उम्मीदवारों का चयन करना होता है। आधुनिक चुनाव एक बोझिल प्रक्रिया है। इसके संपादन के लिए राजनीतिक दलों द्वारा गठित विशाल संगठन की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त, चुनावों में आने वाले खर्चों की व्यवस्था राजनीतिक दल करते है।

i) **उम्मीदवारों का चयन**

प्रतिनिधि लोकतंत्र के संचालन में, राजनीतिक दलों की भूमिका अनिवार्य और अत्यधिकप्रमुख हो गयी है। वास्तव में, राजनीतिक दलों ने प्रजातांत्रिक राजनीति को संगठित ढाँचा प्रदान किया है। राजनीतिक दल अपने उम्मीदवारों की घोषणा, उनका समर्थन तथा उनके प्रचार का संचालन करते हैं।

प्रत्येक राजनीतिक दल विशेष कार्यक्रमों की घोषणा करता है तथा सत्ता में आने के बादइन कार्यक्रमों को पूरा करने का वचन देता है। मतदाता किसी खास पार्टी के उम्मीदवार को उसके कार्यक्रमों तथा नीतियों के आधार पर वोट देते हैं।

ii) **नामांकन**

चुनाव की तिथि के घोषणा के बाद राजनीतिक दल को चयन प्रक्रिया के द्वारा उम्मीदवारों का चयन करना होता है। तत्पश्चात् उम्मीदवारों को अपना नामांकन.पत्र चुनाव आयोग द्वारा नियुक्त चुनाव कार्यालयों में भरना पड़ता है। नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि होती है। सभी नामांकन पत्रों के जमा होने के बाद उनकी जाँच की प्रक्रिया होती है। इस प्रक्रिया को नामांकन पत्रों में दिये गयी सूचनाओं की सत्यता की जाँच के लिए अपनाया जाता है। यदि कोई संदेह होता है या कोई उम्मीदवार

अयोग्य पाया जाता है, उसके/उसकी नामांकन-पत्र को रद्द कर दिया जाता है। जब जाँच प्रक्रिया खत्म हो जाती है, उम्मीदवारों को नाम वापसी की एक तिथि दी जाती है।

नाम वापसी की प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि (i) कम से कम मतों की बरबादी हो और (ii) मतपत्र पर सभी अंकित नाम सक्रिय उम्मीदवारों के हों।

iii) **चिह्न**

राजनीतिक दलों के चिह्न चुनाव आयोग द्वारा आवंटित किये जाते हैं। चुनाव आयोग प्रत्येक राजनीतिक दल को चुनाव चिह्न आवंटित करता है और सुनिश्चित करता है किये एक दूसरे से भिन्न हों। जिससे उनके प्रति मतदाताओं में भ्रम न पैदा हो। भारत में, चिह्नों का निम्न कारणों से महत्त्व है :

- वे अशिक्षित मतदाताओं के लिए सहायक होते हैं, जो उम्मीदवारों के नाम नहीं पढ़ सकते हैं।
- वे समान नाम वाले दो उम्मीदवारों के बीच अंतर करने में सहायता पहुँचाते हैं।
- वे संबंधित राजनीतिक दल के आदर्श को प्रतिबंधित करते हैं।

iv) **प्रचार**

प्रचार के द्वारा एक उम्मीदवार दूसरे उम्मीदवार की अपेक्षा अपने पक्ष में मतदाताओं को वोट देने के लिए लुभाता है। प्रचार मतदान के 48 घंटे पहले बंद हो जाता है। प्रत्येक राजनीतिक दल और प्रत्येक उम्मीदवार अधिक सें अधिक मतदाताओं के पास पहुँचने की कोशिश करता है। चुनाव प्रक्रिया में कई तरह की प्रचार तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। कुछ निम्न हैं :

- आयोजित सार्वजनिक सभा जिस को दल के उम्मीदवारों और कई स्थानीय और राष्ट्रीय नेताओं द्वारा संबोधित किया जाता है।
- दीवारों पर पोस्टरों को चिपकाना और सड़क के किनारे बड़ी और छोटी होर्डिंग लगाना।
- अपने घोषणपत्र के मुख्य मुद्दों को पर्चों द्वारा स्पष्ट करना।
- विभिन्न उम्मीदवारों के समर्थन में जुलूस निकालना।
- दल के प्रभावी तथा स्थानीय लोगों द्वारा दरवाजे-दरवाजे आग्रह करना
- विभिन्न दल के नेताओं के भाषणों का रेडियो और दूरदर्शन प्रसारण।

iv) **मतों की गिनती और चुनाव नतीजे की घोषणा**

मतदान समाप्ति के बाद, मतपेटियों को सील करके मतगणना केन्द्रों पर ले जाया जाता है। मतगणना के दौरान, उम्मीदवार या उनके प्रतिनिधि उपस्थित होते हैं। मतगणना के बाद साधारण बहुमत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को निर्वाचित किया जाता है। कभी-कभी साधारण बहुमत समस्यायें उत्पन्न करता है। जब सिर्फ दो उम्मीदवार होते हैं, निर्वाचित उम्मीदवार बहुमत का प्रतिनिधित्व करती है। लेकिन, यदि दो या दो से अधिक उम्मीदवार होते हैं तो स्थिति वैसी नहीं होती है; उदाहरणस्वरूप यदि ए40, बी20, सी20, और डी20 मत प्राप्त करता है, तब ए को निर्वाचित घोषित किया जाता है। यद्यपि, 60 मत वास्तव में उसके विरुद्ध हैं।

चुनाव लोकतंत्र का बहुत महत्त्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि लोकतंत्र प्रणाली का समूची मोर्चाबंदी चुनाव कैसे होता है, उस पर निर्भर करती है।

बोध प्रश्न 3

टिप्पणीः क) अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिए।

ख) अपने उत्तर का मिलान इकाई के अंत में दिए गए उत्तर से करें।

1) लोकतंत्र में चुनाव का महत्त्व क्यों होता है?

.....

.....

.....

.....

.....

2) क्या किसी व्यक्ति को वोट के अधिकार से वंचित किया जाना चाहिए?

.....

.....

.....

.....

.....

10.7 लोकतंत्र और अलगाव (ALIENATION)

अलगाव का अर्थ अपने वास्तविक या आवश्यक स्वभाव से अलग होना है। व्यवहार में, अधिकतर प्रजातांत्रिक प्रणालियों का कार्य निजी स्वायत्तता और लोकप्रिय शासन के मापदण्डों के संदर्भ में स्तर से नीचे होता है। आधुनिक संसार में लोकतंत्र सीमित और लोकतंत्र के अप्रत्यक्ष रूप के दौर से गुजर रहा है और इस प्रकार से स्वतंत्र नागरिक को अलगाव की ओर ले जाता है। यह लोकतंत्र उससे कुछ ज्यादा नहीं है, जिसको जोसेफ शुमपीटर (Joseph Schumpeter) ने ''संस्थानिक व्यवस्था'' की संज्ञा दी है और जो उन,राजनीतिक निर्णयों तक पहुँचने के लिए होता है, जिसके तहत व्यक्ति मतों के प्रतियोगी संघर्ष के माध्यम से निर्णय लेने की शक्ति प्राप्त करते हैं। इस संस्थानिक व्यवस्था के अर्थविहीन कर्मकांड में लोकप्रिय सहभागिता को कम करने के लिए उग्र लोकतंत्रवादियों ने आलोचना की है। जैसे राजनीतिज्ञों को हटाकर मात्र दूसरे राजनीतिज्ञों को लाने के लिए प्रत्येक कुछ वर्षों में मतदान करना। संक्षेप में, लोग कभी भी शासन नहीं करते हैं और सरकार और लोगों के बीच बढ़ती दूरी अचलता, उदासीनता और अलगाव के फैलने के रूप में झलकती है।

10.8 लोकतंत्र और जनमत

बहुत हद तक लोकतंत्र जनमत पर निर्भर करता है। प्रतिनिधि लोकतंत्र में, प्रत्येक सरकार को अपनी नीतियों के प्रति जनता की क्या प्रतिक्रिया होगी, यह सोचना पड़ता है। सभी दल शक्ति को हथियाना तथा बरकरार रखना चाहते हैं। अगले चुनाव में सत्ता में आना इस बात

पर निर्भर करता है कि जनता उनके कार्य के बारे में क्या सोचती है, जब दल सत्ता में था।

सशक्त जनमत सत्ता में आने तथा एक दल या दलों के गठजोड़, जिसे मोर्चा कहा जाता है, सरकार के गठन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि जनता सजग तथा समझदार है तथा अपने आप जानकारी प्राप्त करती है, तब सरकार जनता की आकाक्षाओं की अवहेलना का साध्य नहीं कर सकती है। यदि सरकार उनकी आकांक्षाओं का अनादर करती है, वह तत्क्षण अलोकप्रिय हो जाती है। दूसरी तरफ, यदि जनता सजग और समझदार नहीं है, तो सरकार ग़ैर जिम्मेदार बन सकती है। उस वक्त, यह लोकतंत्र के आधार स्तंभ के लिए खतरा बन सकती है।

जनमत का निर्माण

जनमत विभिन्न प्रकार और कई संस्थाओं के योगदान से बनाया जाता है। स्वस्थ जनमत के लिए, नागरिकों को उनके चारों ओर उनके अपने देश में, और संसार में क्या हो रहा है, जानना चाहिए। एक देश की सरकार सिर्फ आन्तरिक समस्याओं के लिए ही नीतियाँ नहीं निर्धारित करती है, बल्कि विदेश नीति भी तय करती है। नागरिक को अपना निर्णय लेने से पहले विभिन्न मतों का ख्याल रखना चाहिए। यद्यपि लोकतंत्र के अच्छे संचालन के लिए, नागरिकों को विभिन्न दृष्टिकोणों से भली-भाँति अवगत होने की आवश्यकता है। उन अभिकरणों में, प्रेस, इलेक्ट्रोनिक माध्यम और चलचित्र आते हैं जो स्वस्थ जनमत निर्माण में मदद करते हैं।

लोकतंत्र निर्णय प्रक्रिया में व्यक्ति को अपनी राय जाहिर करने का मौका देता है। इन सबके लिये, मुक्त वादविवाद तथा बहस की आवश्यकता होती है। प्रजातांत्रिक सरकारसाधारण नागरिक को बहुत स्वतंत्रता प्रदान करती है। फिर भी, नागरिकों को स्वतंत्रता का प्रयोग जिम्मेदारी, बंधन और अनुशासन के साथ करना चाहिए। यदि लोगों को शिकायत है तो, उन्हें प्रजातांत्रिक प्रणाली के अभिकरणों के माध्यम से अवश्य दर्शाना चाहिए। नागरिकों के अनुशासनहीनतापूर्ण कार्यों से प्रजातांत्रिक व्यवस्था में रुकावटें पैदा हो सकती हैं।

बोध प्रश्न 4

टिप्पणीः क) अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिए।

ख) अपने उत्तर का मिलान इकाई के अंत में दिए गए उत्तर से करें।

1) क्या किसी को लोकतंत्र में नागरिकता से वंचित रखा जा सकता है?

.....

.....

.....

.....

2) लोकतंत्र में जनमत का क्या कार्य हैं?

.....

.....

.....

.....

10.9 लिंग और लोकतंत्र : सहभागिता और प्रतिनिधित्व

लोकतंत्रीकरण के तीसरे चरण की शुरुआत 1970 के मध्य से, लैटिन अमेरिका पूर्वी और केन्द्रीय यूरोप के अनेक देशों और अफ्रीका तथा एशिया के कई भागों में हुई और इसने स्पर्द्धात्मक चुनावी राजनीति को प्रारंभ किया। इसे लोकतंत्र की विजय के रूप में देखा गया क्यूंकि निर्वाचक लोकतत्रों की संख्या 1974 में 39 से 1998 में 117 हो गयी।

फिर भी, पूर्व के लम्बे समय से कार्यरत लोकतंत्रों की तरह, नये लोकतंत्रों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व विधायिकाओं और कार्यपालिकाओं, दोनों में कम है। राजनीतिक नागरिकता लम्बे समय से महिला आन्दोलनों के संघर्ष का महत्त्वपूर्ण लक्ष्य था। व्यस्क मताधिकार के लिए आंदोलन 19वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध और 20वीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में संसार के अनेक भागों में हुए, उनका आधार यह था कि मतदान का अधिकार और चुनावी प्रक्रियाओं में भाग लेना, नागरिकता का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा थे। यदि लोकतंत्र अब सभी नागरिकों को राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने के अधिकार का आश्वासन देता है, तो महिलाओं का प्रतिनिधित्व इतना कम क्यों होता है? क्या महिलाओं की कम सहभागिता का यह अर्थ है कि लोकतंत्र अप्रजातांत्रिक होते हैं?

जैसा कि पहले बताया गया है लोकतंत्रीकरण के सिद्धांतकारों ने लोकतंत्र के बारे में अलग-अलग परिभाषाएं दी हैं :

- एक छोर पर यह न्यूनतम परिभाषा है, तुलनात्मक निर्वाचन ही सभी कुछ और पर्याप्त है।
- मध्यम परिभाषाएँ स्वतंत्रता और बहुलवाद की आवश्यकता पर भी ज़ोर देती है, जैसे नागरिक अधिकार और वाक स्वंतंत्रता, जिससे राज्य को एक उदारवाद लोकतंत्र माना जा सके।
- ये परिभाषाएं सहभागिता के अधिकार और सहभागिता के लिए सामर्थ्य के बीच कोई अंतर स्थापित नहीं करती हैं। केवल अत्यधिक काल्पनिक परिभाषाएं जोकि लोकतंत्र की गुणवत्ता को स्वीकार करती हैं, वे इस बात पर जोर देती है कि वृहद् अर्थ में लोकतंत्र पूरी नागरिकता की सुविधाओं का आनंद भी है।

नागरिकता सिर्फ नागरिक और राजनीतिक अधिकारों के ही संदर्भ में व्यक्त नहीं की जाती है, बल्कि आर्थिक और सामाजिक अधिकारों के संदर्भ में भी, ताकि राजनीतिक क्षेत्र में सभी को पूर्ण सहभागिता का अवसर प्राप्त हो। लोकतंत्र तभी सशक्त और प्रभावकारी हो सकता है, जब नागरिक समाज में एक सक्रिय नागरिक भाग लें।

'सार्वजनिक' और 'निजी'

स्त्रीवादियों ने लम्बे समय से तर्क दिया है कि जिस ढंग से लोकतंत्र की व्याख्या, सैद्धांतिकरण और प्रैक्टिस की जाती है, उसमें अनेक समस्याएं है। उदारवादी राजनीतिक सिद्धांत सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बीच विभाजन पर आधारित है। इस ढाँचे के अंतर्गत पुरुष घर के प्रमुख होते हैं और सार्वजनिक जीवन में मूर्त्त व्यक्तियों की तरह सक्रिय होते हैं, जबकि महिलाओं को परंपरा की तरह निजी जिन्दगी तक सीमित रखा जाता है। अतः 'राजनीतिक' को एक अति गंभीर अर्थ में पुलिंग की तरह माना जाता है।

व्यावहारिक तौर पर, लोकतंत्रों में जिस तरीके से राजनीतिक गतिविधियाँ संचालित होती हैं और जिस प्रकार का महिलाओं का आम तौर पर स्वभाव होता है, कि वे खासकर परम्परावादी राजनीतिक गतिविधियों के उच्च स्तरों पर पुरुषों की तुलना में बहुत कम भाग लेती हैं। जैसेः

- अनेक महिलाएँ राजनीति की शैली और सार को रुकावट मानती हैं।
- यदि वे राजनीतिक जीवन अपनाने का निर्णय करती हैं, तो अक्सर विजयी होने वाली सीट पर भी पार्टी सूची में जगह पाने में कठिनाइयाँ महसूस करती हैं।
- इसके अलावा, सार्वजनिक जीवन के दूसरे क्षेत्रों की ही तरह महिलाएँ निजी जीवन में अपनी जिम्मेदारियों की वजह से परम्परावादी राजनीतिक गतिविधि में पुरुषों के समानार्थ हिस्सा नहीं ले पाती हैं।

यह कहना गलत होगा कि लोकतंत्र की प्रकृति पर सहमति है। लेनिन ने तर्क दिया था कि उदावादी लोकतंत्र एक स्क्रीन है, जो जनता के शोषण और दमन को छिपाता है। हाल में कैरोल पेटमैन ने तर्क दिया है कि लोकतंत्र को कार्यस्थल तक लागू होना चाहिए – जहाँ अधिक लोग अपने दिन का अधिकांश समय बिताते हैं – इससे पहले कि हम यह कहें कि हम प्रजातांत्रिक शर्तों के अनुसार जी रहे हैं।

लोकतंत्र की आलोचना का एक विभिन्न प्रकार यह तर्क देता है कि लोकतंत्र भी खतरनाक रूप से गलत हो सकता है। अरस्तु ने हमें बताया था कि लोकतंत्र के उचित ढंग से संचालन के लिए उसे एक स्थिर कानून व्यवस्था की जरूरत होती है। अन्यथा लोकतंत्र अनेक लोगों के दमनात्मक निरंकुश तंत्र के रूप में भीड़ का शासन बन सकता है। इसी तरह का विचार द टॉकवी का था कि लोकतंत्र एक नये प्रकार का अधिनायकवाद (बहुमतका अधिनायकवाद) की संभावना को उत्पन्न करता है। मेडिसन ने वर्गवाद के खतरे से आगाह किया था, जिसके अंतर्गत एक बड़ा या छोटा समूह लोगों के आमहित से कोई संबंध नहीं रखता है और जिसका प्रयास अपने हितों के लिए प्रजातांत्रिक प्रणाली से विमुखहोना होता है।

आधुनिक लोकतंत्र अपने लिए नौकरशाही ढाँचे का निर्माण करता है। मैक्स वैबर के अनुसार नौकरशाही ढाँचा लोकतंत्र के संचालन में रोड़े अटकाता है, क्योंकि लोकतंत्र से उत्पन्न नौकरशाही का झुकाव प्रजातांत्रिक प्रक्रिया का खात्मा करना होगा। पॉरेटो ने कहा था कि यद्यपि प्रजातांत्रिक समाज होने का दावा किया जा सकता है, लेकिन इस शासन व्यवस्था की बागडोर शक्तिशाली संभ्रातवादी वर्ग के हाथ में अनिवार्य रूप से होगी।

लेकिन, यह तर्क दिया जा सकता है कि शक्ति के पृथकरण और नियंत्रण और संतुलन की अवधारणाएँ निरंकुशतावाद को बहुत हद तक रोक सकती हैं। इससे ज्यादा हमें यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि जो लोग कानून का निर्माण करते हैं, वे उनको लागू भी करें।

10.10 लोकतंत्र और इंटरनेट

कोई भी दूसरा आविश्कार, इस नये तकनीकी युग में इंटरनेट की तरह इतनी शीघ्रता से जन मानस पर नहीं छाया है। इंटरनेट ने बड़ी शीघ्रता से सामूहिक प्रभाव और अतः निर्भरता को विकसित करने में अन्तर्राष्ट्रीय संबंध के विकास को गति प्रदान की है।

इंटरनेट ने लोकतंत्र को कई तरीकों से प्रभावित किया है। वास्तव में, सर्वाधिकारीवादी शासन का विरोध करने में इसकी भूमिका सकारात्मक है, यह सूचना पहुँचाने में मदद करता है और इस प्रकार, प्रश्न के द्वारा सरकार के एकाधिकार की जड़ खोदता है।

दूसरी तरफ, इंटरनेट लोकतंत्र के लिए इस सीमा तक समस्याएं उत्पन्न करता है, कि राज्य की नियामक क्षमता कम हो जाती है। इंटरनेट द्वारा समाजों की अंतर्राष्ट्रीय व्याख्या,

सरकार की प्रभावकारी ढंग से शासन की क्षमता को समाप्त करता है। जहाँ तक राष्ट्रीय सुरक्षा का संबंध है, इंटरनेट ने आसमान संघर्ष के लिए नये द्वार खोल दिये हैं। राज्य जनव्यापी आक्रमणों की, अन्य राज्यों से नहीं बल्कि व्यक्तियों से झेल सकता है। यद्यपि, नई सूचना तकनीक संभवया, संतुलन में देखें तो, निहित शक्ति संरचनाओं को कमजोर करने की अपेक्षा बरकरार रखती है।

बोध प्रश्न 5

टिप्पणीः क) अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिए।

ख) अपने उत्तर का मिलान इकाई के अंत में दिए गए उत्तर से करें।

1) महिलाओं के बहुत कम राजनीतिक सहभागिता और प्रतिनिधित्व के कारणों का परीक्षण करें।

.....

.....

.....

.....

.....

2) किस हद तक इंटरनेट ने लोकतंत्र पर प्रभाव डाला है?

.....

.....

.....

.....

.....

10.11 सारांश

इस इकाई में आपने प्रतिनिधि लोकतंत्र के बारे में पढ़ा है कि जो लोकतंत्र का आधुनिक ढाँचा है। अब आप लोकतंत्र के अर्थ और इसके विभिन्न दृष्टिकोणों पर प्रकाश डालने के योग्य हो गये होंगे। इस अध्याय में आप प्रतिनिधि लोकतंत्र के मुलभूत सिद्धांतों से भलीभाँति परिचित हो चुके होंगे ऐसी आशा है। लोकतंत्र वास्तव में कैसे कार्य करता है-निर्वाचन प्रणाली की व्याख्या की गयी है। अंततः और प्रमुखतया ऐसे समकालीन मुद्दों जैसेकि लिंग, अलगाव और जनमत पर भी यहाँ चर्चा की गई है।

10.12 संदर्भ

डॉल, रॉबर्ट (1956) *ए पैफरैंस टू डैमोक्रेडिक थ्योरी,* शिकागो, शिकागो विश्वविद्यालय प्रेस।

डॉल, रॉबर्ट (1989) *डैमोक्रेसी एंड इट्स क्रिटिक्स,* येल विश्वविद्यालय प्रेस।

हेल्ड, डेविड (1987) *मॉडलज़ ऑफ डैमोक्रेसी,* स्टैनफोर्ड, विश्वविद्यालय प्रेस।

पटनम, रॉवर्ट डी. (1993) *मेकिंग डैमोक्रेसी वर्क सिविल ट्रेडिशन्स इन मार्डन इटली,* प्रिन्सटन विश्वविद्यालय प्रेस।

ब्रिथैम, डेविड एण्ड बॉयल, केविन (1995) *डैमोक्रेसी –एट्टी क्वैश्चंस ऐंड आनसर्ज़,* राष्ट्रीय बुक ट्रस्ट, इण्डिया इन ऐसोसियेशन विद् यूनेस्को पब्लिशिंग।

10.13 बोध प्रश्नों के उत्तर

बोध प्रश्न 1

1) यह बताएँ कि किस तरह यह लोकतंत्र का अप्रत्यक्ष रूप है तथा इसकी मुख्य विशेषताएँ लिखें।

2) अपने उत्तर में बहुलवादी, संभ्रातवादी दृष्टिकोण लिखें।

बोध प्रश्न 2

1) प्रकाश डालें कि इसका मतलब लोगों द्वारा शासन है।

2) इन तथ्यों पर प्रकाश डालें - मुक्त ओर निष्पक्ष चुनाव, खुली और उत्तरदायी सरकार तथा नागरिक और राजनीतिक अधिकार।

बोध प्रश्न 3

1) यह बताएँ कि क्यूँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र संभव नहीं है और चुनाव के द्वारा ही लोगों का शासन हो सकता है

2) नहीं, क्योंकि राजनीति में सब समान हैं।

बोध प्रश्न 4

1) यह हो सकता है अगर नागरिक समाज, कानून व्यवस्था या राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है तो।

2) यदि किसी दल को सरकार बनानी या बचानी है, तो लोकमत का ध्यान रखना होगा।

बोध प्रश्न 5

1) निम्न पर प्रकाश डालें-
   - महिलाओं के लिए राजनीति असुविधाजनक है।
   - जो सीट जीति जा सकती है, उन पर महिलाओं की उम्मीदवारी का चयन कम होता है।
   - परिवार की जिम्मेदारी

2) इंटरनेट ने सरकार के एकाधिकार को तोड़ा है और राज्य की शासन करने की क्षमता को कमजोर किया है।

इकाई 11 भागीदारी और मतभेद*

संरचना

11.0 उद्देश्य

11.1 परिचय

11.2 भागीदारी का अभिप्राय

- 11.2.1 भागीदारी के प्रकार
- 11.2.2 भागीदारी के स्तर
- 11.2.3 राजनीतिक भागीदारी पर प्रभाव डालने वाले कारक
- 11.2.4 भूमंडलीकरण और ऑनलाइन भागीदारी

11.3 मतभेद

- 11.3.1 लोकतंत्र और मतभेद

11.4 सारांश

11.5 संदर्भ

11.6 बोध प्रश्नों के उत्तर

11.0 उद्देश्य

इस इकाई का उद्देश्य आपको राजनीतिक भागीदारी एवं राजनीतिक मतभेदों के बारे में बुनियादी जानकारी देना, इनकी विशेषताओं व कुछ अन्य महत्वपूर्ण पहलूओं पर प्रकाश डालना है। इस इकाई को पढ़ने के बाद, आप निम्न बिंदुओं को समझने में सक्षम होंगे:

- राजनीतिक भागीदारी का अर्थ समझने में;
- मतभेद क्या है, यह समझने में; और
- भागीदारी और मतभेद के बीच के संबंध का विश्लेषण करने में।

11.1 परिचय

लोकतंत्र के दो मुख्य आदर्श हैं, राजनीतिक भागीदारी एवं राजनीतिक समानता। सैद्धांतिक रूप से ये दोनों ही एक दूसरे के अनुरूप हैं किन्तु व्यवहारिक रूप में असमान भागीदारी के कारण से विभिन्न लोकतंत्रों में कोई राजनीतिक समानता नहीं है। प्रतिनिधि प्रकार की सरकार में, यह एक बडी समस्या है, जहाँ लोक सम्मत भागीदारी से उत्तरदायित्व सुनिश्चित किया जाता है और यह नागरिकों को अपनी इच्छा व्यक्त करने की अनुमति भी देता है। राजनीतिक भागीदारी बुनियादी स्तर से लोकतंत्र का निर्माण करती है तथा लोगों की जानकारी उनके देश की राजनीति के बारे में बढ़ाती है। राजनीतिक रूप से सक्रिय व जागरूक नागरिक सरकार के ऊपर अंकुश का कार्य करते हैं। व्यतिरेक की भावना एक पूर्ण रूप से स्थापित लोकतंत्र में भी उत्पन्न हो सकती हैं, क्योंकि भागीदारी सिर्फ राजनीतिक व्यवस्था तक सीमित नहीं है, अपितु पूरे राजनीतिक चक्र में इसे कैसे सुनिश्चित किया जाए, उसके बारे में भी है। इसका मतलब है कि सिर्फ चुनावों के दौरान पाँच साल में एक बार मतदान करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि दो चुनावों के बीच के समय में लोकप्रिय

*डा० राज कुमार शर्मा, अकादमिक असोसिएट, इग्नू

भागीदारी भी सुनिश्चित की जानी चाहिए। राजनीतिक भागीदारी की अनुपस्थिति में, एक सरकार अपनी वैधता खो देती है और उसे अपना शासन चलाने के लिए सैनिक बल की मदद की आवश्यकता पड़ती है, उदाहरण के तौर पर, एक तानाशाह अपने शासन के दौरान विपक्ष को बर्दाशत नहीं करेगा तथा भय की ऐसी परिस्थिति पैदा कर देगा जिसमें लोक सम्मत भागीदारी नहीं हो पाएगी। जे एस मिल व अरस्तु जैसे राजनितिक विचारकों का मानना था कि एक व्यक्ति मानव क्षमता को पूर्णतः तभी प्राप्त कर सकता है जब वो राजनीतिक समुदाय में सक्रिय भूमिका निभाए। इस पर जीन जॉक रूसो ने तर्क दिया कि लोगों के उस कानून को स्वीकारने की अधिक संभावना है जो उनकी भागीदारी से बना है और उनके बीच एक समाज की भावना को भी प्रोत्साहित करता है। वहीं अमर्त्य सेन विकास के लिए मुख्य कारक भाग लेने की आज़ादी को मानते हैं। उनके मुताबिक, "जीवन की गुणवत्ता के लिए जिस आंतरिक मूल्य की आवश्यकता होती है वो भागीदारी हो सकती है। वास्तव में राजनीतिक कार्यवाही के माध्यम से खुद के लिए या अन्य लोगों के लिए कुछ करने में सक्षम होना प्राथमिक स्वतंत्रताओं में से एक है, जिसको मान देने के लिए लोगों के पास कारण है। अरस्तु से लेकर जॉन डेवी तक राजनीतिक विचारकों ने यह तर्क दिया है कि राजनीतिक भागीदारी एक सरकार के लिए महत्वपूर्ण है और शासन में सामूहिक बुद्धिमत्ता की सुनिश्चित्ता से निरंकुशता से रक्षा करती है। यह अनुशासन और स्थिरता को बढ़ावा देता है और सभी नागरिकों को अपने विचार व्यक्त करने की अनुमति देकर, ज्यादा से ज्यादा लोगों का भला करता है। हालांकि, जातीय, धर्म, भाषा, क्षेत्र आदि के मामले में किसी भी देश की विविधता को देखते हुए, समकालीन लोकतांत्रिक देशों के समक्ष अधिकतम लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना प्रमुख चुनौतियों में से एक है।

11.2 भागीदारी का अभिप्राय

सिडनी वर्बा और नॉर्मन एच नी ने अपनी पुस्तक "अमरीका में भागीदारीः राजनीतिक लोकतंत्र और सामाजिक समानता"(*पार्टीसिपेशन इन अमेरिका : पॉलिटिकल डेमोक्रेसी एंड सोशल इक्विैलिटि*) में राजनीतिक भागीदारी को 'ऐसा व्यवहार जो सरकारी कर्मियों और नीतियों को प्रभावित करने के लिए बनाया गया है' प्रकार से परिभाषित किया गया है। हंटिंगटन और नेल्सन ने अपनी पुस्तक "नो इज़ी च्वाइसः पॉलिटिकल पार्टीसिपेशन इन डेवलपिंग कन्ट्रीज़" (आसान विकल्प नहींः विकासशील देशों में राजनीतिक भागीदारी) में राजनीतिक भागीदारी को ''निजी नागरिकों की ऐसी गतिविधि जो सरकारी निर्णयों पर प्रभाव डाल सके'' की तरह परिभाषित किया है। राजनीतिक भागीदारी की एक अन्य परिभाषा में, एच मैकक्लोस्की कहते हैं कि यह," एक प्रमुख माध्यम है जिसके द्वारा लोकतंत्र में सहमति दी जाती है या वापस ली जाती हैं और शासकों को शासन के लिए उत्तरदायी बनाया जाता है"। सामान्य शब्दों में, इसे किसी देश के नागरिकों की उस गतिविधि के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो राजनीति को प्रभावित करती है। राजनीतिक भागीदारी सभी प्रकार की सरकारों के लिए प्रासंगिक हो सकता है, किन्तु यह लोकतंत्र का केन्द्र है। वर्बा और नी ने इसे उचित रूप से रखा है - " जहां कुछ लोग निर्णयों में भागीदारी करते हैं वहां कम लोकतंत्र होता है; जहां निर्णयों में ज्यादा भागीदारी होती है, वहां अधिक लोकतंत्र होता है"।

राबर्ट एच सैलिसबरी के अनुसार, राजनीतिक भागीदारी के पीछे तीन बौद्धिक उपयोग हैं। एक, इसे वैधता प्रदान करने के कार्य के रूप में माना जाता है। जब तक एक देश के नागरिक मतदान के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से सरकारी कामों में भागीदारी देते रहते हैं, इसका मतलब है कि वे उन सरकारी निर्णयों के लिए अपनी सहमति देते हैं तथा उन्हें वैध करार देते हैं। यह विचार लोकतंत्र का केन्द्र बिन्दु है। दूसरा, भागीदारी का एक

महत्वपूर्ण दृष्टिकोण इसे राजनीतिक शक्ति को सुरक्षित करने के लिए आवश्यक साधन के रूप में देखता है, इसकी आवश्यकता नुकसानों को पूरा करने के लिए, मुनाफा बढ़ाने या अपने या सामाजिक क्षेत्र के लिए जीवन की सुविधाएं बढ़ाने के लिए होती है। इस विचार को मताधिकार के विस्तार और मतदाताओं को गतिशील करने के रूप में रेखांकित किया गया है। तीसरा, भागीदारी की सामान्य विवेचना मुख्यतः रूसो और जे एस मिल से जुड़ी है, जिन्होंने इसे सामाजिक संघर्षों के विलयन के रूप में देखा। रूसो ने तर्क दिया कि किसी देश के नागरिक राजनीतिक भागीदारी द्वारा सामान्य कार्य को करने की एक आम समझ आपस में साझा करेंगे और इस बात को स्वीकार कर पाएंगे कि संसाधनों का आवंटन किस प्रकार किया जाना चाहिए। मिल ने इस भागीदारी को एक सीखने की प्रक्रिया के रूप में देखा और जो इस प्रक्रिया के बाहर रहेंगे वे उन नियमों को नहीं सीख पाएंगे जो कि सर्वसम्मति से निर्णयों तक पहुँचने के लिए आवश्यक हैं।

सी बी मैकफेरसन के अनुसार सहभागी लोकतंत्र के अस्तित्व के लिए दो बातें आवश्यक हैं। पहली, सामाजिक और आर्थिक असमानताओं में कटौती होना आवश्यक है। दूसरी, लोगों को खुद को देखना चाहिए और केवल सरकारी नीतियों के उपभोक्ताओं के बजाय विकास का आनंद लेने वालों और अथक प्रयास करने वाले के रूप में कार्य करना चाहिए। सैमुअल हंटिंगटन के अनुसार, राजनीतिक व्यवस्था के ऊपर अत्यधिक मांगे लाद दी गई हैं जो कि सरकार के प्राधिकार को घटा रही हैं। अत्यधिक लोकतंत्र सरकार की शक्ति में गिरावट का कारण बनता है और इसलिए सरकार के प्राधिकार और उसकी सीमाओं के बीच अच्छा संतुलन होना चाहिए। ज्योवानी सार्टोरी ने कहा है कि विशिष्ट वर्ग के विरोधियों ने लोकतांत्रिक विस्तार के लंबवत आयाम को उपेक्षित रखा है क्योंकि उनका ध्यान क्षैतिज आयाम पर केन्द्रित है यानि भागीदारी। उन्होंने वास्तविक निर्णय लेने की प्रक्रिया में भागीदारी हेतु अवगत, सक्रिय तथा इच्छुक नागरिकों का समर्थन किया है। संयुक्त राष्ट्र की मानव विकास रिपोर्ट में चुनावी प्रणालियों तथा राजनीतिक दलों के माध्यम से औपचारिक राजनीतिक भागीदारी को महत्व दिया गया है। इस रिपोर्ट ने इन प्रकरणों को रेखांकित किया जैसे- राजनीतिक दलों में बेहतर संचालन हो, महिलाओं व अल्पसंख्यकों की सहभागिता में संवृद्धि हो तथा राजनीति में धन की भूमिका में कमी हो।

11.2.1 भागीदारी के प्रकार

राजनीतिक भागीदारी को दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है- परंपरागत और अपरंपरागत। परंपरागत भागीदारी वह नियमित व्यवहार है जो सरकार की प्रणालियों का प्रयोग करती है। यह सहायक हो सकता है क्योंकि यह किसी सरकार या देश के लिए समर्थन व्यक्त करने हेतु एक औपचारिक कार्य हो सकता है। इसके विपरीत, इसके द्वारा सरकारी नीति में संशोधन की कोशिश भी हो सकती है। इसमें राजनीतिक दलों के सदस्यों, राजनेताओं और सरकार के प्रतिनिधियों से सम्पर्क करना या चुनावी प्रक्रिया से संबंधित गतिविधियों जैसे प्रचार और मतदान शामिल हो सकता है। अपरंपरागत भागीदारी अपेक्षाकृत असामान्य व्यवहार है जो कि सरकारी तंत्रों या प्रभावशाली संस्कृति के खिलाफ काम करती है और इसलिए, यह प्रतिभागियों और उनके विरोधियों दोनों के लिए तनावपूर्ण है। इस प्रकार की भागीदारी को राजनीतिक व्यवस्था में संरचनात्मक रूप से शामिल नहीं किया जा सकता और इस कारण से यह अवैध हो सकता है। गैरकानूनी प्रदर्शन, बहिष्कार, याचिका पर हस्ताक्षर, राजनीतिक हिंसा आदि जैसी कई गतिविधियां इसकी परिधि में आती हैं। यह कई अवसरों में सरकारी निर्णयों को प्रभावित करने में सफल रही है - जैसे अमरीका में नागरिक अधिकार आंदोलन। अपरंपरागत तरीकों में भाग लेने वाले लोगों के बीच तीन विशेषताएँ समान हैः

- सामूहिक चेतना
- राजनीतिक प्रभाव की समझ
- राजनीतिक व्यवस्था पर अविश्वास

शुरुआत में राजनीतिक भागीदारी पर जो अध्ययन हुए उनका केन्द्र बिन्दु मुख्य रूप से राजनीतिक अभियान और मतदान जैसी गतिविधियों पर था। हालांकि, 1960 में, अध्ययन के दायरे को बढ़ाया गया और अपरंपरागत गतिविधियों जैसे विरोध और याचिका को शामिल किया गया। ऐसी गतिविधियों को संभ्रांत या कुलीन चुनौतियों के रूप में जाना गया क्योंकि इन्होनें शासक वर्ग के सामने नई चुनौतियां पेश की। इंटरनेट के आने के साथ ही, ऑनलाइन भागीदारी राजनीतिक भागीदारी का नया रूप बनकर उभर रहा है जिसके माध्यम से लोग अपने राजनीतिक विचार व्यक्त करते हैं।

माइकल रश और फिलिप अल्थॉफ नेल्सन ने 1971 में लिखी अपनी किताब "राजनीतिक समाजशास्त्र से परिचय" (एन इनट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल सोशियोलोजी) में निम्नलिखित गतिविधियों को राजनीतिक भागीदारी के तौर पर सूचीबद्ध किया है।

- राजनीतिक/प्रशासनिक कार्यालय का स्वामित्व या तलाश
- एक राजनीतिक संगठन में सक्रिय/निष्क्रिय सदस्यता
- एक अर्ध-राजनीतिक संगठन (जैसे दबाव गुट) में सक्रिय/निष्क्रिय सदस्यता
- सार्वजनिक बैठकों, प्रदर्शनों आदि में भागीदारी
- अनौपचारिक राजनीतिक चर्चाओं में भागीदारी
- राजनीति में सामान्य रुचि
- चुनावों के लिए मतदान
- राजनीतिक गतिविधियों में रुचि में कमी या विरक्ति एवं राजनीतिक उदासीनता की ओर अग्रसर कर देती है।

11.2.2 भागीदारी के स्तर

वर्बा और नी ने राजनीतिक भागीदारी के विभिन्न स्तर बताए हैं।

- निष्क्रिय - ये वे लोग हैं जो शायद ही कभी वोट देते हैं और राजनीतिक संगठनों से भी दूरी बनाए रखते हैं।
- मतदान विशेषज्ञ - ये लोग सिर्फ वोट देते हैं और इसके अलावा ये राजनीतिक गतिविधियों में भाग नहीं लेते।
- संकुचित प्रतिभागी - ये लोग न तो मतदान करते हैं और ना ही चुनावी अभियानों या नागरिक संघों में भाग लेते हैं। किन्तु, व्यक्तिगत मुद्दों के लिए व स्थानीय अधिकारियों से संपर्क करने में पीछे नहीं रहते।
- सामुदायिक प्रतिभागी - ऐसे लोग मुख्यतः स्थानीय सामुदायिक राजनीति में व्यस्त रहते हैं तथा उनकी शिक्षा और आय प्रचारकों के समान होती है।
- प्रचारक - ये लोग न केवल मतदान करते हैं बल्कि चुनावी अभियान में प्रचार करना भी पसंद करते हैं। इनका शैक्षिक स्तर औसत मतदाताओं की तुलना में अधिक होता है और स्पष्ट पार्टी संबद्धता के कारण से राजनीतिक पदों को लेने में सक्षम होते हैं।

- पूर्ण कार्यकर्ता – ऐसे व्यक्ति नियमित रूप से एक राजनीतिक पार्टी और उसके राजनीतिक आदर्शों को बढ़ावा देते हैं।

11.2.3 राजनीतिक भागीदारी पर प्रभाव डालने वाले कारक

ऐसे कई कारक हैं जो राजनीतिक भागीदारी को प्रभावित करते हैं। वे इस प्रकार सूचिबद्ध हैं:

- मनोवैज्ञानिक कारक- एक व्यक्ति की मनोवृत्ति उसकी राजनीतिक भागीदारी के स्तर में बहुत अहम भूमिका निभाती है। तनहा लोगों को राजनीति पसंद आती है क्योंकि इसमें विभिन्न स्तर पर भिन्न प्रकार के लोगों से मिलना शामिल होता है। कुछ लोग प्रभावशाली बनना चाहते हैं और राजनीति में अपने इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भाग लेते हैं। एक अन्य बहुत महत्वपूर्ण पहलू है तंत्र पर विश्वास जो किसी व्यक्ति का राजनीतिक व्यवस्था या तंत्र में, राजनीतिक नेताओं और दलों सहित, विश्वास को संदर्भित करता है। यदि लोगों द्वारा राजनीतिक तंत्र पर विश्वास किया जाता, तो लोगों की राजनीति में भागीदारी बहुत अधिक होगी। एक राजनीतिक प्रणाली जिस पर लोगों का विश्वास अधिक नहीं है, वहां के नागरिकों की राजनीति में भागीदारी भी निम्न स्तर की होती है।

- सामाजिक कारक - किसी व्यक्ति का शिक्षा स्तर यह तय करने में बहुत महत्वपूर्ण साबित होता है कि उस व्यक्ति का झुकाव राजनीतिक भागीदारी की ओर है कि नहीं। बेहतर शिक्षित लोगों के पास अच्छी नागरिक भावना होती है और अपने राजनीतिक विचारों का प्रसारण करने का आत्मविश्वास भी होता है। इसी प्रकार अधिक आय वाले लोग अन्य लोगों की अपेक्षा राजनीति में अधिक भाग लेते हैं। यहां व्यवसाय भी एक कारक है। शिक्षक, व्यापारी और सरकारी कर्मचारियों की राजनीतिक भागीदारी का स्तर ऊँचा होता है क्योंकि उनके व्यवसायों पर सरकारी नीतियों का सीधा प्रभाव पड़ता है। लिंग और उम्र भी भागीदारी में एक भूमिका निभाते हैं। महिलाएं अपने पारिवारिक कर्तव्यों, संसाधनों की कमी, जाति कारक और शिक्षा की कमी के कारण राजनीतिक गतिविधियों में पुरुषों की अपेक्षा कम भाग लेती हैं। भारत के 2017-18 के आर्थिक सर्वेक्षण में राजनीति में महिलाओं की निम्न स्तर की भागीदारी को चिन्हांकित किया गया है। इसमें कहा गया कि आत्मविश्वास की कमी, वित्तीय संसाधनों की कमी और परिवार से कम समर्थन जैसे कई कारक हैं जो महिलाओं को राजनीति में भाग लेने से रोकते हैं। इसमें आगे यह भी कहा गया है कि संसद में महिला सांसदों की संख्या संसद की कुल सदस्यता का 12 प्रतिशत ही है। आयु भी एक कारक है राजनीतिक भागीदारी में, मध्यम आयु वर्ग के लोग युवाओं और बुजुर्गों से अधिक भाग लेते हैं। अन्य कारकों में निवास स्थान (ग्राम या शहर) और धर्म भी शामिल है।

- राजनीतिक कारक - यदि मतदान के नियम सरल होते हैं तो राजनीति में भागीदारी भी अधिक होती है। लोगों का सरकार पर बहुत अधिक या बहुत कम आत्मविश्वास होने के कारण से भी राजनीतिक भागीदारी में कमी आ जाती है। राजनीतिक दल भी मतदान के दौरान या उसके बाद अपनी विभिन्न गतिविधियों जैसे रैली, मतदाताओं को एकत्रित करना, अभियानों द्वारा भागीदारी पर प्रभाव डालते हैं। गावों और शहरों में मूल स्तर का लोकतंत्र भी नागरिकों की नज़र में राजनीतिक मुद्दों को संवेदनशील बनाने में भूमिका निभाता है। लोगों को संगठित करने के लिए कई एजेंसियां कार्यरत हैं जैसे मीडिया, एसोसिएशन और नागरिक समूह जो किसी देश में राजनीतिक भागीदारी को बढ़ानें में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

- सामाजिक पूंजी – समाज में लोगों के बीच संबंधों के जाल को सामाजिक पूंजी कहते हैं। ये संबंध व्यक्तिगत स्तर पर या नागरिक समाज संगठनों, धार्मिक संगठनों या कल्याण समूहों के माध्यम से हो सकते हैं। आम तौर पर, उच्च सामाजिक पूंजी समाज में उच्च स्तर की राजनीतिक भागीदारी की ओर ले जाता है। ये राजनीतिक भागीदारी की गुणवत्ता और मात्रा को प्रभावित करके लोकतंत्र के रख-रखाव में मदद करता है। नागरिक समाज संगठनों और अन्य स्वैच्छिक संगठन अपने राजनीतिक हितों को पूरा करने के लिए अपने सदस्यों को संगठित करते हैं जिससे राजनीतिक भागीदारी में बढ़ोत्तरी होती है। सामाजिक पूंजी के मुख्य आयाम, जैसे राजनीतिक विशेषज्ञता, राजनीतिक क्रिया की आवृति और तंत्र का आकार, ये सभी चीज़ें एक व्यक्ति की राजनीतिक भागीदारी को प्रभावित करते हैं।

राजनीतिक भागीदारी के विपरीत, हम एक देश में राजनीतिक उदासीनता भी देख सकते हैं जिसका चित्रण राजनीति की ओर उपेक्षा की भावना से किया जा सकता है। इसे एक देश के मतदाताओं की संख्या में गिरावट से देखा जा सकता है। राजनीतिक उदासीनता नेताओं के अंदर भ्रष्टाचार और नैतिकता में गिरावट पैदा कर सकती है क्योंकि उन्हें सार्वजनिक जांच का सामना नहीं करना पड़ता। युवाओं और अल्पसंख्यकों को आमतौर पर उन वर्गों में देखा जाता है जिन्हें राजनीति में कोई रुचि नहीं होती। कुछ लोग राजनीतिक व्यवस्था से इतने संतुष्ट हो जाते हैं कि उन्हें राजनीति में भाग लेने की आवश्यकता ही महसूस नहीं होती। कई अन्य लोग ऐसा भी महसूस करते हैं कि राजनीति में परिवर्तन के लिए कोई गुंजाइश नहीं है क्योंकि प्रत्येक राजनीतिक दल थोडा कम या ज़्यादा एक जैसा ही व्यवहार करते हैं जो राजनीतिक उदासीनता का कारण बनता है। कुछ लोग अपने राजनीतिक झुकावों के बारे में तय नहीं कर पाते, जबकि कई अन्य लोगों के पास राजनीति के लिए समय और ऊर्जा नहीं होती।

11.2.4 भूमंडलीकरण और ऑनलाइन भागीदारी

इंटरनेट राजनीतिक भागीदारी के लिए एक महत्वपूर्ण माध्यम बन गया है। लोग ऑनलाइन जाकर याचिकाओं पर हस्ताक्षर करते हैं, यद्यपि आजकल लोग सोशल मीडिया पर राजनीति का समर्थन या विरोध भी जता रहे हैं। इसने राजनीतिक दलों को सक्रिय सोशल मीडिया सेलों को कायम रखने के लिए प्रेरित किया है, जो जनता की राय को प्रभावित करने की कोशिश करते है तथा अनुकूल राजनीतिक भागीदारी उत्पन्न करते है। ऑनलाइन भागीदारी अधिकारहीन वर्गों जैसे महिलाओं की आवाज़ बन सकती है और उनके सशक्तिकरण में भी मदद कर सकती है। कुछ आलोचकों का मानना है कि ऑनलाइन भागीदारी ऑफलाइन दुनिया की वास्तविकता को नहीं दर्शाता और इन विचारों को प्रौद्योगिकी के एक उपकरण का इस्तेमाल करके कृत्रिम रूप से निर्मित किया जा सकता है। भूमंडलीकरण वैश्विक स्तर पर राजनीतिक सीमाओं को धुंधला कर रहा है जो कि वैश्विक नागरिकता की राह प्रशस्त कर रहा है, जैसा कि कुछ विशेषज्ञों का कहना है। यह मानवाधिकार उल्लंघनों पर बढ़ती चिंताओं और जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने के प्रयासों से स्पष्ट है। ये मुद्दे सीमाओं के पार राजनीतिक भागीदारी उत्पन्न करते हैं क्योंकि वैश्विक अस्तित्व दाव पर लगा है। इस संदर्भ में, ऐसा लगता है कि वैश्वीकरण ने नागरिकता और राजनीतिक भागीदारी के अर्थ बदल दिए। वैश्विक स्तर पर चिल्लाहट या दुहाई किसी देश की सरकार पर अपने नागरिकों की मुश्किलों को दूर करने के लिए दबाव ड़ाल सकती है। हालांकि, इंटरनेट किसी सरकार के पतन में भी भागीदार हो सकता है जैसा कि पश्चिम एशिया में हुए अरब जनाक्रोश से हुआ। यह किसी सरकार को अपनी स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए ऑनलाइन भागीदारी पर कड़ी कार्यवाही का संकेत दे सकती है।

बोध प्रश्न 1

टिप्पणीः क) अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिए।

ख) अपने उत्तर का मिलान इकाई के अंत में दिए गए उत्तर से करें।

1) राजनीतिक भागीदारी की अवधारणा क्या है ? विस्तारपूवर्क प्रस्तुत करें।

.....

.....

.....

.....

.....

2) राजनीतिक भागीदारी को निर्धारित करने वाले कारक क्या हैं ?

.....

.....

.....

.....

.....

11.3 मतभेद

लोकतंत्र लोगों द्वारा दी गई उस सहमति पर आधारित है, जिसमें वे अपने चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा शासित होने को तैयार हैं। हालांकि, ऐसे लोग भी होंगे जो पृथक विचार रखते हैं और उनकी सरकारी नीतियों के साथ मतभिन्नता है। मतभेद को "एक सामाजिक, सांस्कृतिक या सरकारी प्राधिकरण के स्थापित स्रोत के साथ असहयोग करना" के रूप में परिभाषित किया गया है। जैसा कि पहले ही स्पष्टीकरण दिया गया है, मतभेद या असंतोष अपरंपरागत प्रकार की राजनीतिक भागीदारी है और यह राजनीतिक व्यवस्था में अंतःस्थापित नहीं हो सकती; इसलिए राज्य द्वारा इसे अवैध माना जा सकता है। विरोध प्रदर्शन, जुलूस, बहिष्कार, आत्म-बलिदान (कुर्बानी) और नागरिक अवज्ञा जैसी गतिविधियां मतभेद ज़ाहिर करने वाले कार्यों के रूप में देखी जा सकती है। इसकी पराकाष्ठा की अवस्था में, मतभेद हिंसा में परिवर्तित हो सकता है और क्रांति इसका लक्ष्य हो सकता है (वर्तमान सरकार को उखाड़ फेंकना)। इस वजह से, वर्तमान सरकार की ओर से प्रतिकार भी आ सकता है। मतभेद सामूहिक या व्यक्तिगत और संगठित या स्वाभाविक हो सकते हैं। एक निश्चित प्रकार का राजनीतिक मतभेद या असंतोष, तंत्र की नैतिक आलोचना के रूप में सभी प्रकार के लोकतंत्र में पाया जाता है और जो प्रणालीगत समस्याओं पर ज़ोर देता है। यह मूल रूप से सरकारी नीतियों की सार्वजनिक जांच है। इसका लक्ष्य राजनीतिक शक्ति हासिल करना नहीं है (क्रांतिकारियों के विपरीत) और राजनीतिक व्यवस्था और संस्कृति के समीक्षात्मक मूल्यांकन पर जोर देता है। हिंसा का उपयोग करके, राजनीतिक असंतुष्ट लोग, नैतिक आधार पर हार जाएंगे और उनके साथ उग्रवादी सा सलूक किया जाएगा क्योंकि वे राजनीतिक शक्ति/सत्ता हासिल करना चाहते हैं। मतभेद भय और सराहना दोनों उत्पन्न कर सकता है। यदि यह शानदार, निर्भय अतीत में हुआ होता या फिर किसी दूरदराज़ के देश में हुआ होता तो इस मतभेद को सराहा जाता। कुछ प्रसिद्ध भिन्नमतावलम्बी लोगों में

मार्टिन लूथर, सोक्रेटस, एम के गांधी और गैलीलिओ शामिल हैं। यदि ये सफल होते हैं तो इनकी सराहना की जाती है और यदि असफल हो जाएं तो इन्हें निशाना भी बनाया जा सकता है। यद्यपि, मतभेद उन लोगों को अरुचिकर दिखेगा जिनकी सत्ता या शक्ति को इससे खतरा होगा।

अपनी किताब "ए थ्योरी आफ जस्टिस" (न्याय का सिद्धांत) में जॉन रॉल्स ने तर्क दिया है कि नागरिक अवज्ञा न्यायपूर्ण संस्थानों को बनाए रखने में मदद करती हैं। मुक्त और नियमित चुनाव, स्वतंत्र न्यायपालिका के साथ नागरिक अवज्ञा का सयंमपूर्ण प्रयोग संस्थानों को ज्यादा न्यायपूर्ण बना सकता है। मार्क्सवादियों का मानना है कि साम्यवादी समाज राजनीतिक अवज्ञा से मुक्त हैं क्योंकि हर कोई अपनी क्षमता के अनुसार काम करेगा और उसकी आवश्यकता के अनुसार वह पारितोषिक प्राप्त करेगा। इसके अलावा, एक साम्यवादी समाज में व्यक्तिगत हितों के बजाए लोग खुद को अपने समुदाय के कल्याण से पहचानते हैं। सामाजिक अनुबंध (सोशल कान्ट्रैक्ट) के विचारक, थॉमस हॉब्स ने अपनी पुस्तक "लेविआथन" में यह तर्क दिया है कि एक व्यक्ति अपनी सरकार के बनाए नियमों के पालन की सहमति देता है और उसके बदले में हिंसा और हिंसा के खतरों के खिलाफ राज्य से सुरक्षा की उम्मीद करता है। यदि राज्य सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकता है, तो नागरिकों को सरकार के नियमों का उल्लंघन करने का अधिकार है। सामाजिक अनुबंध (सोशल कान्ट्रैक्ट) के दूसरे विचारक, जॉन लॉक ने अपनी पुस्तक "सेकेंड ट्रीटिज़" (द्वितीय अनुबंध) में तर्क दिया है कि एक राज्य या सरकार वैध है क्योंकि यह अपने नागरिकों की सहमति पर आधारित है। सरकार का उद्देश्य सृष्टि के नियमों को लागू करना है और यदि सरकार इसमें असमर्थ हों तो नागरिक सरकार के नियमों के पालन करने को बाध्य नहीं हैं। जे एस मिल ने आगे कहा है "यदि समस्त मानव जाति एक को छोडकर एक मत की हो, मानव जाति को अधिकार नहीं कि उसे चुप कराए, ठीक वैसे ही जैसे उसे अधिकार नही कि वह मानव जाति को चुप कराए।" मतभेद विवेचनात्मक सोच से जुड़ा हुआ है, जो प्राधिकरण के बारे में स्वीकृत विचारों, सत्य एवं अभिप्राय पर सवाल उठाता है।

इमानुअल कांट इसे "जांचा परखा जीवन व्यतीत करना" कहते हैं। माइकल फाउकॉल्ट, उदारतावादी सोच के मुख्य आलोचकों में से एक है तथा फ्रैंकफर्ट स्कूल ने मतभेद को सकारात्मक माना है और विभिन्न लोकतंत्रों में इसकी 19वीं और 20वीं शताब्दी में करीब-करीब अनुपस्थिति की वजह से इन देशों में समस्याएं उत्पन्न हुईं। यह माना जाता है कि समकालीन लोकतंत्र ने स्वयं पर लगाया गया नियंत्रण, सामान्यता के आदर्श या संस्कृति के रूपों पर बौद्धिक प्रतिबंध को प्रोत्साहित किया है। इस तरह का लोकतंत्र विवेचनात्मक सोच में बाधा ड़ालता है और मतभेद और सार्वजनिक विचार विमर्श को न्यूनतम स्तर पर ला देता है।

बोध प्रश्न 2

टिप्पणीः क) अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिए।

ख) अपने उत्तर का मिलान इकाई के अंत में दिए गए उत्तर से करें।

1) मतभेद पर जॉन रॉल्स और थॉमस हॉब्स के विचारों पर चर्चा करें।

.....

.....

.....

.....

11.3.1 लोकतंत्र और मतभेद

सरकार और मतभेद के बीच का रिश्ता जटिल रहा है, जहां सरकार आमतौर पर मतभेद को खतरे के रूप में देखती है और नियंत्रित करने की कोशिश करती है। ऐतिहासिक रूप से, सत्तावादी सरकारें कभी भी विपक्ष को अपने राजनीतिक क्षेत्र में जगह नहीं देती। हिटलर, स्टालिन से लेकर माओ तक, सभी तानाशाहों ने व्यवस्थित रूप से हर प्रकार के राजनीतिक असंतोष को समाप्त कर दिया जिसकी वजह से उनके प्रभुत्व को खतरा हो सकता था। हिटलर ने लोक सेवा की सफाई, संकेंद्रण शिविर और अपने विरोधियों के साथ हिसाब पूरा करने के लिए अनुचित जाँच का इस्तेमाल किया, जबकि माओ ने बुद्धिजीवियों और अपनी पार्टी के अधिकारियों को निशाना बनाया और संगठित विपक्ष को सीमित भी कर दिया। पूर्व सोवियत संघ में अपना प्रभुत्व सर्वोच्च रखने के लिए जोसफ स्टालिन ने भी इसी प्रकार की दमनकारी नीतियों को अपनाया। इस प्रकार की राजनीतिक व्यवस्थाओं में (जिसे कुछ विशेषज्ञों द्वारा 'राज्य आतंक' भी करार दिया गया है) सम्मान और आदर उत्पीड़न के डर से पैदा हो जाता है। हालांकि, लोकतंत्र में, लोगों को अपने विचार व्यक्त करने के लिए हमेशा जगह मिलती है जो कि वर्तमान की सरकार के खिलाफ भी हो सकता है। लोकतंत्र में कुछ अधिकार हैं जो मतभेद व्यक्त करने से सरोकार रखते हैं, इसमें निम्न शामिल हैं:

- बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता - फ्रांसीसी दार्शनिक वोल्टायर का प्रसिद्ध कथन है कि "आप जो कहना चाहते हैं, हो सकता है मैं उससे सहमत नहीं होऊं, किन्तु आपके बोलने के इस अधिकार की रक्षा के लिए मैं मरते दम तक लडूंगा"। एक लोकतांत्रिक देश में, स्वतंत्र रूप से अपने विचारों को व्यक्त करने का अधिकार स्वतंत्रता की रीढ़ की हड्डी बनता है। एक व्यक्ति के इस अधिकार को अमल में लाने के लिए कोई भी बाहरी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। हालांकि, किसी को इस तथ्य को भी ध्यान में रखना होगा कि इस अधिकार को सावधानीपूर्वक इस्तेमाल करने की आवश्यकता है क्योंकि दूसरों की भावनाओं को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए और उन्हें ठेस नहीं पहुँचानी चाहिए।

- संगत और सभा की स्वतंत्रता – सकारात्मक रूप में देखें तो इसका मतलब होगा कि किसी व्यक्ति को अपने पसंद के समूहों या संगठनों से जुड़ने का अधिकार है। नकारात्मक रूप में देखें तो इसका मतलब है कि कोई व्यक्ति उन संगठनों के साथ जुडने से बच सकता है जिनसे उसकी रुचियां मेल नहीं खाती। इस अधिकार के इन दोनों पहलुओं को देश के कानून द्वारा संरक्षित किया जाना चाहिए। किसी व्यक्ति को संयोजन या सभा करने की स्वतंत्रता है, किन्तु यह किसी भी जगह पर इकट्ठा होने की आज़ादी नहीं है, क्योंकि दूसरों के संपत्ति के अधिकार का उल्लंघन नहीं किया जा सकता।

- राजनीतिक भागीदारी - लोकतंत्र में, राजनीतिक भागीदारी को किसी के मतभेद के अधिकार के रक्षक के रूप में देख सकते हैं। इस अधिकार का प्रयोग करके एक व्यक्ति ऐसी सरकार के खिलाफ मतदान कर सकता है जिसकी नीतियां उस व्यक्ति के हितों के विपरीत है।

- कानून की उपयुक्त प्रक्रिया - यह अधिकार मतभेद से संबंधित अन्य अधिकारों की रक्षा करता है। उपयुक्त प्रक्रिया यह सुनिश्चित करती है कि एक निष्पक्ष प्रक्रिया मौजूद हो जिसके माध्यम से मतभेद के कार्यों की जांच की जा सके।

हालांकि, यह मानना गलत होगा कि मतभेद का अधिकार लोकतांत्रिक देशों में पूरी तरह संरक्षित है। यदि कोई सरकार आंतरिक अशांति के दौरान असुरक्षित और संकट महसूस करे, तो वह असंतोष के खिलाफ, विरोध के माध्यम के आधार पर बल का उपयोग कर सकती है। इसकी प्रतिक्रिया इस पर भी निर्धारित होगी कि मतभेद के इस कृत्य को सरकार किस स्तर का खतरा मान रही है। विद्वानों का मानना है कि इसकी संभावना कम है कि लोकतंत्र मतभेद को खतरे के रूप में देखे क्योंकि "आमतौर पर लोकतंत्र एक विधि सम्मत रूप की सरकार है साथ ही मतभेद या असंतोषी व्यवहार के प्रति अधिक सहनशील है"। प्रजातांत्रिक प्रणाली "संस्थागत और वैध मार्ग" भी उपलब्ध कराती है, जिसके द्वारा नागरिक और राजनीतिक विरोधी अपना मतभेद व्यक्त कर सकते हैं। इससे सरकार को फायदा होगा क्योंकि विपक्षी दल अपना मतभेद या असंतोष सुनाने के लिए हिंसा का उपयोग करने के इच्छुक नहीं होते। इसलिए उनके कार्यों को सरकार खतरे के रूप में नहीं देखती और इस कारण से वे असंतोषियों के खिलाफ दमन का प्रयोग करने के तरफ झुकाव नहीं रखती। इसका मतलब है कि लोकतंत्र में हिंसा द्वारा मतभेद व्यक्त करने के लिए कोई जगह नहीं है। एक लोकतंत्र में, सरकार के सुरक्षा पर ज़ोर देने के खिलाफ, मतभेद का अधिकार किसी व्यक्ति की सबसे बुनियादी नागरिक सुविधाओं की रक्षा करता है। यह सार्वजनिक संस्थानों जैसे मीडिया और न्यायपालिका के माध्यम से, स्वतंत्रता और सुरक्षा के बीच सार्वजनिक बहस होने देता है। यदि कोई समाज वास्तव में लोकतांत्रिक होना चाहता है तो, स्वतंत्र और विवेचनात्मक सोच इसका महत्वपूर्ण हिस्सा होगा। यह केवल एक विवेचनात्मक सोच का नतीजा था कि गैलिलियो और कॉपरनिकस यह साबित कर पाए कि सूरज सौरमंडल के केन्द्र में है। कई अन्य उदाहरण और भी हैं जो यह दर्शाते हैं मतभेद कामयाब है - यह मतभेद ही था जिसकी वजह से दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद खत्म हुआ। यह हमें कम अन्यायी समाज बनाने में सफलता दिला सकता है।

बोध प्रश्न 3

टिप्पणी: क) अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिए।

ख) अपने उत्तर का मिलान इकाई के अंत में दिए गए उत्तर से करें।

1) लोकतंत्र में कौन से अधिकार हैं जो एक व्यक्ति के मतभेद के अधिकार को सुरक्षा प्रदान करता है?

.....

.....

.....

.....

.....

11.4 सारांश

राजनीतिक भागीदारी और मतभेद किसी भी लोकतंत्र की दो विशेषताएं हैं। भागीदारी यह सुनिश्चित करती है कि सरकार लोगों के प्रति उत्तरदायी बनी रहे। परंपरागत भागीदारी सरकार की नीतियों की वैधता बढ़ा देती है, जबकि अपरंपरागत भागीदारी (मतभेद) जैसे कि विरोध प्रदर्शन और बहिष्कार सरकार को चुनौती देते हैं। वर्तमान के लोकतंत्र के लिए यह एक बड़ी चुनौती है कि राजनीतिक भागीदारी को बढ़ाने और मतभेद को कम करने का काम एक साथ कैसे किया जाए। लोकतंत्र में अहिंसक मतभेद, अधिकारों के माध्यम से व्यक्त

किया जा सकता है जैसे – बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संगत और सभा करने की स्वतंत्रता तथा कानून की उचित प्रक्रिया। यहां तक कि राजनीतिक भागीदारी भी एक व्यक्ति को अपना मतभेद प्रकट करने की अनुमति देती है क्योंकि ऐसा कोई व्यक्ति जिसे सरकार की नीतियां पसंद नहीं, वो सरकार के खिलाफ मतदान कर सकता है। लेकिन, मतभेद प्रकट करने के लिए हिंसा का प्रयोग सरकार की ओर से दमनकारी व्यवस्था या कृत्य को आमंत्रित करेगा क्योंकि इसे लोकतंत्र के लिए खतरा माना जा सकता है। एक समाज की भावनाओं को लोकतांत्रिक होने के लिए विवेचनात्मक सोच इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा होनी चाहिए।

11.5 संदर्भ

फलोरिडा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का "पाल्टिकल पारटिसिपेशन" पर वेबपेजः

URL:HYPERLINK"http://www2.fiu.edu/~milch002/CPO3643/outlines/participati

रश, माइकल एवं फिलिप, अल्थॉफ, 1971 - " एन इनट्रोडक्शन टु पॉलिटिकल सोशियोलोजी", लंदन : नैल्सन

रेडहेड, मार्क, डिस्सेंट, एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका. URL: https://www.britannica.com/topic/dissent-political

शर्मा, उर्मिला एवं एस.के.शर्मा, 2007 - "प्रिंसिपलस एंड थ्योरी ऑफ पॉलिटिकल साइंस", न्यू देहली : अटलांटिक पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स प्रा. लि.

वर्बा, सिडनी एवं एन.एच.नी, 1987 - "पार्टिसिपेशन इन अमेरिका : पॉलिटिकल डेमोक्रेसी एंड सोशल इक्वैलिटि", दशकागो : यूनिवर्सिटी ऑफ दशकागो प्रेस

विनोद,एम.जे. एवं एम.देशपांडे, 2013 - "कन्टेम्पोरेरी पॉलिटिकल थ्योरी", न्यू देहली : पीएचआई लर्निंग प्रा. लि.

11.6 बोध प्रश्नों के उत्तर

बोध प्रश्न 1

1) आपके उत्तर में सिडनी वर्बा एवं नॉर्मन एच नी, हंटिंगटन एवं नेल्सन और एच मैकक्लोस्की के विचार शामिल होने चाहिए।

2) सामाजिक पूंजी के अलावा मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और राजनीतिक कारकों को चिन्हांकित करें।

बोध प्रश्न 2

1) जॉन रॉल्स ने तर्क दिया था कि मतभेद संस्थानों को न्यायपूर्ण बनाए रखने में मदद करता है; थॉमस हॉब्स ने सरकार व एक व्यक्ति के बीच के सामाजिक अनुबंध पर प्रकाश डाला।

बोध प्रश्न 3

1) आपके उत्तर में बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संगत और सभा की स्वतंत्रता, राजनीतिक भागीदारी एवं कानून की उचित प्रक्रिया शामिल होनी चाहिए।

इकाई 12 लोकतंत्र और नागरिकता*

संरचना

12.0 उद्देश्य

12.1 परिचय

12.2 लोकतंत्र की अवधारणा

12.3 प्रक्रियात्मक/न्यूनतम् तथा वास्तविक/अधिकतम् आयाम

12.4 लोकतंत्र के प्रकार

12.4.1 प्रत्यक्ष लोकतंत्र

12.4.2 प्रतिनिधि लोकतंत्र

12.5 नागरिकता

12.5.1 नागरिकता की अवधारणा का विकास

12.6 लोकतंत्र और नागरिकता के बीच संबंध

12.6.1 अधिकार और जिम्मेदारियां

12.6.2 सक्रिय तथा निष्क्रिय भागीदारी

12.6.3 पहचान के मुद्दे

12.7 सारांश

12.8 संदर्भ

12.9 बोध प्रश्नों के उत्तर

12.0 उद्देश्य

इस इकाई में आप लोकतंत्र और नागरिकता के विचार को जानेंगे। इस इकाई का अध्ययन करने के उपरान्त आप निम्नलिखित में सक्षम होंगे:

- लोकतंत्र के अर्थ की व्याख्या करें;
- नागरिकता की अवधारणा और सदियों में हुए इसके विकास को समझें; और
- लोकतंत्र और नागरिकता के मध्य सम्बन्धो का विश्लेषण करें।

12.1 प्रस्तावना

लोकतंत्र को सामान्यतः 'लोगों की सरकार, लोगों के द्वारा और लोगों के लिए' के सन्दर्भ में समझा जाता है, और यही कारण है कि यह नागरिकता के बिना अस्तित्व में नहीं रह सकता है। प्रतिनिधि लोकतंत्र के उदय के साथ, सक्रिय नागरिकता से निष्क्रिय नागरिकता की ओर परिवर्तन आया है, जिसे राज्य के समक्ष वैधता की चुनौती के रूप में देखा जा सकता है। लोकतंत्र के अस्तित्व में बने रहने के लिए नागरिकों का समर्थन एक मुख्य आवश्यकता है। जबकि लोकप्रिय समर्थन के अभाव की स्थिति को, सत्तावादी ताकतों के द्वारा स्वयं के लाभों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता हैं। अतः समकालीन संदर्भ में, लोकतंत्र और नागरिकता के बीच के सम्बंधों का विश्लेषण करना महत्वपूर्ण हो जाता है।

*डा० राज कुमार शर्मा, अकाद्मिक असोसिएट, इग्नू और दिव्या तिवारी, एडवोकेट, नई दिल्ली

12.2 लोकतंत्र की अवधारणा

लोकतंत्र की अवधारणा 2500 वर्ष पुरानी हैं, जो पहली बार 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व एथेंस में प्रस्फुटित हुई। इसी प्रकार 'डेमोक्रेसी' शब्द ग्रीक भाषा के मूल शब्द 'डेमोक्रेटिया' से लिया गया है। यह दो यूनानी शब्दों का संयोजन हैं, 'डेमो' अर्थात लोगों और 'क्रेटोस' का अर्थ शक्ति है। इसलिए लोकतंत्र लोगों के द्वारा शासन पर टिका है। यह राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में बहस वाले प्रमुख मुद्दों में से एक है क्योंकि यह एक 'विवादास्पद संकल्पना' है। तात्पर्य यह है कि हालांकि लोकतंत्र के अर्थ पर एक सामान्य सहमति है, लेकिन इसे कार्यान्वित करने के तरीके को लेकर मतभिन्ता है। परिणामस्वरूप, लोकतंत्र के विभिन्न प्रकार हैंः प्रत्यक्ष, प्रतिनिधि, विमर्शी इत्यादि। इस विचार पर सहमति है कि लोकतंत्र का अर्थ लोकप्रिय शासन और संप्रभुता है, लेकिन इसे कैसे प्राप्त किया जाएगा इसमें विविधता है। हालांकि, व्यवहार में लोकतंत्र के लागू होने के तरीके में अंतर्निहित विरोधाभास है। लोगों की भागीदारी को कैसे प्राप्त किया जाए, स्वतन्त्रता और समानता के बीच संतुलन, अल्पसंख्यकों के अधिकारों का संरक्षण तथा बहुमत की निरकुशंता से बचाव इत्यादि कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनसे लोकतंत्र को जूझना पड़ता है। दुनिया भर में लोकतंत्र को एक मुख्य समस्या का सामना करना पडता है कि कैसे स्वतंत्रता और समानता के बीच संतुलन बनाया जाए। यूरोपीयन उदारवादी परंपरा स्वतंत्रता को ज्यादा महत्व देती है, जबकि फ्रेंच परंपरा समानता को स्वतंत्रता से श्रेष्ठतर मानती हैं। नकारात्मक स्वतंत्रता व्यक्तियों और उनके अधिकारों पर अधिक जोर देती हैं, जबकि सकारात्मक स्वतंत्रता इन अधिकारों को सीमित करते हुए समानता को प्राप्त करने की बात करती हैं। इसका तात्पर्य हैं कि नकारात्मक स्वतंत्रता राज्य की सीमित भूमिका का समर्थन करती है, जबकि सकारात्मक स्वतंत्रता राज्य के हस्तक्षेप से ऐसी स्थिति बनाना चाहती है जहां समानता मौजूद हो सकती है। तथापि, अन्य प्रकार की सरकारों की अपेक्षा लोकतंत्र के कई फायदे हैं। यह उत्पीडकों के शासन को रोकता है, मानव विकास को बढावा देता है, व्यक्तिगत अधिकारों और स्वतंत्रताओं की सुरक्षा को सुविधाजनक बनाता है तथा यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युद्धों को भी रोक सकता हैं, आमतौर पर लोकतांत्रिक देश एक दूसरे के विरूद्ध लडाई नहीं करते हैं। अपनी 1891 की पुस्तक-'प्रतिनिधि सरकार पर विचार' में, जे.एस. मिल ने एक गैर-लोकतांत्रिक निर्णय प्रणाली के ऊपर लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तीन फायदे बताएं। पहला, रणनीतिक रूप से लोकतंत्र, निर्णयकर्त्ताओं को अधिकत्तर लोगों के हितों, अभिमतों और अधिकारों को ध्यान में रखने के लिए बाध्य करता है, जबकि सत्तावादी अथवा अभिजात वर्ग के स्वरूप वाली सरकार में ऐसा नहीं होता। दूसरा, ज्ञानमीमांसीय रूप से, लोकतंत्र प्रक्रिया में विभिन्न विचारों का प्रकटीकरण करता है, जिससे निर्णयकर्त्ता उनमें से सर्वोतम विचार को चुन सकते हैं। तीसरा, लोकतंत्र नागरिकों के चरित्र निर्माण में भी मद्द करता हैं, यह तर्कसंगत्ता, स्वायत्तता और स्वतंत्र सोच जैसे गुणों को जन्म देता है। इससे राजनीतिक नेताओं पर जनता की राय का दबाव उत्पन्न होता है, जिससे वो सत्ता में बने रहने के लिए आम लोगों के अभिमत को नजरअदांज नहीं कर सकते हैं। इस संदर्भ में, नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने लोकतंत्र और अकाल के बीच के संबंध को इंगित करते हुए तर्क दिया कि कार्यशील लोकतंत्र में कोई अकाल नही पड़ा क्योंकि नेतागण लोगों के प्रति जवाबदेह है और वे लोगों के मूलभूत कल्याण को नजरअंदाज नही कर सकते हैं।

यूनाइटेड किंगडम के पूर्व प्रधानमंत्री, विस्टन चर्चिल का लोकतंत्र के प्रति दुराग्रह था, क्योंकि उन्होंने कहा कि यह सरकार का सबसे खराब रूप था, सिवाय उन सभी अन्य रूपों के जिन्हें समय-समय पर हमने आजमाया। इसे व्यापक अर्थ में ऐसे समझा जा सकता है, कि लोकतंत्र केवल सरकार और राज्य का एक प्रारूप मात्र नहीं है, बल्कि यह समाज की

एक स्थिति या एक जीवन पद्धति है। एक लोकतांत्रिक समाज वह है जहां सामाजिक-आर्थिक समानता है, जबकि एक लोकतांत्रिक राज्य वह है जहां नागरिकों को खुली और स्वतन्त्र राजनीतिक प्रक्रिया में सहभागी बनने का अवसर मिले।

1960 और 1970 के दशक में रेडिकल डेमोक्रेटस का मानना था कि सामाजिक-आर्थिक समानता, राजनीतिक लोकतंत्र की सफलता के लिए एक पूर्व शर्त थी। 'लोकतंत्र' शब्द का अभिप्राय अक्सर निम्नवत दृष्टिगोचर होता हैः-

- गरीब और वंचित लोगों की राजनीतिक भागीदारी व दावों की पुष्टि।
- अनुक्रम तथा विशेषाधिकार की बजाय, समान अवसर और व्यक्तिगत योग्यता पर आधारित समाज।
- सामाजिक असमानता को कम करने के लिए लोक-कल्याण और पुनर्वितरण।
- बहुमत के नियम पर आधारित निर्णय लेना।
- बहुमत के शासन पर नियंत्रण के द्वारा अल्पसंख्यक अधिकारों का संरक्षण।
- लोकप्रिय वोट के लिए प्रतिस्पर्धा के माध्यम से सार्वजनिक कार्यालयों में (पदो की) पूर्ति करना।

व्यापक रूप से, लोकतंत्र को कई विशेषताओं से अलंकृत किया जा सकता हैं। लोकतंत्र में कुछ बुनियादी लक्षण इंगित होते हैं, जैसे- एक लिखित संविधान, कानून का शासन, मानवाधिकार, स्वतंत्र मीडिया व न्यायपालिका तथा कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका के बीच शक्तियों का पृथक्करण।

लोकतंत्र की प्रारंभिक अवधारणा ग्रीस से शुरू हुई, उस समय यह अपनी प्रकृति में समावेशी नही था। वहां से अब तक इसने लम्बा सफर तय कर लिया है। लोकतंत्र के ग्रीक माडल ने महिलाओं, दासों और अप्रवासियों को बाहर कर रखा था, जिसने इसकी भावना को अलोकतांत्रिक बना दिया। यहां तक कि यह भावना आधुनिक लोकतांत्रिक देशों जैसे फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका में जारी रही, जहां कुछ वर्गो को मतदान करने की इजाजत नहीं थी, जबकि अमीर पुरुषों को मताधिकार दिए गए थे। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति ने मानव जाति के लिए लोकप्रिय संप्रभुता के अतिरिक्त स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के विषय में बात की। हांलाकि, महिलाओं को मतदान का अधिकार नहीं मिला, और यह 1944 में हुआ कि फ्रांस ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की शुरुवात हुई। महिलाओं को ब्रिटेन में 1928 में मताधिकार मिला, जबकि अमेरिका में 1920 में यह अधिकार मिला। हांलाकि, अमेरिका में रंग के आधार पर भेदभाव बना रहा, और 1965 में जाकर अफ्रीकन अमेरिकी महिलाओं व पुरुषों को मतदान का अधिकार दिया गया। पश्चिमी लोकतंत्र की तुलना में भारत इस संबंध में प्रगतिशील रहा है क्योंकि भारत ने 1950 में ही अपने संविधान को लागू करते ही सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को अपनाया, और यह दुनिया का पहला लोकतांत्रिक राष्ट्र बन गया, जिसने अपनी स्थापना के समय से ही सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की शुरूवात कर दी। सऊदी अरब नवीनतम् देश है जिसने महिलाओं को मताधिकार दिया है, और 2015 में महिलाओं ने पहली बार नगरपालिक चुनावों में मतदान के अधिकार का इस्तेमाल किया।

12.3 प्रक्रियात्मक/न्यूनतम् और वास्तविक/अधिकतम् आयाम्

लोकतंत्र को दो अलग-अलग दृष्टिकोणो से समझा जा सकता हैं– प्रक्रियात्मक (न्यूनतम्) तथा वास्तविक (अधिकतम्)। प्रक्रियात्मक आयाम लोकतंत्र को प्राप्त करने के लिए केवल

प्रक्रियाओं या साधनों पर केन्द्रित रहता हैं। यह तर्क देता है कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार और बहुल राजनैतिक भागीदारी के आधार पर, नियमित प्रतिस्पर्धी चुनाव से लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित सरकार बनती है। जोसेफ शुंपीटर ने 1942 में अपनी किताब 'पूंजीवाद, समाजवाद और लोकतंत्र' में कहा कि लोकतंत्र 'राजनीतिक निर्णयों पर पहुंचने के लिए संस्थागत व्यवस्था है जिसमें जनसाधारण के मतों को पाने के लिए प्रतिस्पर्धी संघर्ष को माध्यम बनाया जाता है, जिससे निर्वाचित व्यक्तियों को निर्णय लेने की शक्ति प्राप्त होती हैं।' हंटिंग्टन ने भी इसी तरह के विचारों को प्रतिबिंबित किया है, 'लोकतंत्र की केंद्रीय प्रक्रिया में नेताओं का चुनाव प्रतिस्पर्धी चुनावों के माध्यम से शासित होने वाले लोग करते हैं।' हालांकि न्यूनतम् दृष्टिकोण के अनुसार लोगों को चुनावी भागीदारी के परे निष्क्रिय माना जाता हैं और इस प्रकार वे अपने प्रतिनिधियों के द्वारा शासित होते हैं। यह दृष्टिकोण स्वतंत्रता और आजादी पर ध्यान केंद्रित नहीं करता है तथापि यह लोकतांत्रिक सरकार को कैसे चुनें, इसी पर जोर देता हैं। इस प्रणाली में नियंत्रण और संतुलन की अनुपस्थिति में, निर्वाचित नेतागण अपने फायदे के लिए प्रक्रियाओं और शक्तियों का चालाकी से इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसे छुपा हुआ निरकंशतावाद कहा जा सकता है। सरकार कुलीन लोगों के लिए काम कर सकती है, क्योंकि सत्ता उन्ही के हाथ में है। जबकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनसाधारण के पास सर्वोच्च सत्ता होनी चाहिए। ऐसे उदाहरण अर्जेटींना और ब्राजील में 1980 तथा 1990 के दशक में मौजूद रहे। मध्य एशियाई देशो की सरकारो को भी प्रक्रियात्मक लोकतंत्र की श्रेणी में रखा जा सकता, क्योंकि वहां सत्ता की शक्ति एक व्यक्ति के हाथों में केन्द्रित रही, हालांकि समय-समय पर आवधिक चुनाव आयोजित होते रहे। टेरी कार्ल ने इंगित किया हैं कि न्यूनतम् दृष्टिकोण 'मिथ्यावादी चुनाववाद' की ओर भी उन्मुख हो सकता है। ऐसी स्थिति जहां लोकतंत्र के अन्य आयामों के ऊपर चुनावी प्रक्रिया को प्राथमिकता दी जाती हैं। फरीड जकारिया ने इसे 'अनुदार लोकतंत्र' कहा। यह एक ऐसी प्रणाली है जहां सरकार लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित होती है, लेकिन उसकी शक्तियों पर लगाई गई संवैधानिक सीमाबद्धता को वो अनदेखा करती हैं और अपने नागरिकों को मूल अधिकारों तथा स्वतंत्रताओं से वंचित कर देती हैं। वास्तविक लोकतंत्र, प्रक्रियात्मक दृष्टिकोण की कमियों को दूर करने की कोशिश करते हुए तर्क देता है कि सामाजिक और आर्थिक मतभेद लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जनसाधारण की सहभागिता में अवरोध डाल सकते है। यह वास्तव में सामाजिक समानता जैसे परिणामों पर ध्यान केन्द्रित करता है। एक अर्थ में, यह सीमित व्यक्तियों के लाभ के बजाय 'सामान्य हित' की बात करता है। महिलाओं और गरीब जैसे हाशिए वाले वर्गो के अधिकारों का संरक्षण, पुनर्वितरणीय न्याय के माध्यम से किया जाता है। ताकि राज्य के हस्तक्षेप से ऐसी स्थितियां पैदा की जा सकें जिससे ऐसे लोग राजनीतिक प्रक्रिया में सहभागिता करें। विभिन्न राजनीतिक वैज्ञानिकों जैसे जॉन लॉक, जीन जाक् रूसो, इमैनुएल कांट और जॉन स्टुअर्ट मिल ने इस दृष्टिकोण को उभरने में योगदान दिया। शुम्पीटर मानते थे कि जो लोकतंत्र समानता के लिए ज्यादा महत्वकांक्षा रखता है, वह खतरनाक है। रूसो ने तर्क दिया कि लोकतंत्र की औपचारिक विविधता, दासता के समान है तथा यह एक मात्र समानतावादी लोकतंत्र है, जिसे राजनीतिक वैधता प्राप्त है।

बोध प्रश्न 1

टिप्पणीः क) अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिए।

ख) अपने उत्तर का मिलान इकाई के अंत में दिए गए उत्तर से करें।

1) जे.एस. मिल के अनुसार लोकतांत्रिक पद्धति से निर्णय लेने के क्या फायदे हैं ?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2) लोकतंत्र के प्रक्रियात्मक और वास्तविक आयामों के बीच क्या अंतर है?

.....

.....

.....

.....

.....

12.4 लोकतंत्र के प्रकार

लोग किस प्रकार शासित हो रहे हैं, इस आधार पर लोकतंत्र को प्रत्यक्ष और प्रतिनिधि के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र, सरकार के शासन में नागरिकों की सीधी और अमध्यस्थ भागीदारी पर आधारित होता है। सभी वयस्क नागरिक निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग लेते हैं, निश्चित तौर पर सभी दृष्टिकोणों पर चर्चा की जाती है और सर्वोत्तम संभव निर्णय लिया जाता है।

12.4.1 प्रत्यक्ष लोकतंत्र

यह सरकार व राज्य और नागरिक समाज के मध्य के भेद को मिटा देता है। प्राचीन यूनानी शहर-राज्य माड्ल (प्रतिरूप), प्रत्यक्ष लोकतंत्र का एक उदाहरण था। समकालीन समय में, प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्विस कैंटों में पाया जा सकता है। ग्रीक माड्ल में, नागरिक अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए असेम्बली(सम्मेलन/सभा) में शारीरिक रूप से उपस्थिति होते थे। हालांकि, स्विस माड्ल थोड़ा अलग है क्योंकि यह नीति निर्माण में लोकप्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु, पहल, वापस बुलाना और जनमत जैसी विधियों पर निर्भर करता है। 'पहल', जनसाधारण को नए कानून बनाने के लिए प्रस्ताव करने की शक्ति प्रदान करता है, जिस पर विधायिका द्वारा चर्चा की जानी चाहिए। 'प्रत्याहार' (निर्वाचित प्रतिनिधि को वापस बुलाना या हटाना), यह लोगों के हाथों में वो शक्ति है जिसके द्वारा वे अपने नीति निर्माताओं को हटा सकते हैं, यदि उनका प्रदर्शन संतोषजनक नहीं है। 'जनमत' में, नागरिकों के समक्ष महत्वपूर्ण मुद्दे रखे जाते हैं, उनकी मंजूरी या अस्वीकृति के लिए। प्रत्यक्ष लोकतंत्र, अधिक वैधता सुनिश्चित करता है क्योंकि लोगों द्वारा उन निर्णयों का पालन करने की संभावना अधिक होती है जिसे उन्होंने स्वतः ही लिया है। यह सूचनाओं से परिपूर्ण नागरिकों का सृजन करता है, जो निर्णय प्रक्रिया में सहभागिता करते हैं। हालांकि शहर-राज्य और राष्ट्र-राज्य के बीच आकार (भौगोलिक रूप से, आबादी के आधार पर) में एक वृहत अंतर है। इसीलिए, आधुनिक राष्ट्र राज्यों में प्रत्यक्ष लोकतंत्र को अपनाना मुश्किल है। इस मुद्दे को प्रतिनिधि लोकतंत्र के विकास के साथ हल किया गया था, जो पहली बार 18वीं शताब्दी में उत्तरी यूरोप में दिखाई दिया था।

12.4.2 प्रतिनिधि लोकतंत्र

यह लोकतंत्र का एक सीमित और अप्रत्यक्ष रूप है। यह सीमित है क्योंकि नीतियों के सृजन में लोकप्रिय भागीदारी कुछ वर्षो में होने वाले मतदान के द्वारा ही हो पाती है। यह अप्रत्यक्ष है क्योंकि जनसाधारण सीधे सत्ता का उपयोग नहीं करते बल्कि अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से करते हैं। दुनिया भर में प्रतिनिधि लोकतंत्र के दो मुख्य प्रकार हैं-राष्ट्रपतिय प्रणाली और संसदीय प्रणाली। दुनिया भर में लोकतंत्र की राष्ट्रपतिय प्रणाली की तुलना में संसदीय प्रणाली ज्यादा अपनाई गई है। संसदीय लोकतंत्र, राष्ट्रपतिय लोकतंत्र की तुलना में अधिक प्रतिनिधित्व प्रदान करता है। लेकिन साथ में, वे अपेक्षाकृत कम स्थिर है।

बोध प्रश्न 2

टिप्पणी: क) अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिए।

ख) अपने उत्तर का मिलान इकाई के अंत में दिए गए उत्तर से करें।

1) प्रत्यक्ष तथा प्रतिनिधि लोकतंत्र के बीच क्या अंतर है?

.....

.....

.....

.....

.....

12.5 नागरिकता

अपने प्रारम्भिक रूप में, नागरिकता ने राज्य के बजाय शहर पर ध्यान केन्द्रित किया, जैसा कि प्राचीन ग्रीक शहर के राज्यों या पोलिस के अनुभव से दृष्टिगोचर होता है। सामान्य शब्दों में, 'नागरिकता' एक व्यक्ति तथा राज्य के बीच का सम्बन्ध है। इसे अधिकारों और जिम्मेदारियों के पूरक के सन्दर्भ में देखा जाता है। टी.एच. मार्शल के अनुसार, नागरिकता 'राजनीतिक समुदाय में पूर्ण और समान सदस्यता' है। नागरिकों के कुछ निश्चित अधिकार, कर्तव्य और जिम्मेदारियां होती हैं, लेकिन विदेशियों और किसी देश के गैर-नागरिकों को इन अधिकारों से इनकार किया जा सकता है या कुछ/आशिंक अधिकार दिए जा सकते हैं। सामान्यतः, पूर्ण राजनीतिक अधिकार जैसे मतदान का अधिकार और सार्वजनिक कार्यालय के पद संभालने का अधिकार केवल नागरिकों तक विस्तारित किए जाते हैं। राज्य की तरफ, नागरिकों के पास उपयोगी जिम्मेदारियां होती हैं, जिनमें निष्ठा, कराधान और सैन्य सेवा शामिल हैं। किमलिका और नॉर्मन के अनुसार, नागरिकता के तीन बुनियादी आयाम हैं। पहला आयाम यह है कि नागरिकता एक कानूनी स्थिति है, जो कि नागरिक, राजनीतिक और सामाजिक अधिकारों पर निर्भर करती हैं। इस अर्थ में, नागरिक एक स्वतंत्र नागरिक के रूप में कानून की सीमाओं के अन्दर कार्य कर सकता है और इसका उसे कानूनी रूप से संरक्षण का अधिकार प्राप्त है। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि नागरिक, कानून के निर्माण में हिस्सा लेता है। साथ ही, यह ये भी संकेत नही देता है कि अधिकार नागरिकों के बीच एकसमान होंगे। दूसरा पहलू यह है कि नागरिकों को राजनीतिक एंजेट के रूप में देखा जाता है क्योंकि उनसे ये उम्मीद होती है कि वे राजनीतिक संस्थानों के माध्यम से समाज की राजनीतिक गतिविधियों में सक्रियता से सहभागिता करेंगे। अंतिम आयाम नागरिकता को एक राजनीतिक समुदाय की सदस्यता मानता है, जो एक अद्वितीय पहचान

देती हैं। नागरिकता की इस तरह की समझ केवल राष्ट्र राज्य के परिपेक्ष्य में ही केंद्रित हैं तथा ये इस तथ्य का निशेध करती हैं कि इसमें साझा इतिहास, संस्कृति, धर्म या भाषा जैसी पहचानों का भी एक आयाम होता है।

नागरिकता पर मुख्य रूप से तीन तरह के विमर्श हैं जो इस प्रकार हैं- नागरिक गणतंत्रवाद, उदारवाद और आलोचनात्मक। नागरिक गणतंत्रवाद- ये किसी राजनीतिक समुदाय, स्थानीय, राज्य और राष्ट्र के लिए स्नेह और सेवा हेतु खड़ा है। यह सुदृढ नागरिक मूल्यों या नागरिक साक्षरता के लिए तर्क देता है, जो कि नागरिकता का एक महत्वपूर्ण घटक हैं। यह राजनीतिक समुदाय के साथ पहचान व प्रतिबद्धता की बात करता है, जो कि शिक्षा तथा लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी से संभव है। दूसरी तरफ, उदारवादी विमर्श व्यक्तिगत अधिकारों और स्वायत्ता को महत्व देता है। यह चर्चा, असहमति और सर्वसम्मति-निर्माण के विचारशील मूल्यों पर प्रकाश डालता है। राजनीतिक उदारवाद, ऐसी नागरिकता की कल्पना करता हैं, जो स्वतंत्रता पर ध्यान केन्द्रित करते हुए, अन्य सभी प्राधिकारों के प्रति आलोचनात्नक दृष्टिकोण रखता है। उदारवादी राजनैतिक नागरिकता के दो पक्ष हैं। एक, नागरिक अधिकार और समान व्यवहार के हकदार हैं तथा दूसरा, स्व-शासन में सहभागी हों। नागरिकता पर तीसरा विमर्श महत्वपूर्ण है जो नागरिक गणराज्य और राजनैतिक उदारवादियों को चुनौती देता है। इसमें नारीवाद, सांस्कृतिक और पारराष्ट्रीय दृष्टिकोण शामिल है। यह पहचान (नागरिक कौन हैं), सदस्यता (कौन संबंधित हैं और सीमाओं की स्थिति) तथा एजेंसी (हम नागरिकता को सर्वोत्तम तरीके से कैसे लागू कर सकते हैं), के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न उठाता है। गंभीर विमर्श इन बातों पर केन्द्रित होता है जैसे लिंग, संस्कृति, प्रजाति, राष्ट्रीयता, सामाजिक-आर्थिक वर्ग, तथा मानव स्वतंत्रता के उदारवादी एजेंडे को व्यापक और गहरा बनाने की कोशिश करता है।

12.5.1 नागरिकता की अवधारणा का विकास

नागरिकता की अवधारणा का विकास, प्राचीन यूनानी शहर-राज्यों से हुआ, जहां जनसंख्या को दो वर्गों में विभाजित किया गया था- नागरिक और गुलाम। नागरिकों को नागरिक और राजनीतिक दोनों अधिकारों का उपयोग करने का अधिकार था। वे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, राज्य के नागरिक और राजनीतिक जीवन के सभी कार्यो में सहभागिता करते थे। जबकि गुलामों को इस तरह के अधिकार नहीं मिले थे तथा वे सभी प्रकार के राजनीतिक और आर्थिक विपन्नताओं से पीड़ित थे। यहाँ तक कि महिलाओं को नागरिकता का अधिकार नहीं दिया गया था, ये केवल 'स्वतंत्र रूप से मूलतः देश में पैदा हुए पुरुषों' के लिए ही आरक्षित थे। इस तरह से प्राचीन ग्रीस में 'नागरिक' शब्द का उपयोग, इसके सकीर्ण अर्थो में किया गया था। केवल वे लोग जिन्होंने नागरिक और राजनीतिक अधिकारों का उपयोग किया और जिन्होंने नगर-समाज और राजनीतिक जीवन के कार्यो में सहभागिता की, उन्हें 'नागरिक' माना जाता हैं। इसी तरह की प्रक्रिया का पालन प्राचीन रोम में किया जाता था, जहां केवल समृद्ध वर्ग से सम्बन्धित लोगों को 'कुलीन जन' के नाम से जाना जाता था, और इन्हें ही नागरिक व राजनैतिक अधिकारों का उपयोग करने का विशेषाधिकार मिला हुआ था। केवल कुलीन जन राज्य के नगर-समाज संबंधी और राजनीतिक जीवन के कार्यो में भाग लेते थे। शेष जनसंख्या को ऐसे किसी भी अधिकार का उपयोग करने का विशेषाधिकार नहीं था। नागरिकों को 'नागरिक गुण' की विशेषताओं को विकसित करना आवश्यक था, जो कि लैटिन शब्द 'वर्तुस' से लिया गया जिसका अर्थ 'पौरूष', इसका तात्पर्य सैन्य कर्तव्य, देशभक्ति और कर्तव्य व कानून के प्रति निष्ठा से था। मध्य युग के दौरान यूरोप में राष्ट्रीय नागरिकता की अवधारणा लगभग विलुप्त हो गई, क्योंकि यह सामंती अधिकारों और दायित्वों की एक प्रणाली द्वारा प्रतिस्थापित कर दी गई। मध्ययुगीन काल में, नागरिकता

राज्य द्वारा प्रदत्त सुरक्षा के साथ जुडी हुई थी, क्योंकि पूर्ण राज्य अपना अधिकार अपनी विविधतापूर्ण आबादी पर लागू करना चाहते थे। यह हाब्स और लॉक जैसे सामाजिक अनुबंधकारी सिद्धांतकारों के साथ परंपरा में था, जो मानते थे कि संप्रभु का मुख्य उद्देश्य व्यक्तिगत जीवन और संपत्ति की रक्षा करना हैं। यह नागरिकता की निष्क्रिय समझ थी क्योंकि व्यक्ति सुरक्षा के लिए राज्य पर निर्भर था। इस धारणा को 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के द्वारा चुनौती दी गई थी तथा 'मानव और नागरिकता के अधिकारों की घोषणा' में नागरिक को एक स्वतंत्र और स्वायत्त व्यक्ति के रूप में वर्णित किया गया था। नागरिकता की आधुनिक धारणा स्वतंत्रता और समानता के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करती है। सकारात्मक कार्यवाही के माध्यम से समानता की परिस्थितियां प्रदान करके जाति, वर्ग, लिंग आदि जैसी असमानताओं को समाप्त किया जा रहा है।

बोध प्रश्न 3

टिप्पणी: क) अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिए।

ख) अपने उत्तर का मिलान इकाई के अंत में दिए गए उत्तर से करें।

1) नागरिकता के तीन आयाम क्या हैं?

.....

.....

.....

.....

.....

12.6 लोकतंत्र और नागरिकता के बीच सम्बन्ध

लोकतंत्र और नागरिकता के बीच संबंधों में अधिकारों व जिम्मेदारियों, सक्रिय व निष्क्रिय नागरिकता तथा पहचान के मुद्दों पर बहस होती है। इनकी चर्चा उत्तरगामी परिच्छेद में की गई है।

12.6.1 अधिकार और उत्तरदायित्व

नागरिकों के पास न केवल अधिकार हैं बल्कि उनके पास कुछ जिम्मेदारियां भी हैं, ताकि दोनों के बीच सुसंगत संतुलन बिगड़े नहीं। दूसरों को अन्य किसी व्यक्ति के अधिकारों को समझना और उनका सम्मान करना चाहिए, जब कि हमारे पास भी वही जिम्मेदारी है। कोई भी बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दावा कर सकता है, लेकिन यह अधिकार जिम्मेदारी भी डालता है कि दावेदार भी दूसरों के इन अधिकारों को समझे और सम्मान दें। समकालीन उदारवादी लोकतंत्र में, जिम्मेदारियों की अपेक्षा अधिकारों पर अधिक जोर दिया जाता है। इसका तात्पर्य है कि नागरिक अधिकारों के निष्क्रिय धारक है, जबकि उन्होंने देश के प्रति जिम्मेदारियों के सार्वजनिक गुण को अपने में विकसित नहीं किया। रॉबर्ट डाहल ने कहा कि नागरिकों को स्वयं के समान ही दूसरों के अधिकारों और दायित्वों का सम्मान करना चाहिए। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि नागरिकों के पास दूसरों के साथ उन सामान्य समस्याओं पर, स्वतंत्र और खुली चर्चाओं में शामिल होने की क्षमता होनी चाहिए, जिन समस्याओं का सामना सभी को आमतौर पर करना पड़ता है। लोकतंत्र में, एक व्यक्ति के पास राज्य के विरूद्ध अधिकार होता हैं, जिसका राज्य को सम्मान करना चाहिए। यदि किसी प्रकरण में उल्लंघन हो, तो एक स्वतंत्र न्यायपालिका है, जो व्यक्ति की मद्द करेगी।

हांलाकि, अधिनायकवादी राज्य में अधिकारों के बजाय कर्तव्यों और जिम्मेदारियों पर अधिक ज़ोर दिया जाता है। यदि राज्य को सर्वोच्च माना जाता है, तो व्यक्तिगत अधिकारों का उल्लंघन हो सकता है।

12.6.2 सक्रिय और निष्क्रिय भागीदारी

लोकतंत्र में नागरिकों की भागीदारी, सरकार की नीतियों को वैधता प्रदान करती हैं। राजनीतिक भागीदारी और राजनीतिक समानता लोकतंत्र के दो मुख्य आदर्श घटक हैं। सैद्धान्तिक रूप से, ये दोनों संगत हैं लेकिन व्यवहारिक रूप से असमान भागीदारी के कारण, कोई राजनीतिक समानता नहीं होती है। यह एक प्रतिनिधि सरकार में एक बडी समस्या है, जहां लोकप्रिय जनभागीदारी के द्वारा उत्तरदायित्व सुनिश्चित किया जा सकता हैं तथा यह नागरिकों को अपनी इच्छा व्यक्त करने की अनुमति भी देता है। राजनीतिक भागीदारी लोकतंत्र की नींव रखती है और लोगों की जानकारी उनके अपने देश की राजनीति के बारे बढ़ जाती हैं। राजनीतिक रूप से सक्रिय और जागरूक नागरिक, सरकार पर अकुंश रखने का कार्य करते हैं। एक अच्छी तरह से स्थापित लोकतंत्र में भी व्यतिरेक की भावना उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि भागीदारी न केवल सिर्फ राजनीतिक व्यवस्था के रूप पर निर्भर करती है परंतु इस बात पर भी निर्भर करती है कि इसे राजनीतिक चक्र में कैसे सुगम बनाया जाए। इसका तात्पर्य है कि केवल चुनाव के दौरान पांच साल में एक बार मतदान करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि दो चुनावों के बीच मध्यवर्ती अवधि में भी जनभागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए। राजनीतिक भागीदारी की अनुपस्थिति में, सरकार अपनी वैधता खो देती हैं और जिससे इसे अपने शासन को विस्तारित करने के लिए बल की आवश्यकता होगी। उदाहरणार्थ- एक तानाशाह अपने शासन के विरूद्ध किसी प्रकार के विरोध को बर्दाश्त नहीं करता और भय का माहौल पैदा करता है, जिसमें कोई भी लोकप्रिय भागीदारी नहीं होती है। जे.एस. मिल और अरस्तु जैसे राजनीतिक वैज्ञानिकों का मानना था कि एक व्यक्ति राजनीतिक समुदाय में सक्रिय भागीदारी करके ही पूर्ण मानव क्षमता प्राप्त कर सकता है। जीन जॉक रूसो ने तर्क दिया कि व्यक्तियों के द्वारा उस कानून को स्वीकार करने की अधिक संभावना है, जिसे उनकी भागीदारी से निर्मित किया गया हो तथा यह उनके बीच सामुदायिक भावना को भी प्रोत्साहित करता है। अरस्तु से लेकर जॉन डेवी तक के राजनीतिक वैज्ञानिकों ने तर्क दिया कि सरकार के लिए राजनीतिक भागीदारी अत्यन्त महत्वपूर्ण है और सामूहिक विवेकशीलता के माध्यम से शासन सुनिश्चित करने से, निरंकुश शासन से रक्षा हो जाती है। यह व्यवस्था और स्थिरता को बढावा देता है तथा सभी नागरिकों को अपने विचार व्यक्त करने की अनुमति देकर, अधिकांश लोगों के लिए जो सर्वोत्तम हो उसे सुरक्षित कर सकता है। हालांकि, जातीय, धर्म, भाषा, क्षेत्र इत्यादि के सन्दर्भ में किसी देश की विविधता की देखते हुए, अधिकतम् लोगों की भागीदारी को सुनिश्चित करना, समकालीन प्रतिनिधि लोकतंत्रों के समक्ष प्रमुख चुनौतियों में से एक है।

सी.बी. मैकफर्सन ने सहभागी लोकतंत्र के अस्तित्व के लिए दो आवश्यकताएं बताई। सर्वप्रथम, सामाजिक और आर्थिक असमानता में कमी होनी चाहिए। दूसरा, लोगों को स्वयम् का अवलोकन करना चाहिए और सरकारी नीतियों के केवल उपभोक्ता बनने के बजाय विकास का आनंद लेने वाले के रूप में कार्यरत रहना चाहिए। सैमुअल हंटिगटन ने तर्क दिया है कि राजनीतिक व्यवस्था के समक्ष अत्यधिक मांगे रखी जा रही हैं, जो सरकार की सत्ता का क्षरण कर रही हैं। अत्यधिक लोकतंत्र, सरकार की सत्ता में कमी लाती हैं और इसलिए सरकारी प्राधिकरण और इसकी सीमाओं के बीच एक अच्छा संतुलन होना चाहिए। गीयोवानी सरटोरी ने कहा हैं कि कुलीनतंत्र के विरोधियों ने लोकतंत्र के लबंवत आयाम (नेतृत्व) की उपेक्षा की है, क्योंकि उनका ध्यान क्षैतिज आयाम अर्थात भागीदारी पर केन्द्रित

है। उन्होंने वास्तविक निर्णय लेने की प्रक्रिया में भागीदारी के लिए सूचित, सक्रिय और इच्छुक नागरिकता का समर्थन किया। प्राचीन यूनान में जहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र का चलन था, वहां राजनीतिक समुदाय में नागरिकों की सक्रिय भागीदारी थी। नीतियों और कानूनों के सृजन के लिए नागरिक जिम्मेदार थे, वे असेम्बली (सभा/सम्मेलन/विधान-सभा) में सहभागिता करते थे और कार्यालय में पदासीन होते थे। हालांकि इस प्रकार की सक्रिय भागीदारी केवल छोटे समुदायों में ही हो सकती थी। प्रतिनिधि लोकतंत्रों के उदय के साथ, सक्रिय भागीदारी का स्थान निष्क्रिय भागीदारी ने ले लिया। उदारवादियों ने जिम्मेदारियों के बजाय अधिकारों पर जोर दिया, उन्होंने सार्वजनिक जीवन में भागीदार बनने के दायित्व को खारिज कर दिया और जो निष्क्रिय नागरिकता के उदय का कारण बना। हालांकि, यह राज्य को नीति निर्माण में नागरिकों की अभिरुचि को नजरांदाज करने के लिए प्रेरित कर सकता हैं। नागरिकता एक गतिशील अवधारणा है जो समय-समय पर परिवर्तित होती रहती है। सक्रिय नागरिकता सुनिश्चित करती हैं कि राज्य अपने नागरिकों के अधिकारों का ख्याल रखें जबकि निष्क्रिय नागरिकों के साथ राज्य हेर-फेर कर सकता है। गेराल्ड डेलैंटी ने तर्क दिया हैं कि जब तक नागरिकता लोकतंत्र से जुड़ी न हो, तब तक नागरिकता को पूर्व-राजनीतिक निजीकरण के रूप में देखा जाएगा तथा दूसरी तरफ लोकतंत्र को नागरिक समाज से अलग किया जाएगा। नागरिकता को शिक्षा, समाजीकरण, राजनीति व सार्वजनिक जीवन के संपर्क में आने से और रोजमर्रा के अनुभवों से सीखा जाता हैं। सक्रिय नागरिकता, वोट देने या सार्वजनिक दायित्वों को पूरा करने से कहीं अधिक है। यह केवल अधिकारियों का चयन करना और व्यवस्था का उपयोग करना भर नहीं है, बल्कि यह व्यवस्था की संरचनाओं व नियमों के सृजन और आकार देने में भी शामिल है।

12.6.3 पहचान के मुद्दे

नागरिकता, एक राजनीतिक समुदाय में किसी व्यक्ति की अभिव्यक्ति के रूप में होती है। यह विभिन्न पहचान वाले लोगों में एक सामान्य राजनीतिक समुदाय की सदस्यता के लिए सक्रिय प्रतिबद्धता को दर्शाती है। वास्तविक लोकतांत्रिक समाज की प्राप्ति के लिए, साझा नागरिकता की पहचान मूलभूत जरूरत है। वास्तव में, समकालीन लोकतंत्र की समस्याओं में से एक यह है कि ये मतभेदों की पहचान करता है बिना उस स्थिति को समझे, जिसमें नागरिक अपने को विशिष्ट पहचान के वाहक के रूप में स्वयं को देखते हैं। अतः इस विषय पर वाद-विवाद है कि देश में नागरिकता के स्वरूप निर्माण में मतभेदों के बजाय साझा और सहभागी तत्वों पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए या नहीं। इससे नागरिकता और बहुसंस्कृतिवाद चर्चा में आई है। वैश्वीकरण के कारण आधुनिक समाजों को बहुसंस्कृतिकता के रूप में मान्यता देने में वृद्धि हुई। नागरिकता के उदारवादी दृष्टिकोण ने व्यक्ति पर ध्यान केन्द्रित किया, जिसे अब चुनौती दी जा रही है। आलोचकों का मानना है कि विशिष्ट संदर्भ जैसे- सांस्कृतिक, धार्मिक, जातीय, भाषाई आदि नागरिकता के निर्धारित कारक होने चाहिए। नागरिकों के समान अधिकारों को समूह-अधिकारों व अल्पसंख्यक समूहों की संस्कृति के साथ विरोधाभास के रूप में देखा जाता है।

विल किमलिका नें 1995 में अपनी किताब 'मल्टीकल्चरल सिटीजनशिप : ए लिबरल थ्योरी आफ माइनारिटी राइट्स' (बहुसांस्कृतिक नागरिकता अल्पसंख्यक अधिकारों का उदारवादी सिद्धांत) में तर्क दिया है कि अल्पसंख्यकों के कुछ निश्चित सामूहिक अधिकारों के साथ उदारवादी लोकतंत्र की अनुरूपता है।

कुछ उदारवादी चिंता करते हैं कि राष्ट्रीय या जातीय समूहों को दी जाने वाली रियायतें लोकतंत्र को नुकसान पंहुचाती हैं। उनके लिए लोकतंत्र को आम नागरिकता की आवश्यकता

होती है जो कि सभी लोगों से समान व्यवहार करने पर आधारित है। जब कोई विशेष समूह कुछ सुविधाएं चाहता है, तो हमें उन लोगों से भिन्न तरीके से व्यवहार करने की आवश्यकता पड़ती है जो उनकी समूह संबद्धता पर आधारित होती है। उदारवादी इसका विरोध करते हैं क्योंकि यह सबके साथ समान व्यवहार के सिद्धांत के विरूद्ध है। किमलिका का तर्क है कि सुविधा पाने के लिए अनुरोध करना, वास्तव में अल्पसंख्यकों की एकीकृत होने की इच्छा को दर्शाता है। उदाहरण के लिए अमेरिका में रूढ़िवादी यहूदी सैन्य मिलिट्री ड्रेस कोड से छूट चाहते थे ताकि वे अपने यर्मुलक पहन सकें। वे छूट इसलिए नहीं चाहते ताकि वे अलग हो सकें बल्कि इसलिए चाहते हैं कि वे सेना में शामिल हो सकें और वे भी दूसरों की तरह बनें।

बोध प्रश्न 4

टिप्पणीः क) अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिए।

ख) अपने उत्तर का मिलान इकाई के अंत में दिए गए उत्तर से करें।

1) अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर किमलिका के विचार क्या हैं?

.....

.....

.....

.....

.....

2) लोकतंत्र में राजनीतिक भागीदारी का महत्व क्या हैं?

.....

.....

.....

.....

.....

12.7 सारांश

लोकतंत्र को आमतौर पर ऐसी सरकार के रूप में समझा जाता है, जो लोगों की सरकार हो, लोगों के द्वारा और लोगों के लिए बनी हो। तथा यही कारण है कि ये नागरिकता के बिना अस्तित्व में नही रह सकती। प्रतिनिधि लोकतंत्र के उदय के साथ, सक्रिय नागरिकता से निष्क्रिय नागरिकता की ओर परिवर्तन हुआ है। जिसे राज्य के समक्ष वैधता की चुनौती के रूप में देखा जा सकता है। लोकतंत्र के लिए नागरिकों का समर्थन इसकी स्थिरता हेतु एक प्रमुख आवश्यकता है। जबकि लोकप्रिय समर्थन के अभाव का उपयोग सत्तावादी ताकतों के द्वारा स्वयं के लाभों के लिए किया जा सकता है। लोकतंत्र और नागरिकता के बीच संबंधों का विश्लेषण तीन आयामों से किया जा सकता है। पहला, अधिकार और जिम्मेदारी का आयाम है। समकालीन उदारवादी लोकतंत्र में, जिम्मेदारी के बजाय अधिकारों पर अधिक जोर दिया जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि नागरिक अधिकारों के निष्क्रिय धारक है, जबकि वे देश के प्रति जिम्मेदारी के सार्वजनिक गुणों को विकसित नहीं कर पाए। दूसरा, प्राचीन यूनानी लोकतंत्र में सक्रिय नागरिकता थी, लेकिन प्रतिनिधि लोकतंत्र के

आगमन के साथ निष्क्रिय नागरिकता अधिक दृष्टिगोचर होने लगी है। व्यक्तियों को यह ध्यान में रखना होगा कि सक्रिय नागरिकता, वोट देने या सार्वजनिक दायित्वों को पूरा करने से कहीं अधिक है। यह केवल अधिकारियों का चयन करना और व्यवस्था का उपयोग करना भर नहीं। बल्कि इसमें व्यवस्था की संरचना को और नियमों को बनाना और आकार देना भी शामिल हैं। आखिर में, इस विषय पर बहस होती है कि देश में नागरिकता का प्रारूप बनाते समय 'आम और साझा तत्वों के बजाय मतभेदों' पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए या नहीं। इससे नागरिकता और बहुसंस्कृतिवाद के बारे में चर्चा शुरू हुई। विल किमलिका ने तर्क दिया कि अल्पसंख्यकों की संस्कृति के लिए सामूहिक अधिकारों' के कुछ प्रकार, उदार लोकतांत्रिक सिद्धांतों के अनुरूप है और उस मानक से उदारवादियों के द्वारा चिन्हित् व्यक्तिगत स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय व राष्ट्रीय एकता के आधार पर उठाई गई आपत्तियों का उत्तर दिया जा सकता है। उन्होने आगे तर्क दिया कि सांस्कृतिक अधिकारों के समायोजन करने के अनुरोध, वास्तव में अल्पसंख्यकों की 'एकीकरण की इच्छा' को प्रदर्शित करता है और वे नागरिकता से स्वायत्तता नहीं रखना चाहते हैं।

12.8 संदर्भ

- बेलामी रिचर्ड (2008) *सिटीजनशिपः वेरी शार्ट इन्ट्रोडक्शन,* आक्सफोर्ड: आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।
- डाहल राबर्ट(1989) *डेमोक्रेसी एंड इट्स क्रीटिकस,* (लोकतंत्र और इसकी आलोचना) न्यू हेवऩ सीटी : येल यूनिवर्सिटी प्रेस।
- डेलांटी जेराल्ड (2000), *सिटीजनशिप इन ए ग्लोबल ऐज़ सोसाइटी, क्लचर, पालटिक्स,* बर्किघम् / फिलाडेल्फिया: ओपन यूनिवर्सिटी प्रेस।
- हेवुड एंड्रयू (2007) *पालिटिक्स,* हैम्पशायर : पाल्ग्रेव मैकमिलन।
- किमलिका, विल (1995) मल्टीकल्चरल सिटीजनशिप : ए लिबरल थ्योरी आाफ माइनारिटी राइटस. आक्सफोर्ड: ओयूपी।
- किमलिका, विल एंड नार्मन वेन (1995) 'रिटर्न आफ द सिटीजन : ए सर्वे आफ द रिसेंट वर्क आन सिटीजनशिप थ्योरी', इन रोनाल्ड बीनर(इडिटेड), थियोरिजिंग सिटीजनशिप, अल्बानी स्टेट यूनिवर्सिटी आफ न्यू यॉर्क प्रेस।
- विनोद. एम.जे एंड एम. देशपांडेय (2013) कन्टेम्प्रोरी पोलिटिकल थ्योरी, न्यू डेल्ही: पीएचआई लरनिंग प्राइवेट लिमिटेड।

12.9 बोध प्रश्नों के उत्तर

बोध प्रश्न 1

1) अपने उत्तर में निम्नलिखित बिन्दुओं पर प्रकाश डालना चाहिए।
   - विभिन्न समूहों की राय को सम्मिलित करना
   - सर्वोत्तम विचारों को चुनने की संभावना
   - चरित्र निर्माण की सुविधा प्रदान करना
2) आपको उत्तर में इस बात पर प्रकाश डालना चाहिए कि प्रक्रियात्मक लोकतंत्र प्रक्रियाओं को अधिक महत्व देता है, जबकि वास्तविक लोकतंत्र परिणामों पर ध्यान केंद्रित करता है।

बोध प्रश्न 2

1) आपके उत्तर में इस बात पर विशेष प्रकाश डाला जाना चाहिए कि चुने हुए प्रतिनिधियों के शासन के खिलाफ, सभी नागरिकों द्वारा भागीदारी करना।

बोध प्रश्न 3

1) आपके उत्तर को निम्न पर प्रकाश डालना चाहिए :

- नागरिकता एक कानूनी अवस्था है
- नागरिक राजनीतिक प्रतिनिधि के तौर पर
- एक राजनीतिक समुदाय की सदस्यता

बोध प्रश्न 4

1) आपको जवाब में तीन आयामों पर प्रकाश डालना चाहिए –

- अल्पसंख्यकों के अधिकार, लोकतंत्र के उदारवादी सिद्धांत के विरूद्ध नहीं है।
- अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकार वास्तव में मुख्यधारा में उनके एकीकरण के लिए मार्ग प्रशस्त करता है।

2) आपको अपने उत्तर में यह उजागर करना चाहिए कि राजनीतिक भागीदारी सरकार की नीतियों की वैधता में इजाफा करती है और जवाबदेही सुनिश्चित करती है।

ignou
THE PEOPLE'S
UNIVERSITY

अन्य अध्ययन सामग्री

बैरी, पी. नॉरमन (1995), *एन इंट्रोडक्शन टू मॉडर्न पॉलिटिक्ल थ्योरी,* दि मैकमिलन प्रेसः लंदन।

बेलीस, जौन एवंअन्य (2011), *ग्लोबलाईज़ेशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स,* ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेसः न्यूयॉर्क।

भार्गव, राजीव एवं अशोक आचार्य, (2008), *पॉलिटिक्ल थ्योरी एन इंट्रोडक्शन,* पीयरसनः नई दिल्ली।

हेवुड, एड्रंयू (2013), *पॉलिटिक्लथ्योरी एन इंट्रोडक्शन,* पालग्रेवमैकमिलनः न्यूयॉर्क।

झा, शैफाली (2010), वैस्टर्न पॉलिटिक्ल थॉट, पीयरसनः नईदिल्ली।

ऐविनेरी, लोमों, *द सोशल एण्ड पॉलिटिकल थॉट ऑफ कार्लमार्क्स,* कैम्ब्रिज, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस, 1971

बर्लिन, इज़ाइया, *कार्लमार्क्स : हिज़ लाईफ एण्ड ऐनवाइरमैंट,* न्यू यॉर्क, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 1996

फुकुयामा, फ्रांसिस, *दी एण्ड ऑफ हिस्ट्री एण्ड द लास्टमैन,* न्यू यार्क, फ्री प्रेस, 1992

टकर, रॉबर्ट, *फिलॉस्फी एण्ड मिथ ऑफ कार्लमार्क्स, कैम्ब्रिज,* कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस 1961

मैकक्लेलैंड़, जे.एस., *ए हिस्ट्री ऑफ वैस्टर्न पॉलिटिकल थॉट,* लंदन, राऊटलेज, 1996

फ्रीडन, बेदशी, *दी फेमिनिनमिस्टीक,* न्यू यॉर्क, डब्ल्यू. डब्ल्यू. नॉर्टन एण्ड को., 1963

दबोउवार, सिमोन, *दी सेंकड सेक्स,* लंदन, विंटेजहाऊस, 1949

मिल्लेद, केट, *सेक्शुअल पॉलिटिक्स,* न्यू यॉर्क, कोलंबिया यूनिवर्सिटीप्रेस, 1969

डेली, मेरी, *गाइन/इकॉलजी,* बॉस्टन, बीकनप्रेस, (1978 (1990))

बैरी, कैथलिन, *फीमेल सेक्शुअल स्लेवरी,* एंगलवुडक्लिफ्स, प्रेंटिसहॉल, 1979

हेवुड, ऐंड्रू, *ग्लाबल पॉलिटिक्स,* हैंपशायर, पॉलग्रेवमेक्मिल्लन, 2011

एगर, बेन (1991), *क्रिटिकल थियरी, पोस्टस्ट्रक्चरलिज़्म, पोस्टमॉडर्निज़्मः देयर सोशियोलॉजिकल रेलेवेन्स,* ऐन्युअल रिव्यू ऑफ सोशियॉलजी, 17, पृष्ठ 105-131

बैर्ट, पी, डी. वाइनबर्ग एण्ड वी.मोटिए (2011), *सोशल कंस्ट्रक्शनिज़्म,*

पोस्टमॉडर्निज़्म एण्ड डीकंस्ट्रक्शनिज़्म, इन आईजार्वी एण्ड जे.बोनिल्ला (सम्पा), सेज हेंड बुक ऑफ द फिलासफी ऑफ. सोशियलसाइन्सस, लंदनः सेजपब्लिकेशन्स, पृष्ठ 475-86

बेन्जामिन, ए (2006), 'डीकंस्ट्रक्शन' इन एस. मल्पास एण्ड पी. वेक (सम्पा), दारा उतलैजकम्पैनियन टू क्रिटिकलथियोरी. लंदनः राउतलैज, पृष्ठ 81-90

ब्राउन, डग (1992), इंस्टिट्यूशनलिज़्म एण्ड पोस्टमॉडर्न पोलिटिक्स ऑफ सोषियल चेन्जजर्नल ऑफइकोनॉमिक इश्यूज़, 26ः 2(जून), पृष्ठ 545-552

ब्राउन, डब्लू.(2006), पावरआफ्टरफूको, इनजे. ड्राइज़ेक,बी. होनिग एण्ड ए.फिलिप्स (सम्पा), दा ऑक्सफोर्ड हैंडबुक ऑफ पोलिटिकल थियोरी, लंदनः ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटीप्रेस, पृष्ठ 65-84

बार्स्की, आर (2001). पोस्टमॉडर्निटी, इन वी. टेलर एण्ड सी. विनक्विस्ट (सम्पा), एनसाइक्लोपीडिया ऑफ पोस्टमॉडर्निज़्म, लंदनः राउतलैज, पृष्ठ 304-08

कार्टर, डी. (2012), लिटेररी थियोरी. यूकेः ओल्डकासल बुक्स

देरीदा, जे. (1976), ऑफ ग्रैमेटॉलजी, अनुदित, गायत्री स्पिवाक, बॉल्टिमोरः जॉन हॉपकिन्स यूनिवर्सिटी प्रेस

देरीदा, जे. (1988) लेट्टरटूए जेपेनीसफ्रेंड, इनडी. वुड एण्ड आर. बेर्नास्कोनी (सम्पा) देरीदा एण्ड डिफेरेन्स. एवैनस्टनः नॉर्थवेस्टर्न यूनिवर्सिटीप्रेस, पृष्ठ 4-10

इगलटन, टी (1996) *दा इल्यूज़ंस ऑफ पोस्टमॉडर्निज़्म.* न्यू यॉर्कः ब्लैकवैल पब्लिशिंग.

फूको, एम. (1965), मैडनेस एण्ड सिविलाइज़ेशनः ए हिस्ट्री ऑफ इनसैनिटी इन दी एज ऑफरीज़न. लंदनः राउनलैज.

फूको, एम. (1969) *आकियॉलजी ऑफ नॉलेज एण्ड दा डिसकोर्स ऑफ लैंगवज,* न्यू यॉर्कः हार्परकोलोफोन.

फूको, एम.(1977). *डिसिप्लिन एण्ड पनिशः दा बर्थ ऑफ दा प्रिज़िन.* लंदनः विन्टेज.

फूको, एम.(1980), पावर/नॉलेजः सेलेक्टेड इंटरव्यूज़ एण्ड अदर राइटिंग्स, 1972-1977, लंदनः हार्वेस्टरव्हीटशीफ.

फूको, एम (1983), दा सब्जेक्ट एण्ड पावर, इन एच. ड्रेफ्युस एण्ड पी.रैबिनो, मिशेलफूकोः वियौंडस्ट्रकचरलिज़्म एण्ड हरमेन्यूटिक्स. शिकागोः यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो प्रेस

फूको एम (1991) गवर्नमेंटैलिटी, इनजी. बर्शेल, सीगॉर्डन एण्ड पी. मिल्लर (सम्पा), दी फूकोइफैक्टः स्टडीज़ इन गवर्नमेंटलरैशनैलिटी. लंदनः हार्वेस्टरव्हीटशीफ

जे. एफ.(1984), *दी पोस्टमॉडर्नकंडिशनः ए रिपोर्ट ऑन नोलेज.* मैनचेस्टरः मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी प्रेस

मार्गरोनी, एम (2001), ज़ाकदेरीदा, इन वी.टेलर एण्ड सी. विनक्वेस्ट (सम्पा), एनसाइक्लोपीडिया ऑफ पोस्टमॉडर्निज़्म. लंदन. राउतलैज, पृष्ठ 92-94

मल्पास, एस.(2005), *दा पोस्टमॉडर्न.* न्यू यॉर्कः राउतलैज

रिटज़र, जी. (1997) *पोस्टमॉडर्न सोशियल थियोरीः* न्यू यॉर्कः मेक्ग्रॉहिल.

सिम.एस (2001), *दी राउतलैज कम्पैनियन टू पोस्टमॉडर्निज़्म,* लंदनः राउतलैज.

विन्सेंट, ऑक्सफोर्ड ए.(2004) *दा नेचर ऑफ पोलिटिकल थियोरी,* न्यू यार्कः

अब्बास, होयेदा और कुमार, रंजय कुमार. (2012) *पोलिटिकल थ्योरी,* नई दिल्ली : पीअरसन।

बेलामी, रिचर्ड और मासोन, एंड्रू (2003). *पोलिटिकल कॉन्सेप्ट्स,* मेनचेस्टर : मेनचेस्टर यूनिवर्सिटी प्रेस.

डह्ल, रॉबर्ट (1989). *डेमोक्रेसी एंडइट्सक्रिटिक्स,* न्यूहवेन, सीटीः येल यूनिवर्सिटी प्रेस.

डायमंड, लेर्री (1997). इज द थर्ड वेव ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन ओवर? ऐनइम्पीरिकल असेसमेंट

गॉस, जी.ऍफ, और कुकाथससी. (2004) हैंडबुक ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, लन्दन : सेज।

हेवुड एंड्रू (2007). *पॉलिटिक्स,* हम्पशायर : पल्ग्रेवमैकमिलन।

स्टैनफोर्ड इन साइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसोफी।

जकारिया, फरीद (1997). *द राजज ऑफ इललिबरल डेमोक्रेसी,* फॉरेनअफेयर्स, नव./दिस. ,76:6।

अब्बास, होयेदा एवं कुमार, रंजय (2012), *पॉलिटिक्लथ्योरी,* नई दिल्लीः पीयरसन।

बेह्न, रॉबर्टडी. (2001), *रिथिंकिंगडेमोक्रेटिक एकाउंटेबिलिटी,* वाशिंगटन, डी.सी.: ब्रुकिंग इंस्टीट्यूट प्रेस।

बेल्लामी, रिचर्ड एवंमैसन, एड्रेव्यू (2003), *पॉलिटिक्ल कांसैप्ट्स,* मैनचेस्टर : यूनिवर्सिटी प्रेस।

बोवेन्स, एम. (2005), "पब्लिक एकाउंटेबिलिटी", इन *द ऑक्सफोर्ड हैंडबुक ऑफ पब्लिक मैनेजमेंट,* ऑक्सफोर्डः ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।

ड्राहल, रॉबर्ट (1989), *डेमोक्रेसी एंडइट्जक्रिटिक्स,* न्यूहैवन, सीटीः येल यूनिवर्सिटी प्रेस।

डोडल, माइकलडब्ल्यू. (2006), *पब्लिक एकाउंटेबिलिटीः डिज़ाइन्स, डीलेम्मास एंड एक्सपेरियंस्स,* कैम्ब्रिजः कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस।

गोल्डसवर्दी, जैफ्फारीडेनिस, (2010), *पार्लियामेंटरीसवरैनटीः कंट्मपेरेरीडिबेट्स,* कैम्ब्रिजः कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस।

हेवुड, एन्ड्यू (2007), *पॉलिटिक्स,* हैम्पशायरः पालग्रेवमैकमिलन।

रेनोलॉडस, एन्ड्यू. (संपा.) (2001), द *आर्किटेक्चर ऑफ डेमोक्रेसी,* ऑक्सफोर्डः ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।

डॉल, रॉबर्ट(1956) एपैफरैंस टू डैमोक्रेडिक थ्योरी, शिकागो, शिकागो विश्वविद्यालय प्रेस।

डॉल, रॉबर्ट (1989) डैमोक्रेसी एंड इट्स क्रिटिक्स, येल विश्वविद्यालय प्रेस।

हेल्ड, डेविड (1987) मॉडलज़ ऑफ डैमोक्रेसी स्टैनफोर्ड, विश्वविद्यालय प्रेस।

पटनम, रॉवर्टडी. (1993) मेकिंग डैमोक्रेसी वर्क सिविल ट्रेडिशन्स इन मार्डन इटली प्रिन्सटन विश्वविद्यालय प्रेस।

ब्रिथैम, डेविड एण्ड बॉयल, केविन (1995) डैमोक्रेसी- एट्टीक्वैश्चंस ऐंडआनसर्ज़, राष्ट्रीयबुक ट्रस्ट, इण्डियाइन ऐसोसियेशनविद् यूनेस्को पब्लिशिंग।

रश, माइकल एवंफिलिप, अल्थॉफ, 1971 - " एन इनट्रोडक्शन टु पॉलिटिकल सोशियोलोजी", लंदन : नैल्सन

शर्मा, उर्मिला एवं एस.के.शर्मा, 2007 -"प्रिंसिपलस एंडथ्योरी ऑफ पॉलिटिकल साइंस", न्यू देहली : अटलांटिकपबलिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स प्रा. लि.

वर्बा, सिडनी एवं एन.एच.नी, 1987 -"पार्टिसिपेशन इन अमेरिका : पॉलिटिकल डेमोक्रेसी एंड सोशल इक्वैलिटि", दशकागो : यूनिवर्सिटी ऑफ दशकागो प्रेस

विनोद,एम.जे. एवं एम.देशपांडे, 2013 -"कन्टेम्पोरेरी पॉलिटिकल थ्योरी", न्यू देहली : पीएचआई लर्निंग प्रा. लि.

बेलामीरिचर्ड (2008) सिटीजनशिपः वेरी शार्ट इन्ट्रोडक्शन,(नागरिकताः सक्षिप्त परिचय) आक्सफोर्ड : आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।

डाहल राबर्ट(1989) डेमोक्रेसी एंड इट्स क्रीटिकस,(लोकतंत्र और इसकी आलोचना) न्यूहेवऩ सीटी : येल यूनिवर्सिटी प्रेस।

डेलांटीजेराल्ड (2000), सिटीजनशिपइन ए ग्लोबल ऐज़ सोसाइटी, क्लचर, पालटिक्स, (वैश्विक युगमेंनागरिकता समाज सस्कृति राजनीति), बर्किघम्/ फिलाडेल्फिया: ओपन यूनिवर्सिटी प्रेस।

हेवुड एंड्रयू (2007) पालिटिक्स,(राजनीति), हैम्पशायर : पाल्ग्रेवमैकमिलन।

किमलिका, विल (1995) मल्टीकल्चरल सिटीजनशिप : ए लिबरल थ्योरी आाफ माइनारिटी राइटस.(बहुसांस्कृतिक नागरिकता : अल्पसंख्यक अधिकारों का उदारवादी सिद्धांत), आक्सफोर्ड ओयूपी।

किमलिका, विल एंडनार्मनवेन (1995) 'रिटर्नआफ द सिटीजन : ए सर्वेआफ द रिसेंट वर्क आन सिटीजनशिपथ्योरी',(नागरिकता की वापसी नागरिकता के सिद्धांत पर हाल में हुए कार्य का सर्वेक्षण), इनरोनाल्ड बीनर (इडिटेड), थियोरिजिंग सिटीजनशिप, अल्बानीस्टेट यूनिवर्सिटी आफ न्यू यॉर्क प्रेस।

विनोद.एम.जे एंड एम. देशपांडेय (2013) कन्टेम्प्रोरी पोलिटिकलथ्योरी, (समकालीन राजनीतिक सिद्धांत), न्यू डेल्ही: पीएचआई लरनिंग प्राइवेट लिमिटेड।